

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, रोड नं-19, नया राधपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [esaa2020@gmail.com](mailto:esaa2020@gmail.com)

**विषय:-** राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/12/2020 को संपन्न 351वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020 को श्री वीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री एम.ब्रह्मदुर्गाच खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री कलदिपुस सिन्हा, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री वीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री कलदिपुस सिन्हा, सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-1:** 350वीं बैठक दिनांक 09/12/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 350वीं बैठक दिनांक 09/12/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को संपन्न कलया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष लीज प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विषयों से समिति सजगत हुई।



1. मेसर्स शिवला मिनरल्स (पार्टनर- श्री मनीष कुमार अग्रवाल), ग्राम-जमती, तहसील-सधरिया, जिला-मुंबई (अधिकार का नक्सा क्रमांक 1453)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीपी / एमआईएन / 57802 / 2020, दिनांक 21 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कोलीनाइट (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जमती, तहसील-सधरिया, जिला-मुंबई स्थित खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 99/1, 99/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल-4.816 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,01,318.66 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा वास्तविक सर्वेसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिखा गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिविहित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडॉक्युमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृषकक्षेत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडॉक्युमेंट सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संबन्धित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कना कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडॉक्युमेंट) के साथ जागामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण विदे जानें हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 02 / 12 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार शुक्ल, अधिविस्तृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-



1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर का दिनांक 19/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परखनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्लामेटोरी मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-बिलासपुर के डायन क्रमांक 1373/2/खनि/डोलोमाइट/अ.सो./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक/803/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.438 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक/804/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर, रीड बीच 130 मीटर एवं कप्तानी नाला 80 मीटर की दूरी पर स्थित है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक/813/खनि 02/न.क.02/2020-21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई।
6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 100 व 102 बीमारी सया जगवाल, खसरा क्रमांक 88/2 बीमारी दुग्धा अजवाल, खसरा क्रमांक 88 व 89 श्री जोगीराम घुगे, खसरा क्रमांक 81/2 श्री रामकुमार, खसरा क्रमांक 88 श्री भगोला प्रसाद, खसरा क्रमांक 119 व 120 श्री लखन के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहागी पत्र प्रस्तुत किया गया है। सेव खसरा क्रमांक की भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी एम सहागी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey Report की कोपी प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-तनगी 0.42 कि.मी., स्कूल किरना 1.8 कि.मी., अस्पताल कारगांव 5.8 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.8 कि.मी. दूर है।
9. पर्यावरणमित्र/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्तराज्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणमित्र संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोसिलिकस रिजर्व 32,91,387 टन माइनिबल रिजर्व 17,23,881 एवं रिफ़ायरेबल रिजर्व 18,37,497 टन है। सींग की 7.8 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.785 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया

जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक पूर्व से उत्खनित है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 11,027 घनमीटर एवं नीचाई 0.5 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। उत्खनन की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लोक हैमर से ट्रिजिन एवं कंट्रोल स्ट्रॉकिंग किया जाएगा। उत्खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाएगा। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,60,189
द्वितीय	1,98,263
तृतीय	1,89,821
चतुर्थ	2,00,391
पंचम	2,01,317

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	1,37,914
सातम	1,37,089
अष्टम	1,38,823
नवम	1,37,869
दशम	1,38,937

नोट: समिति में दस्तावेज के बाद के त्रुटियों को सतुष्टकारी किया गया है।

11. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.15 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस हेतु ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
12. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,752 नए वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस उत्खनन की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के कुछ भाग में उत्खनन किया जा चुका है। माईनिंग प्लान के अनुसार उक्त क्षेत्र का पुनर्स्थापन कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु सीमितिंग का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सुनिश्चित किया गया कि दिनांक 18/10/2020 से 19/01/2021 तक किया जाएगा। समिति द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि सीमितिंग का कार्य दिनांक 31/01/2021 तक किया जाए।

16. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (a) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. मानवीय एन.जी.टी., डिमिन्शन बेध, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक विस्थापित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में मुक्त रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय अलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-मुंगेली के प्रारम्भ क्रमांक/800/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.826 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-लगाती) का क्षेत्रफल 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-लगाती) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लेषित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मान्य होगी।
- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन को कुछ भाग में किये गये उद्योगों के कारण इस क्षेत्र के उपचार उपचार (Remedial Measures) की संकल्प में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा वृक्षारोपण आदि के सिद्ध समुचित उपचारों बायो संभालन, संभालन, भूमिहीन तथा खनिज, इंधन, इंधन, तथा राखपुर अदालत नगर, जिला - रामपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकल्प 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिजिमेंट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजिमेंट इन्फॉर्मेशन क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई अधिनियम) के तहत कोल गार्निंग प्रोजेक्ट हेतु निम्न अधिरिक्त शर्तों का पालन किया जाने की अनुमति दी गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatrapur before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit complete land documents and agreement copies.
- iv. Project proponent shall submit details for top soil management.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

सर्वेक्षण पर्यावरण सहायता निदेशन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीनगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

2. बेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन गार्निंग, पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम-किरना, तहसील-फधरिया, जिला-मुनेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1451)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए/ सीपी/ एस्आईएन/ 57800/2020, दिनांक 31/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गैस सहित) खदान है। खदान ग्राम-किरना, तहसील-फधरिया, जिला-मुनेली विधात खसरा क्रमांक 488, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल क्षेत्रफल-4.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रस्तावित क्षमता-2,00,213.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण एवं तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में नदिर, मरघट, अमरपाल, स्कूल, आदि अधिस्थित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की कल्प/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय भूीकृति की गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय भूीकृति की प्रति एवं अधिस्थित सर्तों के फलन में की गई कार्दवली की जानकारी फोटोडायग्नस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नुशासोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडायग्नस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो किताब कर्मी में किए गए उत्खनन की सांख्यिक माफ की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडायग्नस) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार शुक्ल, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नगरी, प्रस्तुत जानकारी का समीक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनाथशिशु प्रमाण पत्र - उत्खनन के समय में ग्राम पंचायत किताब का दिनांक 07/12/2020 का अनाथशिशु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - जारी प्लान, इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत (ख.प्रसा), जिला-विलासपुर के द्वारा क्रमांक 1372/खनि/डोलोमाईट/उ.पो./2020 विलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के द्वारा क्रमांक/808/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिस्थित अथवा 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.428 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के द्वारा क्रमांक/808/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी आगामी पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदिर, भविष्य, मरघट, अमरपाल, स्कूल, पुल, बांध एवं एरीकट आदि

अतिथित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सबसे बड़ा 85 मीटर एवं बराबरी वाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।

5. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज साक्षा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक/517/खलि 03/न.क.03/2020-21 मुंगेली दिनांक 28/07/2020 द्वारा जारी की गई है।
6. भू-स्वामित्व — भूमि खासा क्रमांक 480/4, 488, 481/1 एवं 480/3 श्री मोहन लाल अडवाल, खासा क्रमांक 488/2 श्री मनीष कुमार अडवाल, खासा क्रमांक 487/2 श्रीमती सया अडवाल, खसारा क्रमांक 489/1 श्रीमती रवेला अडवाल, खसारा क्रमांक 490/4 श्रीमती पुष्पा अडवाल, खासा क्रमांक 479/3 श्री दुखित राम, खासा क्रमांक 483/2 व 487/3 श्री भागवत प्रसाद के नाम पर है। उत्खनन हेतु सख्ती कर प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र खासा क्रमांक की भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी एवं सख्ती पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी घन-किसा 0.35 कि.मी., स्कूल किन्ना 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल सारनांव 5.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.44 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.2 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं क्षेत्र प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलाजिकल रिजर्व 32,80,287 टन माईनेबल रिजर्व 17,84,543 एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 17,04,818 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अतिथित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,145 वर्गमीटर है। आपन जलस्रोत सेमी सेलन्डर्डड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 14,802 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की अनुविष्ट आयु 30 वर्ष है। सीज क्षेत्र में उत्तर स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ईयर से डिज़िग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विश्र्काय किया जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,040
द्वितीय	1,97,928
तृतीय	2,00,212
चतुर्थ	1,99,856
पंचम	1,84,000



आगामी वर्षों का उत्पादन योजना



वर्ष	अनुमानित व्यय (₹)
1998	1,50,694
2001	1,50,801
2006	1,51,406
2011	1,51,782
2016	1,52,333

नोट: सारिका में प्रस्तावित की गई कीमतों को सतुल्यकारीक किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.01 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति जल पंपाया से टैंकर के माध्यम से की जाती है।
12. वृक्षारोपण कार्य – जीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.820 वर्ग मीटर रोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के कुछ भाग में उत्खनन किया जा चुका है। माईनिंग प्लान के अनुसार उक्त क्षेत्र का पुनर्स्थापन कर, वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु नॉटिफिकेशन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भूमिगत किया गया कि दिनांक 15/10/2020 से 15/01/2021 तक किया जाएगा। समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि नॉटिफिकेशन का कार्य दिनांक 31/01/2021 तक किया जाए।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 8(a)(i) के अनुसार –

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा सीमा में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 8(a)(i) के अनुसार –

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / BEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेर के द्वारा क्रमांक/809/खनि-03/2020 मुंगेर, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-किरना) का क्षेत्र 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-किरना) को मिलाकर कुल क्षेत्र 12.066 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलेक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान "बी" श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उद्धारण के कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा सुधारण आदि के लिये समुचित उपायों बाबात संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, इटावाकी भवन, नया सयपुर अटल नगर, जिला - सयपुर (फलोरीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत "बी" श्रेणी का होने के कारण माता सरकार पर्यावरण, पन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड्स टर्न ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड्स टैबल (लोक सुनवाई सहित) गैंग कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit complete land documents and agreement copies.
- iv. Project proponent shall submit details for top soil management.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

- iii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को संवन्तुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री नुकेश अग्रवाल (मेलाईखुई लाईम स्टोन माईन), ग्राम-मेलाईखुई, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1457)

ऑनलाइन आवेदन - परीक्षण नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 180833/2020, दिनांक 03/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना मखर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मेलाईखुई, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खतस क्रमांक 8/2/2 एवं 8/22/2, कुल क्षेत्रफल- 1.518 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-23.512.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटीघासन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रसारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटीघासन सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रदानित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्या पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटीघासन) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

संवन्तुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 09/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

अस्तुतीकरण हेतु श्री अश्विनेश कुमार गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा माली अस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिती आई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मिलाईपुर का दिनांक 27/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - काली प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर सेमेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्वॉरिटर प्लान अस्तुत किया गया है, जो उप संकायक (ख.प्र), जिला-बलरामपुर के द्वारा अनापत्ति क्रमांक 1576/खनिज/ख.सि.3/उत्खनन को./2020 अंबिकापुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा अनापत्ति क्रमांक/935/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा अनापत्ति क्रमांक/834/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, नरघट, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध एवं एनर्जेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा अनापत्ति क्रमांक/609/खनिज/उत्खननमददा/2020 बलरामपुर दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी की गई है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्रीमती सुमीत्री व श्रीमती सुमीत्रा के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र अस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति अस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलअधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा अनापत्ति क्रमांक/ख.सि./2018/4471 बलरामपुर, दिनांक 31/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्तुत किया गया है।
9. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवाही घाट-मिलाईपुर 0.8 कि.मी., स्कूल मिलाईपुर 0.7 कि.मी., अस्पताल राजपुर 11 कि.मी., घुटी पर विद्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.88 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जेन्टील प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्ट्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिपसोलाइटिकल रिजर्व 4,44,828 टन फाईनिबल रिजर्व 2,41,819 एवं रिलेक्सेबल रिजर्व 2,29,728 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (खानन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,937 वर्गमीटर है। खोपन कान्ट सेन्टी मेक्रेगार्डन विधि से खनन किया जाएगा। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। सपरी मिट्टी की मात्रा 14,464 घनमीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रवेश स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से डिजिटल एवं क्लौड ब्लाकिंग किया जाएगा। खदान में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपेक्षाव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	23,513
द्वितीय	23,524
तृतीय	22,800
चतुर्थ	23,299
पंचम	23,292

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	22,907
द्वितीय	23,014
तृतीय	22,800
चतुर्थ	22,580
पंचम	22,637

नोट: एलिवेक में दशमालव के बाद की अंकों को राउन्डअप किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 42 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर से माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 700 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

60.31	2%	1.21	Following activities at Govt Primary School, Village-Bhelaikhurd	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.25
			Running water facility for Toilets	0.18
			Plantation	0.10
<b>Total</b>			<b>1.26</b>	

16. अनुमतिपत्र के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त के दौरान निकालने वाली छतरी मिट्टी को 1.5 मीटर (भाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में एक गेड को स्वयं की सम्पत्ति निजी भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरोक्त संदर्भित किया जायेगा।
17. वननीय एन.जी.टी., डिप्लिडन डीयू, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पाण्डेय विलेज भारत सरकार, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एडिशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- वर्षासाथ कलेक्टर (खनिज खण्ड), जिला-बलरामपुर-बलानुजमण्ड के डायन क्रमांक/838/खनिज/सखानि/2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची तैयार है। आवेदित खदान (ग्राम-बेलाईखुर्द) का सक्षम 1.318 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने से कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - श्री मुकेश अग्रवाल (बेलाईखुर्द लाईम स्टोन माईन), ग्राम-बेलाईखुर्द, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-बलानुजमण्ड के खसरा क्रमांक 8/2/2 एवं 8/22/2 में स्थित घुना पाथर (गीण्ड खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.318 हेक्टेयर में, प्राथमिक क्षमता - 23,812 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व जमीन मिट्टी 14,464 घनमीटर के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण सम्बंधित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंग्रह को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री प्रदीप कुमार शर्मा (आईना बले माईन), ग्राम-ईगाकटेरा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 988)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्आईए / 44502 / 2018, दिनांक 25 / 10 / 2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 21 / 11 / 2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 04 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण - यह पूर्ण से सम्बन्धित आईना बले माईन (ग्रेन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ईगाकटेरा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 982, कुल क्षेत्रफल-3.28 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रारंभ की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्ण से आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्बंधित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रतीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बंधित निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), प्रतीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरीषित नस्ती के खनन में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृष्ठांतर्गत की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वस्तुविक माप की जानकारी खनिज विभाग से प्रामाणिक कर कर प्रस्तुत की जाए।

3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।


4. परियोजना प्रस्तावक को त्रैमासिक अथवा पूर्ण जानकारी / वार्षिक (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ अगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुत/विवरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीसंग्रह के ज्ञापन दिनांक 02 / 12 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोड एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - जखानन के संबंध में ग्राम पंचायत रेगुलरी का दिनांक 12/03/2020 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें लीज का क्षेत्रफल 1.295 हेक्टेयर उल्लेख किया गया है। जबकि आवेदन 2.28 हेक्टेयर का है। अतः उक्त क्षेत्रफल हेतु जारी अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. जखानन बीजना - क्वार्टी प्लान (विश्व इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान एवं क्वार्टी प्लॉट्स प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (डिप्लोमीसी) जिला - रायपुर के ग्राम क्रमांक 8704/डिप्लोसीसी (जे.डी)/सर्जिंग स्क्रीन/घाईना ब्ला - राजनंदगांव /एच. नं. 7/2017 तथा रायपुर, दिनांक 08/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनंदगांव के ग्राम क्रमांक/2512/ख.ति. 02/2019 राजनंदगांव, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित अन्य घाईना वाले खदानों की संख्या निरंक है। समिति के संचालन में यह तथ्य ज्ञात कि परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर घाईना में 500 मीटर की मीटर 1 अन्य वाले की खदान स्थित है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज की परिधियों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिधि से 500 मीटर से कम है। अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिजस निम्नलिखित क्षेत्र में विभागीय खदान की लीज सीमा से 500 मीटर की मीटर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर की मीटर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनंदगांव के ग्राम क्रमांक/2512/ख.ति. 02/2019 राजनंदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाँध एवं एरीकट यदि प्रतिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 150 मीटर की दूर पहाड़ी पर गजमाता मंदिर स्थित है।
5. लीज का विवरण - लीज की प्रदीप कुंभार शर्मा के नाम पर है। लीज डी.डि. 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/07/1994 से 08/07/1999 तक की अवधि हेतु थी। जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 07/07/1999 से 08/07/1994, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1994 से 08/07/1999, तृतीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1999 से 08/07/2019 तक किया गया। तत्पश्चात 15 वर्षों, दिनांक 07/07/2019 से 08/07/2034 तक अवधि वृद्धि की गई।
6. मू-स्वामित्व - मूनी श्री विष्णु सिंह के नाम पर है। जखानन हेतु सखनरी पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।





8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, पनमावल, खैरगढ़, जिला- राजनांदगांव की द्वारा प्रमाणित मा.वि./न.क. 25/1608 खैरगढ़ दिनांक 14/05/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित स्थल श्री लखड़ीकी वन कक्षा क्रमांक 562 की दूरी 1.485 किलोमीटर है।
9. महावृक्ष संरक्षणार्थों की दूरी - निकटतम आन्धरी घान-रेगाकटेरा 1 कि.मी., रमूल रेगाकटेरा 0.7 कि.मी., अल्पताल डोंगरगढ़ 13 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संबंधनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित कृषिकाली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 3.42,000 टन, साईनेबल रिजर्व 2,14,000 एवं निकोबेल रिजर्व 1,04,000 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रियित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.888 वर्गमीटर है। परामान में 2 मीटर से 5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। आपन कास्ट मैनुअल मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5 मीटर है। डेप की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। सीज क्षेत्र में प्रवेश स्थगित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। सर्वेकार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,333	1.5	8,000	10,000
द्वितीय	3,333	1.5	8,000	10,000
तृतीय	3,333	1.5	8,000	10,000
चतुर्थ	3,333	1.5	8,000	10,000
पंचम	3,333	1.5	8,000	10,000

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,333	1.5	8,000	10,000
द्वितीय	3,333	1.5	8,000	10,000
तृतीय	3,333	1.5	8,000	10,000
चतुर्थ	3,333	1.5	8,000	10,000
पंचम	3,333	1.5	8,000	10,000

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल पिकअप, पुनःसंचयन) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में दूषित जल एवं पंपआउट की आपूर्ति को रोकने के साधन से की जाती है। इस संबंध में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राइवेट वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **पुनःसंचयन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में सारी और 7.5 मीटर की गहराई में 1,700 म³ पुनःसंचयन किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में जारीना की खदान खनन क्रमांक 082, क्षेत्रफल 2.28 हेक्टेयर, शमल-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग, अधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 21/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तनुसार पुनःसंचयन नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला- राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/8028/ख.नि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/12/2020 से अनुसार विस्तार जारी में किये गये उल्लंघन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वार्षिक उल्लंघन (टन)
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1,000
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	147
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	249
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	1,400
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	900
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	300
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	850
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	700
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	340
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	300
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	200
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	900
अप्रैल 2020 से जून 2020	निराक

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के साथ विस्तार से चर्चा करवाते निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt Middle School, Village-Rengakathere	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

16. प्रस्तुतीकरण की हीरान समिति को समझ यह उच्च आय कि लीज क्षेत्र पर प्राप्त स्थित है, किसे माइनिंग प्लान का अन्य दस्तावेजों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उच्च प्लॉट की कटाई किया जांच प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता होने पर ही इन प्लॉट की कटाई सख्त अधिकारी से अनुमति उपरांत की जायेगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
2. आवेदन अनुसार 2.28 हेक्टेयर हेतु जारी धान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यावाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. गेलर्स दूमरपारा डोलोमाईट क्वारी (प्रो.- श्री संजय कंडिका), धाम-दूमरपारा, तहसील-सपती, जिला-जाजगीर-वाघा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1120)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 136134 / 2020, दिनांक 10/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिष्ठी होने से आपन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कठित जानकारी दिनांक 10/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-दूमरपारा, तहसील-सपती, जिला-जाजगीर-वाघा स्थित खदान क्रमांक 2333/8, कुल क्षेत्रफल-4.35 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता- 81,057.26 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सस्तावक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-



1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर काम होतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लाइमेट की बदलते स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए संरक्षण की वार्षिक माह की जानकारी स्थिति विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए. / एन.ई.आई.ए.ए. (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 391वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु की शर्तें सुनाए जाईया, अधिलेखित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिलेखन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. काम प्रभावित का अनापत्ति प्रमाण पत्र — संरक्षण के संबंध में काम प्रभावित सुनपारा का दिनांक 13/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संरक्षण योजना — राष्ट्रीय ज्ञान दल्लग विध्व प्रोपेसिव नईन कसोजन ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय ज्ञान निरूपक भारतीय ज्ञान अकूरी, नामपुर के आदेश क्रमांक डी.एम.सी./डी.ओ.एल./एम.सी.एल.एन-1508/एम.सी.पी. दिनांक 18/04/2013 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (जमीन शाखा), जिला-जांजगीर-बाधा के आदेश क्रमांक /3022/मी.ज.स्थिति/ई-निविदा/म.क./2018-20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 42.75 हेक्टर होना बताया गया है। जिसने केवल विद्यार्थीन खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के परिधि में अधिलेखित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (पब्लिक संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीमा के परिसरों के बीच दूरी उस क्लस्टर स्थिति क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस क्लस्टर शामिल खदानों के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को नहीं एक शामिल किया जाए,

जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय फलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जाजगीर-घामा के डायन क्रमांक / 3021 / नीम खनिज / ई-निविदा/नक्र./2018-20 जाजगीर, दिनांक 11/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, सेलवाइडिंग, महर, मयन, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, प्राथमिक स्थापना, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. की राज्य संविदा के नाम पर है, जो उत्तरीकांड शासन, खनिज शासन विभाग, मजदुर, दाऊ कल्याण सिंह मयन, राधपुर के डायन क्रमांक एफ 3-11/2011/12 राधपुर, दिनांक 07/05/2011 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. इन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय उपमन्त्रालयकारी, उत्तराखण्ड जाजगीर-घामा, जिला-जाजगीर-घामा के डायन क्र./नवि./2018/2002 दिनांक 04/12/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासीय घन-दूरपाठ 3.5 कि.मी. एवं स्कूल दूरपाठ 0.87 कि.मी. एवं अस्पताल बासद्वारा 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 कि.मी. एवं राजमार्ग 20 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित कृषिकारी गैल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
11. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान की एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. केवल सुद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. वैध माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्या पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 15/10/2020 की प्रस्तुत किया गया है।

**(ख) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखन कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण पूर्व में प्रस्तुत एस.ओ.आई. एवं माइनिंग प्लान को मान्य किये जाने का अनुमोदन किया गया है।
2. माइनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में पूर्व में दिये गये प्रस्ताव तक को ही पुनः प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को जल्दामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई सखित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(घ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमितदेव बेडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर, जिल्हा-जांजगीर-ठापा द्वारा दिनांक 06/12/2019 को कार्यालयीय विभाग से जमापत्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - जामोतव कलेक्टर (शनि खान), जिल्हा-जांजगीर-ठापा के ज्ञापन क्रमांक /3022/शनि खनिज/ई-निविदा/न.क्र./2019-20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 42.75 हेक्टेयर होना बताया गया है।
3. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - जिपसीलॉजिकल रिजर्व 18,88,000 टन एवं माइनेबल रिजर्व 11,38,000 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बढ़ी (उत्खनन के लिए प्रतीक्षित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,451 वर्गमीटर है। खनन कार्ट मैनुअल मेथेगाईण्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। खपटी मिट्टी की मात्रा 88,808 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेस की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में करार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विप्रेषण किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4407.58	3	13223.54	33059.10
द्वितीय	5892.00	3	17676.00	44190.00
तृतीय	7745.18	3	23235.45	58088.12
चतुर्थ	7987.78	3	23963.34	59758.35
पंचम	8569.44	3	25708.32	64270.8

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,333	1.5	5,000	10,000
द्वितीय	3,333	1.5	5,000	10,000
तृतीय	3,333	1.5	5,000	10,000
चतुर्थ	3,333	1.5	5,000	10,000
पंचम	3,333	1.5	5,000	10,000

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर का कुछ भाग पूर्व से उपखनित है, जिसका मरदा कर पुनारीपण किया जाना प्रस्तावित है। उष्ण कार्य लीज स्वीकृत होने के 6 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। साथ ही लीज क्षेत्र की बागीच बाटर बाड़ी है। उष्ण क्षेत्र से आवाजबला अनुसार 60 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाएगा। अतः तदनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन करना जाएगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थल पर 300 नग से 400 नग सीमेंट के मुस विद्यत है। उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व वन विभाग से अनुमति संप्रोप्त करवाई की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्रिस्टाई ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मांनिटरिंग का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सूचित किया गया कि दिसम्बर से कांठरी के स्वयं किया जाएगा।
- उत्खननीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु बनाए पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक V(a)(i) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उष्ण मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र की अवर 7.5 मीटर चौड़े लेवेल्टे जेन से पुनारीपण किया जाना आवश्यक है।

8. माननीय एन.पी.टी., दिल्ली सरकार, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एन.पी.टी. नं. 126 ऑन 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को प्रेषित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनि उद्योग), जिला-जाजगीर-बॉट के द्वारा जन्मांक /3022/गौण खनिज/ई-मिनिंग/न.ज./2018-20 जाजगीर, दिनांक 11/02/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 1 खदान, औसत 42.73 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बुमरगढ़) का क्वॉटा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-समर्दा) को मिलाकर कुल क्वॉटा 4.330 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघीय खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्वॉटा निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिजर्वेस (टीओआर) और ईआईए /ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकॉग्निज इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (सौर सुनचूई सहित) गौण कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit details for top soil management.
- iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- iv. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all actual blocked reserves in calculations as per proposal submitted.
- v. Project proponent shall submit safety plan for working against water body.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.



- vi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण सन्ध्यात निर्धारण प्रक्रियकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रकृतीसन्ध को सन्धानुसार सुचित किया जाय।

**8. वेतारल बंगोरी विख्या अर्थ माईन (जो - श्री वनेश राय देसायुख), ग्राम-बंगोरी, तहसील व जिला - दुर्ग (समिधालय का नस्ती क्रमांक 828)**

अंनलाईन आवेदन - प्रोजेकल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 38878/2019, दिनांक 13/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अंनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 02/06/2019 को अंनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बंगोरी, तहसील व जिला - दुर्ग विख्या खसरा क्रमांक 1117 से 1118, 1122 से 1125 एवं 1135 से 1141, 1143/1 एवं 1150, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) क्षमता-800 टन/हेक्टर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा मीन खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं-

1. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बंगोरी का दिनांक 28/05/2019 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - कच्ची प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अविभागी, जिला-बाजोद के ज्ञापन क्रमांक 721/खनिज/खनिज/2018, बाजोद दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखत), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनिज.02/खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की वीतन वर्ष 2013 के पूर्व 01 खनि रिपॉजिट स्वीकृत है, जिसका क्षेत्रफल 1.15 हेक्टर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखत), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/बी/खनिज. 02/खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 05/04/2018 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्लान खदान से 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक पर गस्ता एवं 100 मीटर में किकनाथ नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, सरखट, अस्पताल, स्कूल, गुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति स्तंभ आदि अतिरिचित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (समिति शाखा) जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 140/समिति.02/ई-जीएम/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी पैदावा जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की पैदावा समाप्त हो गई है।

6. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनभारतधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2018/3235 दुर्ग, दिनांक 28/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2018:**

समिति द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:-

1. फॉर्म-2 के विन्दु क्रमांक 8 में नईविम ऑफ ऑडिबरी स्टोन माईन क्षमता - 900 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में निर्दली उद्योग का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. पैदावा वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवंटित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., फरकीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2018:**

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अनेक वन वीरधुख, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा मंजूरी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की पैदावा वृद्धि हेतु आवंटन किया गया है। अतः आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिने जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्रास) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एल.ई.ए.सी., फरकीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2018 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2018:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/10/2018 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. पैदावा वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के बाक्य बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समय नहीं है। अतः आगामी माह के आवंटित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 20/11/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एस.ओ.आई. केना कृषि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 09/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एस.ओ.आई. केना कृषि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 16/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एस.ओ.आई. केना कृषि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही ली जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को यह दिनांक 04/07/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अतिरिक्त कारणों (एल.ओ.आई. विषया वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति को सन्नद्ध बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तममय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/08/2020 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एल.ओ.आई. का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता संशय हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक एन 4-27/2019/2012 निरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयातक, सीमिडी तथा अभिकर्मी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2020 को जारी पत्रित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में "विवेचना के परिषद में जमीनदाई की धरोहर राम देवगुड आश्रम पर श्री सुराज सिंह देवगुड मिट्टी राम-धरोहर, ताहसील व जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 03/07/2019 को मान्य कर्मी हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यापित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ ग्रीन सनित नियम, 2019 (व्यावसायिक के नियम 42(3)) के प्राधान्यतर्गत गुण शोध के अन्तर्गत पर निशामानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किया जाए।

समिति द्वारा उत्तममय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक के आयोजित बैठक में पूर्व में प्यारी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे करने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(च) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धरोहराम देवगुड, डीएसईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तुत सीमेंट — 02 में कुटिलता उत्पाद पूरा पक्कर अहित हो गया है। वास्तव में आवेदन मिट्टी उत्खनन का है। अतः प्रकरण पर अतिरिक्त कार्यवाही की मिट्टी उत्खनन

एवं ईट निर्माण इकाई का नाम कर किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

2. **स्वस्थपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय ग्राम-घनोरी 1.5 कि.मी. एवं स्कूल घनोरी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल अजोरा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। नदी 170 मीटर दूर है।
3. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटेन्सली पीस्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र किता नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।
4. **खनन संघदा एवं खनन का विवरण** – जियोलाजिकल रिजर्व 4,730 घनमीटर एवं आईनेबल रिजर्व 2,718 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन को लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। खोपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर ईट निर्माण हेतु किन्ता विनयी तथा किन्ता स्थित होगा, जिसका क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर है। प्रस्तावित किन्ती की ऊंचाई 30 मीटर है। खनन की अनुमानित आयु 3 वर्ष है। खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिट्टी (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नम)
प्रथम वर्ष	800	8,00,000
द्वितीय वर्ष	800	8,00,000
तृतीय वर्ष	800	8,00,000

5. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी।
6. **पुनरोपचार कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नम पुनरोपचार किया जाएगा।
7. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Govt Primary & Middle School, Village- Changeri	
			Rain Water	0.80



			Harvesting System	
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.05
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना निर्धारित किया है।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

10. 500 मीटर की परिधि में जाने वाले खदानों की जानकारी बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 40/ए/खनिज, 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अद्यावत स्थिति में 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11. ईट निर्माण हेतु आवश्यक क्षेत्रों एवं ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ प्रस्तावित खाई ऐरा की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. माइनिंग विभाग से कलेक्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी, पूर्व में दिये हुए विवरण अनुसार प्रस्तुत किया जाए।
2. ईट निर्माण हेतु आवश्यक क्षेत्रों एवं ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ प्रस्तावित खाई ऐरा की मात्रा के संबंध में सच्चा सही जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्रीमती जर्जना दास (सुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी), धाम-सुमरडीहकला, लहरील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1247)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147920/2020, दिनांक 09/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से क्रमन विनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घोषित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मूल फॉवर (मीन खनिज) खदान है। खदान धाम-सुमरडीहकला, लहरील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खानद

क्रमांक 108, कुल क्षेत्रफल-2025 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की मरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसहित सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संकलित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की कार्यावधि भांडा की जानकारी स्वच्छ विमान से प्रमाणित कृत एवं प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसूच सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसहित) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 25/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु की दुष्प्रथा पास, अधिलेखित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निष्पत्ती पर्यै गई:-

1. पास पर्यायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में काम पर्यायत सुपरवीडरसल का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परखनन सीधना - मरती प्लान अलाय किम अलाय क्लोजर प्लान किम इन्फार्मरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.इला.), जिला-राजपुर के द्वारा क्रमांक अ./ख.लि./वीन-0/2016/348 राजपुर दिनांक 10/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में निश्चित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला-राजगाइगांव के द्वारा क्रमांक/2803/ख.लि. 03/2018 राजगाइगांव दिनांक 07/11/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 7.748 हेक्टरों को बालया गया है। जिले के वन विभागकीन खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिख गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि

सकल खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आर.ई.ए. गोटिकिडोवाग, 2008 (पंच संशोधित) में परिभाषित क्वार्टर अनुसार "कोई क्वार्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस क्वार्टर खनिज क्षेत्र में अन्य चट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्वार्टर हेतु हेमेटाइट/पिपरा निगरल क्षेत्र में विकसकीय खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्वार्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र संसाधन जाना आवश्यक है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्पोरेट क्वार्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक/2803/खनि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एमबीएड एवं जल आपूर्ति जदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज बीबीसी अर्बन राउंड के मान पर है, लीज बीबीसी 06 वर्षों अर्बन दिनांक 06/01/2001 से 04/01/2008 तक की अवधि हेतु थी। प्रथम नवीनीकरण दिनांक 06/01/2008 से 04/01/2011 तक की अवधि हेतु थी थी। तत्पश्चात् लीज बीबीसी दिनांक 06/01/2011 से 04/01/2031 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्पोरेट वनमन्त्रालयकारी, वनमन्त्रालय राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक /मा.वि./व.क्र. 10-1/2020/1839 राजनांदगांव, दिनांक 13/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. नहरापूर्व संरचनाओं की दूरी - निकटतम आकाटी घाट-दुमराडीहकला 2.8 कि.मी. स्कूल एवं अस्पताल घाट-दुमराडीहकला 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या तमिल जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - डिपॉलीजिकल रिजर्व लगभग 7,08,090 टन, नाईनेबल रिजर्व 2,88,970 टन एवं विलकनेबल रिजर्व 2,60,073 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (परखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.376 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट क्षेत्री मेकेनाईज्ड विधि से खनन किया जाता है। परखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 10.721 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमल



से ट्रिप्लिंग एवं कन्ट्रोल कास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	3,193	3	9,579	23,947
द्वितीय वर्ष	3,403	3	10,209	25,515
तृतीय वर्ष	3,579	3	11,028	27,570
चतुर्थ वर्ष	3,862	3	11,586	28,965
पंचम वर्ष	4,004	3	12,012	30,030
कुल	-	-	54,414	1,36,027

#### आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे वर्ष प्रथम बेंच	1,107	3	3,321	8,303
छठवे वर्ष द्वितीय बेंच	2,897	3	8,691	21,727
सातवें वर्ष	4,004	3	12,012	30,030
आठवें वर्ष प्रथम बेंच	1,000	3	3,000	7,500
आठवें वर्ष द्वितीय बेंच	3,001	3	9,003	22,507
नौवें वर्ष प्रथम बेंच	3,602	3	10,806	27,015
नौवें वर्ष द्वितीय बेंच	999	2	1,998	2,990
दसवें वर्ष	4,791	2	9,582	23,955
कुल	-	-	58,415	1,41,038

नोट: तालिका में दाखल के बाद के लेखों को सार्वजनिक किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोर्डकेल के माध्यम से की जाती है। कदम में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाता है। यदि आवश्यक प्रस्तावित कार्यकारण उपरोक्त अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल साइकल मीटर अर्थात्सिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चरों और 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नए वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना इलाकाक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चरों और 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

1. पूर्व में मूल माथर खाना पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 108 कुल क्षेत्रफल - 2.023 हेक्टेयर, समस्त - 30,030 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्विक पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजसंदेशांड द्वारा दिनांक 08/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।



- g. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के मातहत में की गई कार्रवाहों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- h. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- h. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के दायन क्रमांक/328/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये वलखनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	वलयपदन (टन)	वर्ष	वलयपदन (टन)
2001	निरख	2009	500
2002	200	2010	300
2003	100	2011	3,800
2004	100	2012-16	निरख
2005	150	2017	36,500
2006	240	2018	7,200
2007	2,742	2019	1,900
2008	575		

- g. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के दायन क्रमांक/328/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये वलखनन की जानकारी में वर्ष 2017 में 36,500 टन वलखनन बताया गया है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति क्रमांक 30,030 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी की गई थी। उक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विलीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वलखनन की मात्रा कितनी है?

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी जखनन निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at Govt. Primary School Village-Dumardihkalan.	
			Rain Water Harvesting System	2.0
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>2.45</b>

समिति द्वारा तदसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. माइनिंग विभाग से जलसंचय क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की बाहरी परिसर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में किये गये अनिश्चित उत्खनन क्षेत्र की रणनीति (सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण सतिया), उत्खनित क्षेत्र के सरासरी प्रस्ताव का विवरण तथा कार्य पूर्ण किये जाने का समय के साथ समय पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की परती में वृक्षारोपण किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. जल की आपूर्ति बीरोल से किया जाना बताया गया है। सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी द्वारा जारी माईकरोड्रैन अनुसार परिधीयता स्थल सेनी सिटिकल अथवा सिटिकल अथवा सेज जोन के अंतर्गत जाने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। वाटरवर्क बोर्ड उपरोक्त करने हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. स्थल निरीक्षण के उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., चलीसगांव के आयन दिनांक 03/07/2020 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि सार्वज), जिला-राजनांदगांव के आयन क्रमांक/4090/ख.सि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/10/2020 के अनुसार अवस्थित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, बीकणल 31.78 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि सार्वज), जिला-राजनांदगांव के आयन क्रमांक/4199/ख.सि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 25/10/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 26,800 टन एवं वर्ष 2017-18 में 11,074 टन उत्खनन किया गया है।
3. सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। उपरोक्त अनिश्चित क्षेत्र को दिसम्बर, 2020 के भीतर पुनः सरासरी कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इस बाबत समय पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की गहराई में 1,800 लीटर क्षमता का कुआरोंपन किया जाएगा।
5. पर्यावरण प्रदाता प्रदाताओं को सभी हेतु सेंट्रल पर्यावरण प्रदाता अधीनस्थ से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।
6. स्वतंत्र निरीक्षण को जवाबदायी ईआईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को जमावती न्याय के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी हुई अधिनियम जानकारी एवं समस्त सुझावों को जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ईआईआरसी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुषमा दास, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईआर (Corporate Environment Responsibility) को जमाव में स्ट्रीट बॉर्डर की पगला का सम्बन्ध नहीं किया है।
2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (1) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र की अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमाई क्षेत्र में कुआरोंपन किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., सिविलियल वेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिनियम एन.टी.टी. नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि राज्य), जिला-राजनांदगांव के ज्ञान संकांक/4000/खनि, 09/2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/10/2020 अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 32 खदानें, क्षेत्रफल 31, 75 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्रान-सुनवाईकला) का क्षेत्र 2.023 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्रान-सुनवाईकला) को मिलाकर कुल खदानें 33.773 हेक्टेयर हैं। खदान की सीमा से 500 मीटर की सर्चिंग में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का जलसंधि निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किनेटिवे वल्यूमन के कारण इस क्षेत्र के संपादनी उपायों (Remedial Measures) की संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वासन आदि के विषय समुचित उपायों बाधा संभालक, बाधालनात्मक, भौतिकी तथा खनिकर्त, इत्यादी भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (प्रलोत्सव) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श संपादित कार्यसम्पत्ति से प्रकल्प 'बी' कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधि परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई-आई/ए /ईएमपी, सिमेंट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन्वायर्समेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ईआई/ए, नोटिफिकेशन, 2008 में परिचल श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे बोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर की साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatnagar before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit NOC from CDWA for usage of ground water.
- iv. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and rain water harvesting cost.

राज्य सरकार पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रक्रियकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) भस्तीबाग को संशोधन सुचित किया जाए।

8. मेसर्स गुरुजी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (प्री.- श्री मनमोहन शर्मा, फ़िलापडूरिया कोलांग्राइट माईन), घाम-फ़िलापडूरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जोधपूर-बांधा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1352)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोज़ल नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एम्आईएल/ 184277 / 2020, दिनांक 20 / 07 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण खदान के उत्खनन क्षमता के डिस्टीकेशन का है। यह पूर्व से संश्लित कोलांग्राइट (पीन खनिज) खदान है। खदान घाम-फ़िलापडूरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जोधपूर-घाम स्थित खसरा क्रमांक 5/2, कुल क्षेत्रफल-4.29 हेक्टेयर में है। खदान की वर्तमान उत्खनन क्षमता - 67,909.85 टन प्रतिवर्ष एवं आवेदित कुल उत्खनन क्षमता - 2,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02 / 09 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पंचा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिच्छेदों के बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों की नस्ति से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु कोलांग्राइट मिनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान की लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. काशीबाग क्लस्टर (खनिज क्षेत्र) द्वारा प्राप्त खदानों की 500 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंध जानकारी को स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिशेषित जमीन के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अध्यान निधि की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
4. निगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को अनसोका समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवधान फोटोग्राफ) के साथ आगामी राह की आगोशित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. धरतीसंगठ के अधिन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 06/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की मनसोदन समी, जेकराईटर कर्षिज्ञा हुर। समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-:

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन की संख्या में ग्राम पंचायत किराण्डनिया का दिनांक 06/01/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - माडिकलाईड क्वार्टे प्लान विध स्वयं ऑफ माइनिंग ऑफ सेलैण्ड फाईव ईयर प्रस्तुत किया गया है। जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, खेमिडी तथा खनिजम्, तथा रायपुर जटल नगर के अधिन क्रमांक 3238-42/माइनिंग-2/क्यूपी./एफ.नं.06/2015 तथा रायपुर जटल नगर रायपुर, दिनांक 10/07/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-पांचा के अधिन क्रमांक 1204/खनि/न.क्र/2020-21 जांजगीर, दिनांक 10/07/2020 के अनुसार अधोदित खदान में 500 मीटर की गोलत अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-पांचा के अधिन क्रमांक 1203/खनि/न.क्र/2020-21 जांजगीर, दिनांक 10/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तुत खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, जून, बाघ, एनीकट एवं जल आवृत्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - लीज मेसर्स गूलबी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। जिलाधी अवधि 30 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 08/11/2011 से 07/11/2041 तक है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्री राधुवर सिंह तिस्रोथिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम जलवादी घास-खिलापडनिया 0.5 कि.मी., कल्लु घास-बादर 6 कि.मी एवं अस्पताल घास-खिलापडिया 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। सोन नदी 6 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतरजतीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिचली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

10. खनन संभवता एवं खनन का विवरण – जियोमॉर्फिकल रिजर्व 40,42,515 टन, साइनेडल रिजर्व 28,47,437 टन एवं रिक्वेस्टेड रिजर्व 18,83,044 टन हैं। जीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28.48 मीटर है। वर्तमान में कुछ भागों में 18 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। शोध ऊपरी मिट्टी की मात्रा 8,418 घनमीटर एवं मीटाई 2 मीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक ड्रैन से ड्रिलिंग एवं स्टाबिलिटी किया जाता है। खदान में वायु उपयुक्त निबंधन हेतु जल का फिसकाव किया जाता है। जमीन व्यवस्था बनाता विस्तार उपयुक्त जलवापी जगहों। सर्वोच्च प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2016-17 से 2018-20	During this period, the excavation work has been done as per proposal.			
2020-21	28,240	3	87,719	2,25,000

नोट: हालिया में दशमालय के बाद के जलों की सार्वजनिक किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। खदान में जल की आपूर्ति स्थानीय स्टेरों से कर की जाती है।
12. वृक्षारोपण कार्य – जीज क्षेत्र की सीमा में जहाँ जीज 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में जोलोनार्डेट खदान खनना अर्थात् 5/2, कुल क्षेत्रफल – 4.99 हेक्टेयर, क्षमता – 87,263.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विला स्तरीय पर्यावरण सभागत निबंधन अधिकारण, जिला-पंजाबीर-बाधा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई।
  - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - निर्धारित शर्तानुसार 500 नव वृक्षारोपण किया गया है।
  - दिनांक वर्षों में सर्वोच्च रिजर्व एवं उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (द्वितीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रस्तावित बना कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक वर्षों में वर्ष 2016-17 में 67,870 टन, वर्ष 2017-18 में 77,080 टन, वर्ष 2018-19 में 1,04,815 टन एवं वर्ष 2019-20 में 1,02,030 टन है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक है। इस संबंध में समिति को समझ परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु



आवेदन किया गया था एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु जारी की गई है।

19. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में बर्साव, माईनेबल रिजर्व की उपयुक्त गणना नहीं की गई है। अतः उपयुक्त गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपयुक्त विवरणानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
95	2%	1.9	Following activities at Govt Primary School Village - Chhitapadariya	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.60
Total			1.90	

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मती से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति की समग्र अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु आवेदन किया गया था एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु जारी की गई है। अतः जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण अधिकांश, जिला-आधारित-बांध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किन्हीं नये आवेदन की आवश्यकता प्रति (जिसमें आवेदित सजाता का उल्लेख हो) प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में बर्साव, माईनेबल रिजर्व की उपयुक्त गणना नहीं की गई है। अतः रिजर्व की विस्तृत गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि श्री रघुवर सिंह शिशोमिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति कर प्रस्तुत किया जाए।

5. स्वतंत्र निरीक्षण के उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., जलसंग्रह की 340वीं बैठक दिनांक 06/10/2020 को परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा दिनांक 28/10/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. विजय स्तरीय पर्यावरण समाजवादी निर्वाचन प्राधिकरण, जिला-जांजगीर-बांस में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन की सहायित प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कालेक्टर (ग्रामिण बांस), जिला-जांजगीर-बांस के द्वारा क्रमांक/2631/ग्रामि./ग.बा./2020-21 जांजगीर, दिनांक 08/10/2020 के अनुसार वर्ष 2016-16 में 80,000 टन, वर्ष 2016-17 में 87,970 टन, वर्ष 2017-18 में 77,080 टन, वर्ष 2018-19 में 1,04,815 टन एवं वर्ष 2019-20 में 1,02,030 टन उत्खनन किया गया है।
4. माईनिंग प्लान में ब्लॉक, माईनिंग रिजर्व की उपयुक्त गणना कर रिजर्व की विस्तृत समता कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. भूमि की राहुल सिंह शिवशिविया के नाम पर होना बताया गया है, जबकि सहायित पत्र श्रीमती यशर सिंह के नाम की प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
6. स्वतंत्र निरीक्षण के उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सततव्य सर्वसम्पत्ति से निर्बंध लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयेवित बैठक में अनुरोध सहायित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जलसंग्रह की बैठक दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनमोहन शर्मा, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा दिनांक 28/10/2020 द्वारा भेजित

पालन अधीन में निम्न दो शर्तों का अतिरिक्त पालन किया जाना बताया गया है-

1. भूमिों के लिए उपयुक्त वेस्टजल व्यवस्था नहीं की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का दो स्थानीय समाचारों में प्रकाशित सूचना की प्रति प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया है।
3. उपरोक्त के संबंध में परिषदीय प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमिों के लिए उपयुक्त वेस्टजल व्यवस्था पूर्ण की गई है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की सूचना दो स्थानीय समाचारों में प्रकाशित की गई थी। परंतु उक्त सूचना की जारी हुए दो पानों के कारण प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। परंतुन में पर्यावरणीय स्वीकृति की सूचना के प्रकाशन की प्रति पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
4. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत माइनिंग प्लान में शील्ड, माइनेड रिजर्व की विस्तृत समग्र संलग्नक के रूप में शामिल है। उक्त माइनिंग प्लान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मार्च, 2021 में माइनिंग प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है। समिति के निर्देशानुसार शील्ड, माइनेड रिजर्व की विस्तृत समग्र का समावेश दरलमप मूल माइनिंग प्लान में किया जाएगा।
5. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि श्रीमती केशर सिंह के नाम पर है। पूर्व प्रस्तुतीकरण में सुटिचर भूमि श्री सुखर सिंह निराधिया के नाम पर होना बताया गया था। भूमि श्रीमती केशर सिंह के नाम पर होने के संबंध में दरलमप प्रस्तुत किया गया है।
6. जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जाजगीर-बांसा में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन की संवर्धित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे अनुसार आवेदन 1,17,480 टन क्षमता के लिए किया गया था। उक्त प्रस्तुतन जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुरूप किया गया।
7. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
8. मासिक एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेक्टर, नई दिल्ली द्वारा सार्वेड फाउंडेड विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएण्टल एक्सप्लोरेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श अधस्तात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-जाजगीर-बांसा के ज्ञापन क्रमांक 1204/खनि/स.अ. /2020-21 जाजगीर, दिनांक 10/07/2020 के अनुसार

अवेधित खदान से 500 मीटर की सीमा अर्थात् अन्य खदानों की संख्या निरस्त है। अवेधित खदान (घाम-खिलापहरिया) का सतह 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में मौजूद/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की गनी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदन - श्री मन्मोहन शर्मा (पुरुबी मिनरला प्राइवेट लिमिटेड, खिलापहरिया, जिला-जंजगीर-बाघ के तबारा जमांक 5/2 में स्थित खोलागाईट पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 4.99 हेक्टेयर में, उत्खनन क्षमता - 2,80,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री राजय कृष्णानी अर्थात् श्री स्टॉन कारी, घाम-मनकेशरी, ताड़सील व जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1378)

अनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एमआईएम/ 189827/2020, दिनांक 25/08/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर एवं गुरुम (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाम-मनकेशरी, ताड़सील व जिला-उर, कांकेर जिला तबारा जमांक 24, कुल क्षेत्रफल-1.89 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अवेधित साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता-84,725 टन प्रतिवर्ष एवं गुरुम उत्खनन क्षमता-21,532.5 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्सवक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. नूनि समन्वित संकेती प्रस्तावेज की समष्टि/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में अवेधित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (सीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों एवं अधिरोधित शर्तों के कारण से की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृत्तावर्णन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (द्वितीय वर्ष) खनिज विभाग से उपरिष्ठ कथन कर प्रस्तुत की जाए।
4. मातृ संसद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली के सी. एन. दिनांक 01/09/2018 के अनुसार सीईआईए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विलुप्त प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परिषोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोआवक) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिषोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमारी, प्रोपरराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा समिति के समस्त उपस्थित होकर बताया गया कि परिषोजना प्रस्तावक को सामान्य पथ पर खदान खसरा क्रमांक 24, कुल क्षेत्रफल - 1.89 हेक्टेयर, क्षमता - 68,734 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिज्ञाकारी पर्यावरण सन्तुष्टा निर्माण प्राधिकरण, जिला-उ.प्र. कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2018 को जारी किया गया है। वर्तमान में परिषोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित सामान्य पथ पर खदान क्षमता-64,725 टन प्रतिवर्ष एवं मुक्त उत्खनन क्षमता-21,532.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि माईनिंग विभाग द्वारा मुक्त उत्खनन हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया है, जो कि आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषोजना प्रस्तावक को माईनिंग विभाग से मुक्त उत्खनन हेतु आशय पत्र की प्रतिलिपि प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परिषोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020 की परिषेय में परिषोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एस.ओ.आई. श्री संजय कुमारी के नाम पर है, जो कार्यालय कार्डबोर्ड (खनिज खाद्य), जिला-उ.प्र. कांकेर के डायन क्रमांक/720/खनिज/उ.प्र./सी.ई.सी./2020-21 कांकेर, दिनांक 23/10/2020 द्वारा मुक्त उत्खनन हेतु जारी की गई है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आवेदित बैठक में पूर्व से जारी हुई अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिषोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहीद अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-



1. प्रशासनिकरण के दौरान परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वह खदान पूर्व से संघालित सामाजिक मध्य खदान है, जिस पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है। वर्तमान में मुख्य उत्खनन किण्व जला प्रस्तावित होने के कारण पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। लीज क्षेत्र के भीतर मुख्य का समावेश किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मनकोसरी का दिनांक 18/04/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान किंग प्रोपोजिब क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जूनि अधिकारी, डिप्ट-उ.ब. कार्बन के द्वारा क्रमांक 498/खनिज/उत्ख.सौ.अनु./उ.प./2020-21 कार्बन, दिनांक 08/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - क्वारालय कलेक्टर (खनि शाखा), डिप्ट-उ.ब. कार्बन के द्वारा क्रमांक 508/खनिज/उ.प./2020-21 कार्बन, दिनांक 29/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - क्वारालय कलेक्टर (खनि शाखा), डिप्ट-उ.ब. कार्बन के द्वारा क्रमांक 498(ए)/खनिज/वावर/2020-21 कार्बन, दिनांक 08/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, परघट, अस्पताल, स्कूल, पुज, बाघ, एनिकेट एवं अन्य आयुति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज भी राज्य सरकारों के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 03/02/2009 से 02/02/2019 तक थी। तत्पश्चात् लीज लीज की दिनांक 02/02/2019 तक की अवधि हेतु पुद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मनकोसरी 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-मनकोसरी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कार्बन 2 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविकिषया संवेदनशील क्षेत्र - परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिषया क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संचयन एवं खनन का विवरण - विद्यमानिकृत रिजर्व 3,69,580 घनमीटर (पत्थर = 2,03,389 + मुलम = 1,66,191) एवं मईनेबल रिजर्व 3,08,254 घनमीटर (पत्थर = 1,68,436 + मुलम = 1,37,814) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.32



हेक्टियर है। ओपन कास्ट सेमी मैटेनार्इज्ड डिचि से उत्खनन किया जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ की 21 मीटर ऊंचाई के बाद सू-स्तार से 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। जैक ड्रमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल्ड ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिस्काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन पथर (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन मुक्त (घनमीटर)
प्रथम वर्ष	20,080	प्रथम वर्ष	20,320
द्वितीय वर्ष	28,317	द्वितीय वर्ष	21,832
तृतीय वर्ष	29,129	तृतीय वर्ष	22,961
चतुर्थ वर्ष	22,826	चतुर्थ वर्ष	19,575
पंचम वर्ष	26,006	पंचम वर्ष	20,459

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल डिस्काव, पूंछारीपन) हेतु जल की आपूर्ति अलापाल स्थित निश्चित खानों से एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति साम संघर्षत से माध्यम से की जाती है।

12. पूंछारीपन कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में करी और 7.5 मीटर की गहराई में 1,000 नग पूंछारीपन किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में राजारण पथर खदान अंतर्गत जमांक 24 क्षेत्रफल 1.88 हेक्टेयर क्षमता—68,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिया, जिला-उत्तर बलार जॉर्जर द्वारा दिनांक 26/12/2018 को जारी भी गई। यह स्वीकृति उत्खनन पट्टा अथवा तक (विस्तारित अथवा तक) की अथवा हेतु जारी की गई है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अंतर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार पूंछारीपन नहीं किया गया है।

14. कार्यालय कलेक्टर (खनि उद्योग), जिला- उत्तर बलार जॉर्जर के द्वारा 681/खनिज/उ.प./2020-21 दिनांक 06/10/2020 को अनुसार दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	वास्तविक उत्खनन पथर (घनमीटर)
दिसम्बर 2016	30
2017	53
2018	95
2019	336
2020	79

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों उपराल निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.11	2%	0.54	Following activities at Govt. Middle School Village – Manakeshri	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			<b>Total</b>	<b>0.70</b>

16. माननीय एम.जी.टी., प्रिंसिपल वेद, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पारम्परिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभिप्रेतकृत एपिलेकेशन नं. 189 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनि खण्ड), जिला-उ.प्र. कांठ के ज्ञान जमाक 505/खनिज/उ.प्र./2020-21 कांठ, दिनांक 25/08/2020 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्णय है। आवेदित खदान (ग्राम- मन्केशरी) का सतह 1.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक – श्री संजय कुमारी अहिर्नरी स्टोन क्वारी, (प्री- श्री संजय कुमारी, अहिर्नरी स्टोन क्वारी), ग्राम-मन्केशरी, राष्ट्रीय व जिला-उ.प्र. कांठ के खतरा जमाक 24 में स्थित संधारण कंधर (गणित खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.89 हेक्टेयर में, पत्थर उत्पादन क्षमता-64,725 टन प्रतिवर्ष एवं मुख्य संरक्षण क्षमता-21,300 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में उचित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सन्ध्यात निर्माण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।





10. बैतकी एस.आर. सरकार पुरखुदी ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी, ग्राम-पुरखुदी, तहसील-पखापुर, जिला-काँकेर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1347)

ऑनलाइन आवेदन - प्रस्ताव नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 162594/2020, दिनांक 11/07/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने से ज्ञापन दिनांक 12/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माँवित जानकारी दिनांक 27/08/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साजलरा जलपर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पुरखुदी, तहसील-पखापुर, जिला-काँकेर स्थित छतरा क्रमांक 174, ब्लॉक क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-67.430 टन प्रतिवर्ष है।

बैतकी का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समर्थ सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-


1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (आवेदकी बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि स्वामित्व सक्ती दस्तावेज की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित सर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोदस्ता सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूंजायोग की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोदस्ता सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संबन्धित है, तो विगत वर्ष में वर्षात विद् नए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण से राज्य प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोदस्ता) को राज्य आगामी सत्र की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुबिर सिंह सरकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत मरीचा का दिनांक 18/08/2018 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — जारी प्लान विथ प्रोवैसिव क्लारी प्लोजन प्लान एण्ड इन्वायर्समेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अफियर, जिला — उ.प्र. कांकेर के द्वारा अनांक 263/खनिज/उत्खनन/असा.अनु./2020-21 कांकेर, दिनांक 30/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—उ.प्र. कांकेर के द्वारा अनांक 264(ए)/खनिज/पत्थर/2020-21 कांकेर, दिनांक 30/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शून्य है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—उ.प्र. कांकेर के द्वारा अनांक 264(बी)/खनिज/पत्थर/2020-21 कांकेर, दिनांक 30/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यथा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण — भूमि सार्वजनिक भूमि है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—कांकेर के द्वारा अनांक 199/कले./खनिज/असा.अनु./2020-21 कांकेर, दिनांक 24/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
6. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम बामुप्रतापपुर वनमंडल, जिला—उ.प्र. कांकेर के द्वारा अनांक / मा.वि. / 2020/4848 बामुप्रतापपुर, दिनांक 10/08/2020 को जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
7. किन्टीकट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की किन्टीकट सर्वे रिपोर्ट (District Quarry Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी घान—कुरुहूदी + कि.मी. एवं स्कूल घान—कुरुहूदी + कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 105 कि.मी. एवं राजमार्ग 04 कि.मी. पर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना असावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैविकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संघटा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 1,59,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,08,885 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 1,01,332 टन है। लीज की 7.5 मीटर लंबी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.278 हेक्टेयर है। जोलन कास्ट सेमी मेकनोईज्ड मिट्टि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है; बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं शीलाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी



की मात्रा 21,672 घनमीटर एवं मोटाई 3 मीटर है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल को सिंचनाय किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित प्रत्यक्षन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित प्रत्यक्षन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बंध	7,224	3	21,672	57,431
द्वितीय वर्ष प्रथम बंध	6,193	3	18,579	49,226.4

नोट: खानिका में दशाब्दिक की खाद की जमीं को वाहनद्वारा किया गया है।

11. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी।
12. दूधारेपण कार्य - जैक रोड की सीमा में पारो कोर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 मग दूधारेपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विज्ञान से वर्षा जलसंचय निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.8	2%	0.49	Following activities at Govt. School Village - Phurphundi	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water	0.15
			Total	0.55

15. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में उपरी मिट्टी (Top Soil), रिजर्व एवं बनीफैज की गणना में त्रुटि है। साथ ही 21,672 घनमीटर कुल होना चाहया गया है, जिसके संचालन की व्यवस्था संबंधी विवरण एवं जानकारी का माईनिंग प्लान में उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त की गणना एवं संबंधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सलाहक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. उपरी मिट्टी (Top Soil) के स्टोरेज की उपयुक्त व्यवस्था की जानकारी एवं रिजर्व की विस्तृत गणना एवं संबंधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में उपरोक्त की समाहित करी हुए प्रस्तुत किया जाए।



2. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (including land cost) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावों प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., फरलीसगढ़ की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020 को परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / प्रस्तावों दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी/प्रस्तावों का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. सी.ई.आर.ई.आर. का प्लान विथ कोरेक्टर काटी क्लोजर प्लान एंड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा कक्षात्मक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी सत्र के आगोजित बैठक में पूर्व में गाड़ी सड़क संबंधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावों सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फरलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु की सुवीर सरकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. संशोधित अनुमोदित गाईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार गाईनिंग रिजर्व 82,648 एन एंड क्लिफरेंस रिजर्व 83,712 एन है। औसत बर्डन के रूप में 21,812 घनमीटर भुज्य जमित होगा, जिसे सड़क निर्माण में उपयुक्त किया जाएगा।

2. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3. सामन्वी एन.सी.टी., प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली द्वारा सन्वीड पाथवेज विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलिकेशन नं. 180 सीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.



समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यपालक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-र.म. कांकेर के द्वारा जम्मा नम्बर 284(ए)/खनिज/पावर/2020-21 कांकेर दिनांक 30/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य खदानों की संख्या निर्णय है। आवेदित खदान (घान-पुरचुंदी) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संभावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स एल.आर. सरवतल पुरचुंदी आर्किनेरी स्टोन क्वारी, घान-पुरचुंदी, तहसील-पचकपुर, जिला-कांकेर के खसरा जम्मांक 114 में विगत सञ्चालन पावर (बीएम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में, उत्पादन क्षमता-67,430 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिव्य करने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) दिल्लीसंगठ को तयानुसार भुक्ति किया जाय।

11. मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमिटेड (इंचार्ज- श्री अंकुश रेड्डी, बेंद्री लाईन स्टोन क्वारी), घान-बेंद्री, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्की जम्मांक 1462)

ऑनलाईन आवेदन - जम्मांक नम्बर - एसआईए / सीडी / एचआईएन / 182258/2020, दिनांक 06/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पुनः पावर (बीएम खनिज) खदान है। खदान घान-बेंद्री, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर विगत खसरा जम्मांक 1/13, कुल क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 8,00,167.8 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 11/11/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सतसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सू-सचिव संबंधी प्रस्तावित प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यपालक कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सदिर, मरगाह, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्लीसंगठ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) दिल्लीसंगठ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित शर्तों के अन्तर्गत



में की गई कार्रवाई की जानकारी कोटीवाला सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही  
कुशाढेय की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटीवाला सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान भूरी से संयोजित हो, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की  
कार्यात्मक सजा की जानकारी खनिज विभाग से प्रयोगित कर कर प्रस्तुत की  
जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण  
विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्या पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन  
कोटीवाला) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण विवे करने  
हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रतीभापुर के ज्ञापन दिनांक  
02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अंशुला रेड्डी, जेनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती,  
प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत  
बन्दी का दिनांक 12/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान एलिंग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान विथ  
प्रोपोजेड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.उ.)  
संवालयालय, भूमि/वी तथा खनिकर्मा तथा रायपुर अटल नगर, के ज्ञापन क्रमांक  
4379/खनि 02/स.प.अनुभोवन/न.उ. 04/2019(2) तथा रायपुर, दिनांक  
31/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त),  
जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1141/ ख.लि./ सीम-8/ 2020 रायपुर,  
दिनांक 01/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर  
अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय  
कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1148/ ख.लि./  
सीम-8/2020 रायपुर, दिनांक 02/11/2020 के अनुसार सजा खदान से 200  
मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, बरखट,  
अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।  
सजा 50 मीटर दूर स्थित है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त),  
जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ क/ ख.लि./ सीम-8/ स.प.अ. / 2020/  
1004 रायपुर, दिनांक 12/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष  
हेतु वैध है।
6. भू-स्वामित्व — भूमि श्री विठ्ठल माधुली के नाम पर है। उत्खनन हेतु सख्त  
पत्र प्रस्तुत किया गया है।



7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. कम विभाग का अनाथित प्रमाण पत्र – कार्यालय जनसम्वत्सिकादी राष्ट्रपुत्र जनसम्वत्सल, नई श्रापण क्रमांक 3733 दिनांक 03/11/2020 से जारी अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घान-केन्टी 2 कि.मी. सकुल व अस्पताल घान-केन्टी 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है।
10. पारिविधितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिषोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमकारण्य, केन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिविधितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,26,500 टन साईनेबल रिजर्व 94,32,870 एवं निकरैबल रिजर्व 9,01,805 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,480 वर्गमीटर है। खोपन कास्ट बोरी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 36,880 एनमीटर एवं सौटाई 2 मीटर है। रोष की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। सीज क्षेत्र में कला अशापण का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कांटोल क्वान्टिफ किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेमक किया जाएगा। सर्वेकार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्ननुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,895
द्वितीय	8,895
तृतीय	8,895
चतुर्थ	8,895
पंचम	8,895
कुल	44,475

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,895
द्वितीय	8,895
तृतीय	8,895
चतुर्थ	8,895
पंचम	8,895
कुल	44,475

नोट: तालिका में पञ्चमवर्ष के बाद के वर्षों को सारण्यजीक किया गया है।

12. धूल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक धूल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। धूल की आपूर्ति टैकरी की सहायता से कर कर किया जाना प्रस्तावित है।
13. कुआरौपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की गहरी में 1.385 मग कुआरौपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- पूर्व में पूर्व बंधर खदान खसरा क्रमांक 1/13 का भाग, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, क्रमांक- 82,000 टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निदेशक प्रधिकरण, जिला- रामपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति शर्त तम की अर्थात् हेतु जारी की गई थी।
  - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - निर्धारित शर्तनुसार कुआरौपण नहीं किया गया है।
  - कार्यालय कलेक्टर (एचएन हाथर), जिला-रामपुर के ज्ञापन क्रमांक 1421/अ.ति./वीन-4/2020 रामपुर दिनांक 09/12/2020 के अनुसार विगत वर्षों में 04 खदानों को द्वारा किये गये उत्खनन की जानकारी दी गई है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदित खदान से विगत वर्षों में कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से धर्मा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1.97	2%	3.95	Following activities at Govt School & Panchayat Bhawan, Village- Bandri	
			Solar Panel (1KV)	2.25
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Plantation at Village	0.65
			<b>Total</b>	<b>3.95</b>

16. प्रस्ताविकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र को घाटी और 7.5 मीटर क्षेत्र को कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी की मात्रा, जिपसोविकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व की मात्रा व ऊपरी मिट्टी की मात्रा को संभारण/प्रबंधन हेतु प्रस्ताव का प्रावधान की



नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुए संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उपरोक्त बिन्दु 18 में दिये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार दिनांक 07/05/2020 में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / वसतावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेचर्स की शक्तिशालत खाई (बैलटिकरी ब्लेराइट स्टोन माईन), ग्राम-बैलटिकरी, तहसील व जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1258)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एसआईए / सीपी / एम्प्लॉय / 140973/2020 दिनांक 13/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से कारण दिनांक 12/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह घूर्ण से संशोधित साधारण पथर (ब्लेराइट) (सील खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बैलटिकरी, तहसील व जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 1463, कुल क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,430.61 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सील क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र के यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कुल खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (या संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक सील के परिसरों के बीच पूरी तरह सही खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिश्रण क्षेत्र में विचारयोग्य खदान के सील सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए जब इस प्रकार शामिल खदानों के सील सीमा के 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जब तक 500 मीटर की

दूरी में कोई खतरा अवस्थित न हो, शामिल किया जाना चाहिए। अंतः-उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समायात निर्धारण अधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण अधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित सर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसमस्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रकटावण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसमस्त सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत वर्ष में किए गए उखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से इभाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिषदीन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसमस्त) के साथ आवामी माह की आवेजिता बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आवामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2020 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/11/2020 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

**(ब) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 11/11/2020:**

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आवामी माह के आवेजिता बैठक में पूर्व में जारी गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई प्रतिनिधि नवाई, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्तराखण्ड की संख्या में ग्राम पंचायत बेल्टिकरी का दिनांक 18/02/2018 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सरसभम योजना - क्वार्टी प्लान इन्फ्लैमेटोरी मैनेजमेंट प्लान एमड ज्वरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम संख्यांक (ख.प्रसा), जिला-कोसक के द्वारा क्रमांक 32/खनि-1/2018 कोषक, दिनांक 01/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 3380/खनिज/2020 सुरजपुर दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित जमा 1 खदान, संख्यांक 2 इस्टेयट है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 3380/खनिज/2020 सुरजपुर दिनांक 11/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जहां खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, गुल्म बांध, एरीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रभावित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है, जिसने लीज की तिथिगत कार्य के नाम पर है, लीज डीड 20 वर्षों अवधि दिनांक 18/10/2002 से 17/10/2022 तक की अवधि हेतु है। उपर्युक्त लीज डीड दिनांक 17/10/2022 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदा अधिकारी, सुरजपुर वनसम्पदा, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक/म.वि./2002/2158 राजनांदना, दिनांक 26/09/2002 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घास-बेल्टिकरी 1.2 कि.मी., स्कूल सुरजपुर 8 कि.मी. एवं अस्पताल सुरजपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 कि.मी. एवं राजमार्ग 23.5 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकरी पीएलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।



10. **खनन संघदा एवं खनन का विवरण** – माइनिंग प्लान में जिब्रोलाइटिकल रिजर्व 1.12.379 टन एवं रिजर्वेशनल रिजर्व 73,487 टन बताया गया है। विगत 3 वर्षों में 14,253 टन उत्खनन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में रिजर्वेशनल रिजर्व 59,235 टन शेष है। लीज की 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 971 वर्गमीटर है। जोपन लाइट सीमी सेवेन्टाईज्ज विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की इस्तेमाल अधिकांश गहराई 8 मीटर है। वर्तमान में 2.5 मीटर गहराई तक उत्खनित क्षेत्र लगभग 3,970 वर्गमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खर स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना का इस्तेमाल नहीं गया है। जेका डेनर से इतिहास किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्राया किया जाता है। वर्षवार इस्तेमाल उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020	12,431
2021	12,431
2022	6,656
2023	6,656

नोट: तालिका में वर्तमान के बाद के वर्षों को अप्रस्तावित किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंक्राया, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निश्चित खदानों में एकत्रित जल एवं पंपजल की आपूर्ति द्वारा संभवता से संभव है की जा सकती। इस बावजूद जल संभार से सम्बन्धित की जा सकती।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर की पट्टी तथा पट्टा की तरफ छोड़े गये 10 मीटर क्षेत्र में 592 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
- पूर्व में पत्थर खदान परतत क्रमांक 1483 कुल क्षेत्रफल -0.74 हेक्टेयर, क्षमता - 12,430.81 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण सभागत मिनीस्ट्रम अधिकरण, जिला- सुल्तपुर द्वारा दिनांक 19/12/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
  - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।



iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सुल्तपुर के ज्ञापन क्रमांक.../ खनिज/2020 सुल्तपुर, दिनांक 09/12/2020 द्वारा विन्ता वर्ड ने किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	4,702
2018	3,125
2019	6,390
कुल	14,217

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्ड द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.13	2%	0.18	Following activities at Govt Primary School, Village- Boltikari	
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			<b>Total</b>	<b>0.20</b>

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उत्खनन में शामिल नहीं किये जाने, उत्खनन हेतु एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, अधिकतम गहराई 8 मीटर तक सीमित रखे जाने, उत्खनन कार्य केवल मैनुअल विधि से किये जाने के कारण निम्नानुसार माईन सीज सम्पत्ती के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की गड्ढी खोदी गई है।

16. समिति के संज्ञान में लाया गया कि माईन एक्ट, 1952 (खानों में जीन शोध कर्म के विनियम से संबंधित) की धारा 3(1) के अनुसार खदान में उत्खनन हेतु किसी एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, 8 मीटर से अधिक गहराई तक (सम्भवतः से न्यूनतम बिन्दु तक) उत्खनन नहीं होने तथा उत्खनन हेतु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के कारण माईन एक्ट, 1952 लागू नहीं होगा। फलस्वरूप सीज शोध की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की सुरक्षा गड्ढी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार माईन सीज शोध की सीमा में चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की सुरक्षा गड्ढी खोदी जाने को मान्य किया गया।

17. वामनीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायेय विरुद्ध भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायिक न्याय और उच्चतम न्यायिक परिषदों में मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एन.जी.टी. नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को दायित्व आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आर्वालय कोलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक 3390/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-बेलटिकरी) का रजवा 0.74 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बेलटिकरी) को मिलाकर कुल रजवा 2.74 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का इससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - श्री विठ्ठल शर्मा (बेलटिकरी कोलेक्टर स्टोन माईन), (प्रे- विठ्ठल शर्मा, बेलटिकरी कोलेक्टर स्टोन माईन), घाम-बेलटिकरी, लहरील व जिला-सुरजपुर के खाना क्रमांक 1483 में विगत साधारण पत्थर (कोलेक्टर) (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.74 हेक्टेयर में, उत्खनन क्षमता-12,430 टन प्रतिवर्ष हेतु परिवर्षित-05 में उचित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सरकार पर्यावरण समाचार निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), जलसीमाद को तबानुसार सूचित किया गया।

एन.जी.टी. आवेदन क्रमांक-3: एस.ई.आई.ए.ए., जलसीमाद से दिनांक 09/12/2020 तक प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स वी.ए. इन्डिया माइनिंग कॉर्पोरेशन, घाम-गोड़ी, लहरील-आरण, जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1481)

ऑनलाईन आवेदन- प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 57708/2020, दिनांक 08/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाम-गोड़ी, लहरील-आरण, जिला-सुरजपुर विगत खाना क्रमांक 298/3, 305/11, 487/3, कुल क्षेत्रफल - 1.22

इसके अलावा में स्थायी बेनिफिटेशन (रेन्यूएबल) यूनिट एवं मैनुफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, साइडिंग, पाइपिंग और स्थायी क्षमता - 89,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणमैत्रीय सीमेंटी उत्पाद करने के लिए टीओआर बाबत आवेदन किया गया है।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. परीक्षण में स्थापित इकाई हेतु छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी समिति शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
3. विन्दुवार छातीसंगठन सीटीए ज्वॉइन्टी द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेक जॉन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. स्थापित एवं प्रस्तावित वेन वाटर ट्राईमिटेड व्यवस्थाओं का विवरण (लेआ एवं साइज सहित) प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
5. से-आउट में स्थापित / प्रस्तावित प्लांटोपन को चलाते हुए प्लांटोपन की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। प्लांटोपन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सनस्ट पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ अगामी माह की अधोक्षित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सीमटी आरटी गुग्ग (अर्जिन्टी स्टोन साइनिंग), धाम-पस्ता, तहसील-रामानुजपुर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1403) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एफआईए / सीपी / एस्आईए / 182808 / 2020, दिनांक 09/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से स्थापित अर्जिन्टी स्टोन साइनिंग (सीम खनिज) खदान है। खदान धाम-पस्ता, तहसील-रामानुजपुर, जिला-सूरजपुर स्थित खदान क्रमांक 188 कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की अधोक्षित परखाने क्षमता-7,740.68 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कालेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान की 300 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट होने अवकाश न होने बाबत जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान की 500 मीटर के भीतर आवेष्टित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. सू-सामिदा संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेष्टित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयस्तरीय अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेष्टित बार्ड के फलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुलखनन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत बार्ड में किए गए उखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी भादू की आधौनिका बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री भावेश कुमार वैद (भरकाटीला लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम-भरकाटीला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सकियालख का नक्की क्रमांक 1424)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एनआईए / सीजी / एमआईएम / 179888 / 2020, दिनांक 18 / 10 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने से ज्ञात दिनांक 27 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 08 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघारित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भरकाटीला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित गार्ड डीप खसरा क्रमांक 345 कुल क्षेत्रफल-2.918 हेक्टेयर में है। खदान की आवेष्टित कुलखनन क्षमता- 80,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. खान पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।



2. पूर्व में आवेदित स्थल पर सख्त हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्रतिक्रमण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ अधिका जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्रतिक्रमण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियमित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुलदेवता की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्ष में किए गए उद्योगों की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से उपार्जित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / वास्तविक (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

4. मेसर्स की समीर पौद्दार (खुसीपार जार्डिन स्टोन कार्डिन), ग्राम-खुसीपार, तहसील-खीरागढ़, जिला-राजनांदगांव (राजिवालय का नक्सी क्रमांक 1422)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 170589 / 2020, दिनांक 18 / 10 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में अंतिमी होने से छापम दिनांक 29 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावक का विवरण - यह प्रस्तावित चुन फाकर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खुसीपार, तहसील-खीरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 34(घाटी), 36(घाटी), 38 / 3(घाटी), 37 / 3, कुल क्षेत्रफल-1383 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उद्योग संख्या-74035 दल प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(क) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा उद्योग की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त संवैधानिक से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एस.आई.आई. की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. अधीनस्थ कन्वेक्टर (खनिज बांधा) टाइट उच्च खदान के 200 मीटर की परिधि में तहिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने व्यवस्था न होने बावजूद जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर सख्त हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्रतिक्रमण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ अधिका जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्रतिक्रमण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियमित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुलदेवता की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।



4. यदि खदान पूर्व से संघातित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त करा कर प्रस्तुत की जाए।
  5. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
  6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अखनन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी बैठक की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाय।

**5. मेसर्स श्री सप्रेमश्याम गुप्ता (खमटोला क्वार्टरज माईन), ग्राम-खमटोला, तहसील-मोहला, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1301)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एनआईए / सीजी / एनआईएन / 183225 / 2020, दिनांक 14 / 05 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से ज्ञात दिनांक 27 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 10 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघातित क्वार्टरज (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खमटोला, तहसील-मोहला, जिला-राजनांदगांव सिधा खसरा क्रमांक 9/1, 10, 12/1, 12/2 एवं 18, कुल क्षेत्रफल-4.927 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7.664 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा उत्खनन की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सीन सीन की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खण्ड) द्वारा उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में स्ट्रिप मसफ्ट, अस्थान, रकून आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंध जानकारी की गहरीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खण्ड) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य खदानों के संबंध में जानकारी की गहरीय प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्बंधित विचारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.), अखिलसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बंधित विचारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.), जलीलसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जली पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अवशिष्ट कर्तों के खनन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लेयरेंस की अखनन निष्पत्ती की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ जगदानी गांव की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार कृपित किया जाए।

8. मेसर्स श्री जी. डी. जसवानी (नवानांव लाईन स्टोन खारी), ग्राम-नवानांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसती क्रमांक 1444)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त संखर - एसआईए / सीपी / एनआईएन / 180885/2020, दिनांक 28/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनियो होने से ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घोषित जानकारी दिनांक 10/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित पुरा पाथर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवानांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव जिला कट्टे अर्थिक खसरा क्रमांक 200/1, कुल क्षेत्रफल-0.253 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिती की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिती द्वारा प्रकरण की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यलय कार्लेक्टर (खनिज सखर) द्वारा जारी उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में नदिर, कचरा, अस्पताल, स्कूल, जदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अवकाश होने बाधत जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यलय कार्लेक्टर (खनिज सखर) द्वारा जारी उक्त खदान से 500 मीटर की मीटर अवरिधत अन्य खदानों (जिसने वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उपलेख ही) के संबंध में जानकारी की पठनीय प्रति (जायक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर परीकरण समन्वयत निर्वालय अधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) परीक्षणक अध्याय जिला स्तरीय परीकरण समन्वयत निर्वालय प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) इस्तीराफ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी परीकरणक स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिचित सार्ति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही एकांठेपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से जमानित कर कर प्रस्तुत की जाए।

सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री जी. डी. जसवानी (नवानांव लाईम स्टोन कार्बन), ग्राम-नवानांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1442)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए / सीपी / एनआईएन / 180851 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने से कारण दिनांक 07 / 11 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पंक्ति जानकारी दिनांक 10 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघटित वृक्ष पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवानांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ले ऑफ इन्डस्ट्र क्रमांक 260 / 1, कुल क्षेत्रफल-1.215 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श कक्षांत सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्बोलेय कार्बोनेट (खनिज साठा) द्वारा जारी उक्त खदान से 300 मीटर की गीतर अवधिगत अन्य खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) के संबंध में जानकारी की पठनीय प्रति (जोडक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत जाए।
2. पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारित प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), प्रतीसमूह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारित प्रधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), प्रतीसमूह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित नक्सी के मातल में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुश्लेषण की अद्यतन निशुद्धि की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
3. दिनांक वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मैसर्स श्री जी. डी. जसवानी (नवागांव लाईन स्टोन माईन), धाम-नवागांव, तहसील व जिला-राजगांवगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1443)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 180893 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञात दिनांक 07 / 11 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी दिनांक 10 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित कृता पत्थर (गोथ खनिज) खदान है। खदान धाम-नवागांव, तहसील व जिला-राजगांवगांव विधात पार्टी ऑफ़ खसरा क्रमांक 200 / 1 कुर क्षेत्रफल-0.972 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4.500 टन प्रतिवर्ष है।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण को नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अधोलिखित सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय सलेक्टर (खनिज राख) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में गेट, बरफ्ट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंध जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय सलेक्टर (खनिज राख) द्वारा जारी उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों (निचले वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) की संबंध में जानकारी की पारस्परिक प्रति (आवेक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्देश्य प्रतिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.), जलीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्देश्य प्रतिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.) जलीसंग्रह द्वारा कार्यालयीय स्वीकृति की गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित पार्टी के पास में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसंग्रह सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरोपेक्षा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसंग्रह सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारंवारिक नक्शा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत तार प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसंग्रह) के साथ आगामी बैठक की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवसे ज्ञान हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

8. मेसर्स श्रीमती हीरोबाई गोड (देवडींगर ज़ाईन स्टीन साईन), ग्राम-देवडींगर, तहसील व जिला-राजनांदगाव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1298)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 152530 / 2020, दिनांक 05 / 05 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापन दिनांक 27 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 11 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवडींगर, तहसील व जिला-राजनांदगाव स्थित खदान क्रमांक 344 (पार्ट), 350 / 1, 350 / 2, 350 / 3, 351, 352, 352 कुल क्षेत्रफल-1.95 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-16,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त शर्तसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. ग्राम पंचायत की अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (दिनांक सहित) प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुलन निरीक्षण प्रतिक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), जलसंग्रह अधिकां जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुलन निरीक्षण प्रतिक्रिया (जी.ई.आई.ए.ए.), जलसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के अन्तर्गत की गई कार्यालयी की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुसरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में सिद् एण्ड सन्सन् की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन प्रोटोकॉल सहित) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्रीमती नीलम चौधुरी (बंकरदास ज़ाईन स्टीन साईन), ग्राम-बंकरदास, तहसील व जिला-राजनांदगाव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1295)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 152544 / 2020, दिनांक 05 / 05 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापन दिनांक 27 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 11 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघटित घुमा घाबर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाग-बंजरदाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव विधा पार्टी जौक खदान क्रमांक 381/1, कुल क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-49,396 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघात निर्देशन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र अथवा जिला कारीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित कारी के मास में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए; साथ ही पुनरोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जागवारी अग्रिम विधान से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत जसतय पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री रागीर थोददार (बंजरदाल जर्ईम स्टोन कर्ईन), घाग-बंजरदाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव (शक्तिवालय का नस्ती क्रमांक 1292)

ऑनलाईन आवेदन - उत्तीर्ण नम्बर - एसआईए / सीडी / एम्आईएम / 142853/2020, दिनांक 06/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में समिती होने से जायन दिनांक 27/09/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्पित जानकारी दिनांक 11/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघटित घुमा घाबर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाग-बंजरदाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव विधा पार्टी जौक खदान क्रमांक 381/1, कुल क्षेत्रफल-1.942 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-38,800 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगर अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोवाकस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोवाकस सहित प्रस्तुत की जाए।
  2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
  3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
  4. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोवाकस) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवस के लिए निर्दिष्ट किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. वेदांत लिमिटेड आइडनरी स्टोन क्वारी (पार्टनर - श्री ननीष सोमानी) ग्राम-लिमेड, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1466)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए / सीजी / एमआईएन / 182528/2020, दिनांक 12/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सखारण पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-लिमेड, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर जिला सखारण क्रमांक 141 कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जांचणन क्षमता-48,477 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अधरांत कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की परीक्षा प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगर अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोवाकस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोवाकस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।





4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ अगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री प्रभात चौहान), धाम-बनहरदी, तहसील-झोंगरगांव, जिला-राजगांवगांव (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1282) ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 147848 / 2020, दिनांक 02 / 04 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से सामन दिनांक 08 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 12 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबद्धित घुन पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान धाम-बनहरदी, तहसील-झोंगरगांव, जिला-राजगांवगांव स्थित खसत क्रमांक 431 / 1, 2, 432 / 1, 2, 3, 433 / 1 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020.

समिति द्वारा प्रकरण की नक्का एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से विध्वानुसार निर्णय किया गया:-

1. वर्तमान में स्थापित इन्साई हेतु पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की विध्वानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण एवं जल सतरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खानोपयोग की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की सहायिक माफ़ की जानकारी कथित विभाग से प्रकथित कर कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ अगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



14. मेसर्स श्री विभूति शुक्ला (बठिन्ना बिल्डिंग अर्थ वर्ल्ड क्वारी साईन एवं फिक्सा विमनी बिल्डिंग प्लॉट), ग्राम-बठिन्ना, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1468)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 183314/2020, दिनांक 13/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बठिन्ना, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा विभाग खसरा क्रमांक 248 एवं 249, कुल क्षेत्रफल - 1.27 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,200 मसरीटर (जाल ईट उत्पादन 12,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की गती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रतिक्रिया (एल.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में ही गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृषाक्षेत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघटित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की सांख्यिक खाता की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणीत करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स श्री अमित कुमार जायसवाल (रेवापुर बिल्डिंग अर्थ वर्ल्ड क्वारी एवं फिक्सा विमनी बिल्डिंग प्लॉट), ग्राम-रेवापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1470)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 184037/2020, दिनांक 20/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान एवं फिक्सा विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम -रेवापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर विभाग खसरा क्रमांक 112/1 एवं 112/2, कुल क्षेत्रफल - 1.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 810 मसरीटर प्रतिवर्ष है।



**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नतीजा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधायन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निधायन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित सर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोसहस्र सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसहस्र सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विद्या वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate-Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसहस्र) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स श्रीमती सीमा जामनवाल (रेवतपुर बिक्रम जर्ब कर्ब मधारी गाईन एवं फिक्का विमनी बिक्रम प्लांट), ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर (राजिवालय का नतीजा क्रमांक 1471)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नाम - एलआईए/ सीजी/ एलआईएन/ 184167/2020, दिनांक 20/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (सीम खनिज) खदान एवं विष्क विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर स्थित। खनन क्रमांक 340, कुल क्षेत्रफल - 1.011 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन शक्ति - 810 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नतीजा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. राम पंजाब की अल्पवृत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय (सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. एल.ओ.आई. की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधायन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निधायन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित कर्तों के मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडॉक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशासन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडॉक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए।

- a. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सभिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- b. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व दिवस के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- c. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडॉक्यूमेंट) के साथ आगामी मंजू की आगोषित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

17. मेसर्स श्री दिल्लीय जायसवाल (देवतपुर बिल्डर वर्कर्स क्लब क्वार्टर एवं फिक्स विमनी बिल्डर मार्ट), ग्राम-देवापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1473)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोग नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 134418/2020, दिनांक 23/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-देवापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 178 एवं 179, कुल क्षेत्रफल - 2.347 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 810 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अथवा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. नू-स्वामित्व समीचीन दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर कुल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात नियंत्रण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरप्रदेश अध्याय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात नियंत्रण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) उत्तरप्रदेश द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित कर्तों के मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडॉक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशासन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडॉक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सभिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व दिवस के साथ प्रस्तुत किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) को साथ अगामी बैठक की आवेदित बैठक में प्रस्तुत/प्रस्तुत दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स एच.एन.एस, वाटरवैस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, घास-सिलतारा, सिलतारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एरिया के समीप, जिला-रायपुर (सचिवालय की नक्की क्रमांक 1417ए)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नाम - एचआईए / सीपी / एमआईएस / 57429 / 2020, दिनांक 13 / 10 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से प्रायः दिनांक 31 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 24 / 11 / 2020 को प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्ततः विस्तार के तहत घास-सिलतारा, सिलतारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एरिया के समीप, जिला-रायपुर स्थित वर्तमान क्रमांक 10(1,2,5), कुल क्षेत्रफल - 6.823 हेक्टर में Collection Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWF) के अंतर्गत Incubator क्षमता - 250 कि.घा. प्रतिघंटा से 750 कि.घा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता - 175 लीटर प्रतिघंटा से 625 लीटर प्रतिघंटा, Steamer क्षमता - 500 कि.घा. प्रतिघंटा से 1,000 कि.घा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता - 500 कि.घा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.घा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश लगभग 2.75 करोड़ है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रारम्भ की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु उपरोक्त पर्यावरण सक्षम मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. नुमि स्थापित / नुमि आवेदन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जायें।
3. सेन्ट्रल घास-सिलतारा सीटन अधीनस्थिता द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार परियोजना अंतर्गत सभी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेल जेन के अंतर्गत आने वाले कार्य प्रस्तुत की जायें।
4. स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. स्थापित एवं प्रस्तावित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।



6. स्थापित एवं प्रस्तावित सेन वाटर सर्विसिंग व्यवस्थाओं का विवरण (गैस एवं वायुमंडल सहित) प्रीपैरड प्लान चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
  7. से-आउट में स्थापित / प्रस्तावित वृक्षारोपण की दर्राते वृक्षे वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
  8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
  9. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोशान्त) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

**18. वेस्टर्स की हिलेन्द सिंह बग्गा (दुमरडीहकला लाईन स्टोन क्वारी), ग्राम—दुमरडीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1458)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 180909 / 2020, दिनांक 02 / 11 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से आपन दिनांक 07 / 11 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यचित जानकारी दिनांक 24 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित युवा क्वार (गोल खनिज) खदान है। खदान ग्राम—दुमरडीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित पार्ले ऑफ खसरा क्रमांक 112, कुल क्षेत्रफल—2.772 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता—50,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण-समाधायक निर्धारण प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रत्तीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण-समाधायक निर्धारण प्रतिकल्प (सी.ई.आई.ए.ए.) प्रत्तीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित हर्ता के पालन में परी गई कार्यवाही की जानकारी फोटोशान्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोशान्त सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रभावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स श्री सज्जद कुमार संघेठी (सांख्यिक क्षितिजा फ्लेम स्टोन / साईन स्टोन क्वारी), ग्राम-सांख्यिक क्षितिजा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1248)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 147636 / 2020, दिनांक 08 / 03 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापान दिनांक 18 / 03 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथित जानकारी दिनांक 24 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संघालित फ्लेम स्टोन / फुल पावर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सांख्यिक क्षितिजा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव जिला खसरा क्रमांक 64 / 1, कुल क्षेत्रफल-0.884 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित प्रारम्भिक क्षमता-1,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वशान्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्ण में आवेदित खाल पर खनन हेतु रास्ता स्तर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारित प्रतिक्रिया (एसईआईएए), जलसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारित प्रतिक्रिया (सीईआईएए), जलसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जनकरी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूक्ष्मता की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए संस्करण की वार्षिक मात्र की जनकरी खनिज विभाग से प्रामाणिक करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स श्री मनोज कुमार जैन (शुभश्रीहकला आईन स्टोन साईन), ग्राम-कुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1280)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 150765 / 2020, दिनांक 01 / 04 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन



आवेदन में अमिठी होने से ज्ञान दिनांक 12/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पंक्ति जानकारी दिनांक 25/11/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संकलित मृदा पर्यवेक्षण (बीज खनिज) खदान है। खदान घाट-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 30/2, कुल क्षेत्रफल-0.808 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7.830 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नती एच प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विधान विमर्श उपरोक्त शर्तसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) भारतीयगढ़ जघया जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रधिकरण (बी.ई.आई.ए.ए.) भारतीयगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों को फलन में की गई शर्तसम्पत्ति की जानकारी जोड़ोद्योग सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही मूलादीप की अद्यतन स्थिति की जानकारी जोड़ोद्योग सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विधात शर्तों में किए गए उत्खनन की आस्ताविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रामाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आस्ताविक मात्रा की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तत्कालानुसार सुचित किया जाए।

22. पंसार की मनोज कुमार खैन (दुमरडीहकला लाईन स्टोन लाईन), घाट-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (साधिवलय का नती क्रमांक 1205)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एन.आई.ए. / सीजी / एम.आई.एम / 148200/2020, दिनांक 17/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अमिठी होने से ज्ञान दिनांक 23/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पंक्ति जानकारी दिनांक 25/11/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संकलित मृदा पर्यवेक्षण (बीज खनिज) खदान है। खदान घाट-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 30 एवं 22, कुल क्षेत्रफल-1.821 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-13.125 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -





(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020-

समिति द्वारा प्रकरण को नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निदेशन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निदेशन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नुकसानोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. खदान पूर्व से संचालित है, विगत वर्षों में किए गए प्रदूषण को वास्तविक मात्रा की जानकारी सुनिश्चित किया से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रत्येक पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी सत्र की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

23. मेसर्स श्री पदमचंद जैन (दुमरवीहकला लाईन, गटोन, माईन), ग्राम-दुमरवीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1281)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए / सीजी / एमआईएम / 150780 / 2020, दिनांक 01/04/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से जापन दिनांक 08/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 25/11/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - खान पूर्व से संचालित पूरा खनन (गोण समिअ) खदान है। खदान ग्राम-दुमरवीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खनन क्रमांक 172/2, 173/2, 174, 175 एवं 176/2, कुल क्षेत्रफल-1.883 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित संखनन क्षमता-12,300 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निदेशन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निदेशन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नुकसानोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिकि माह की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन कोटिंग्स) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

24. मेसर्स श्री गिनरला, जीराईकला लो-पेंड साईंग स्टोन क्वारी (प्री- श्री अशोक कुमार रायोर), ग्राम-जीराईकला, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-बांस (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1474)

जीनसाईन आवेदन - संयोजक नंबर - एसआईए / सीडी / एचआईए / 185027 / 2020, दिनांक 28 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पूर्ण पत्थर (पीग खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जीराईकला, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-बांस स्थित खसरा क्रमांक 1027/1ख, 1027/1ख, 1302/1ख, 1303/1ख, 1302/2, 1303/2, 1302/1ख, 1303/1ख कुल क्षेत्रफल-1.528 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नती एव प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण एवं विचार विमर्श चरणोंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. मात संशोधन को अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्दनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित समत पर खानन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (एसईआईएए), पर्यावरण अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (सीईआईएए), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं सचिरोक्ति शर्तों के पालन में ही नई कार्यवाही की जानकारी कोटिंग्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रसारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटिंग्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्ण से संशोधित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिकि माह की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन कोटिंग्स) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।



25. मेसर्स श्री अकिल गुप्ता (मसीए सोफ्ट माईनिंग, धाम-नसीरा, तहसील व जिला-कोण्डागांव), टिकराघाट, जनकपुर गाई, कांकेर, जिला-उ.प्र. कांकेर (सचिवालय का नसीर क्रमांक 1475)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 185131/2020, दिनांक 28/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरा से संबंधित रेत खदान (सीध खनिज) है। यह खदान धाम-नसीरा, तहसील व जिला-कोण्डागांव स्थित खदान क्रमांक 478, कुल क्षेत्रफल - 8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नसीरा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10/12/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नसीर एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, वर्तमान में रेत साठ के लेवल्स (Levels) लेकर चिह्न रेत में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। इसके अतिरिक्त खनन सीमा के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साठ के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाए। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परी वेथ मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टेम्परी वेथ मार्क (TBM) में आर.एस. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। चिह्न रेत में टेम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी चर्चाकर, उन्हें खनिज विभाग से इनामोकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 75 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नदी पर चर्चाकर, इसका बरतलेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाए। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खदान से निकटतम गुरु, श्वर, एनीकट एवं अन्य आधुनिक स्तूपों की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। घुल / एनीकट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आखर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अवसरानुसार नदी पर विनियत कर, बरतलेख सीमा पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाधा बरतलेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पि) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु योजना भी प्रस्तुत किया जाए।



6. पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्रामा सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्खनन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोप्रामा सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में गैर के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरक्षित जानकारी / प्रस्तावक (अद्यतन फोटोप्रामा) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

28. मैसर्स श्री हरिवंशकर जागरणवाल (सुनियादीष्ट बिस्व अर्थ वाले स्वारी एम्ब फिक्स बिमनी प्रांटे) ग्राम-सुनियादीष्ट, तहसील ब जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1402)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्बआईएन/ 174324 / 2020, दिनांक 22 / 09 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से ज्ञात दिनांक 07 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिचित जानकारी दिनांक 27 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान एवं फिक्स बिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-सुनियादीष्ट, तहसील ब जिला-सुरजपुर जिला खसरा क्रमांक 1273 कुल क्षेत्रफल - 0.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,073.23 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. ग्राम पंचायत को अनाघात प्रकल्प पत्र की पटनीय प्रति (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में



की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबालू सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोबालू सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए वनखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोबालू) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

27. बेंसल सहसपुर डीसीआईट क्वारी (जी- बी प्रवेश तिहारी), ग्राम-सहसपुर, सहसल-जोरनी, जिला-मुनेली (सविहालय का नसीब क्रमांक 1477)

खनिजाईन आवेदन - प्रयोजन गन्ना - एसआईए / सीपी / एमआईए / 143887 / 2020, दिनांक 27 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह अस्तमित डीसीआईट (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सहसपुर, सहसल-जोरनी, जिला-मुनेली जिला खसरा क्रमांक 38/1, 40/2, 40/3, 50/4, 51/1 एवं 51/2, कुल क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8.000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रारम्भ की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अचरित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित क्वारि पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्पादात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पादात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अपिरोहित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबालू सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोबालू सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संवर्धित है, तो विगत वर्षों में किए गए वनखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोबालू) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

28. मेसर्स श्री जय जम्बे डिवस इन्फ्रस्ट्रक्चर मारगांव-2 आर्किटेक्चर स्टोन माईन (प्री- श्री मनोज कुमार जैन), ग्राम-मारगांव, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1293)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152478/2020, दिनांक 04/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से खदान दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण - यह पूर्व से संश्लिष्ट साधारण खदान (नौम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मारगांव, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजनांदगांव विद्युत पार्ट ऑफ खाना क्रमांक 442, ब्लॉक डेवलप-3 ईस्टेयर में है। खदान की आवेदित कन्वन्शन एरिया-14,400 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नक्सा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अवसर्त सबसम्पत्ति से विम्नानुसार निर्मात किया गया:-

1. खान संश्लेषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्वतः पर खनन हेतु सम्यक् स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (डी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय सीक्युरिटी की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी की प्रति एवं अतिरिचित डेटा के फालन में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोवाकस सहित प्रस्तुत की जाए; साथ ही कुशाचेपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोवाकस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रकथित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोवाकस) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसारे सूचित किया जाए।

29. मेसर्स श्री जय जम्बे डिवस इन्फ्रस्ट्रक्चर मारगांव आर्किटेक्चर स्टोन माईन (प्री- श्री मनोज कुमार जैन), ग्राम-मारगांव, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1290)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152430/2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से खदान दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संघटित सामान्य पक्ष (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम—मरवांड, तहसील—डोंगरवांड, जिला—राजनांदगांव स्थित प्लॉट क्रमांक 442, कुल क्षेत्रफल—4.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता—12,990 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की सली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. नई में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निदेशक प्रविष्करण (एसईआईएए), उत्तरीसमूह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशक प्रविष्करण (डीईआईएए), उत्तरीसमूह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्राम सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोप्राम सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से अनुरोध करत कर प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Enhancement Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोप्राम) के साथ आगामी चार की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तबानुसार सुचित किया जाए।

30. बैसरा श्री रामोदर पास मूतका (बीजाभांडा आर्बिनरी स्टोन माईन), ग्राम—बीजाभांडा, तहसील—डोंगरवांड, जिला—राजनांदगांव (संविधान संख्या 1291)

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोजन संख्या — एसआईए / सीडी / एमआईएन / 152437 / 2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन से समितियों होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संघटित सामान्य पक्ष (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम—बीजाभांडा, तहसील—डोंगरवांड, जिला—राजनांदगांव स्थित प्लॉट क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल—3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता—18,720 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020



समिति द्वारा प्रकल्प की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. काम पंखागत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पटनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), उत्तरीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (सीईआईएए), पत्नीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यावाही की जानकारी फोटोसाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन विधिति की जानकारी फोटोसाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की सामाजिक न्याय की जानकारी सविनय विवरण से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसाफ्त) के साथ आगामी न्याय की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

31. मेसर्स श्री अशोक कुमार अववाल (जिला रोड नार्डन, ग्राम-तिलदा, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा), अववाल नगर नार्डन नं. 3, बकलतरा, जिला-जांजगीर-बांधा (सचिवालय का नसती क्रमांक 1482) ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीडी / एसआईएम / 185983 / 2020, दिनांक 02 / 12 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघलित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-तिलदा, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा स्थित खदान क्रमांक 2009, कुल क्षेत्रफल - 2.02 हेक्टर में है। उत्खनन खानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. काम पंखागत के अनुमति प्रमाण पत्र की पटनीय प्रति (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुण 25 मीटर का गिड बनाकर, संचालन में रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेकर गिड में अवर्धित कर



प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (कोई ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटहरे के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उच्च लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ट्रिबल में से टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रत्यक्षतापूर्वक जानकारी सहित जानकारी / वस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 25 मीटर या नदी के पट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उपखनन किया जाना संभव न हो तो उसकी रचना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से कराया जाये। खदान को खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीधे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित खान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल संचयन स्थलों की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी को अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अन्तारा पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उल्लेख मौके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाधा उल्लेख किया जाए।
6. रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुल्य निर्देशन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), जलवायु अन्वेषण विभाग स्तरीय पर्यावरण सन्तुल्य निर्देशन प्रधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जलवायु द्वारा पर्यावरणीय स्थिति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति की प्रति एवं अतिरिक्त सर्वे के पालन में की गई आवेदियों की जानकारी फोटोडाक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षापेक्षा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडाक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्षों में किए गए उपखनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अनामी नष्ट की आवेदित बेटों में उपरोक्त स्तर सुसंगत जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन फोटोडाक्यूमेंट) सहित प्रस्तुतीकरण दिदी जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को उद्देशानुसार सूचित किया जाए।



32. मेसर्स अमीत कन्स्ट्रक्शन्स (प्री.- श्री सतीश चन्दवंशी, राजपुर लाईन स्टोन रोडवरी परमिट क्वारी), घाम-राजपुर, तहसील-राहसपुर लोहाटा, जिला-कबीरघाम (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1483)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएम / 188811 / 2020, दिनांक 04 / 12 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना खान (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाम-राजपुर, तहसील-राहसपुर लोहाटा, जिला-कबीरघाम स्थित खसरा क्रमांक 04/1 एवं 04/2, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-54,882.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नगरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अन्तर्गत सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु दण्ड स्तर पर्यावरण समारोह निर्धारण प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जिला स्तरीय पर्यावरण समारोह निर्धारण प्रक्रिया (पी.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम अधीनस्थ स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोडॉक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथकीकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडॉक्यूमेंट सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघटित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडॉक्यूमेंट) के साथ आगामी गृह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तत्पश्चात् सूचित किया जाए।

33. मेसर्स श्री आशीष चौहान (दत्तवाड़ा रोड लाईन, घाम-दत्तवाड़ा, तहसील व जिला-दक्षिण बरतार दत्तवाड़ा), नकुलनगर, जिला-दक्षिण बरतार दत्तवाड़ा (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1408)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएम / 175738 / 2020, दिनांक 27 / 09 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 06 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माहित जानकारी दिनांक 07 / 12 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघटित रेत खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान घाम-दत्तवाड़ा, तहसील व जिला-दक्षिण बरतार दत्तवाड़ा स्थित प्लॉट ऑफ

खसरा क्रमांक 385, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टर में है। उपखनन अतिथी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता - 44,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैंक का विवरण -**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

समिति द्वारा उपखनन की नली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श खपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. एन.ओ.आई./सीज डीक की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान की गहरी 500 मीटर एवं 300 मीटर प्रमाण पत्र (जबकि क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेल उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अवस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का विड बनाकर वर्तमान में रेल राइल की लेवल (Levels) लेकर विड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी राइल की स्लरी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विड मैप में टेम्परी बेस मार्क (TBM) की भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण खपरांत फोटोघ्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
5. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 3.5 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में उपखनन किया जाना संभव न हो तो उसकी समाना कर नली पर दर्शाकर, इराफा जलसंधारण सर्वेक्षण प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन अन्वयन, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नली की दूरी बाध्य जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अवस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अवधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नली पर चिह्नित कर, उसका सीमा पर सीमांकन तथा सर्वेक्षण प्लान में इस बाध्य जलसंधारण किया जाए।
7. रेल उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की चौड़ाई जानने के लिए प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
8. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषण नियंत्रण आयोग द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया (पी.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषण नियंत्रण आयोग द्वारा पर्यावरणीय स्थिति की गई

है, जो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित हर्षों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसहित सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कार्यालय की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसहित सहित प्रस्तुत की जाए।

9. दिनांक वर्षों में विन्ड गगु उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सहित विन्ड से प्रभावित करा कर प्रस्तुत की जाए।

10. सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विप्लव के साथ प्रस्तुत किया जाए।

11. क्षति निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में वेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ लगानी मात्र की आधेनित वेतक में सम्बन्धित सम्बन्ध सुलभत जानकारी / इन्साफेज (अद्यतन फोटोसहित) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

क्षति निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को उपानुस्तर सुचित किया जाए।

34. मेसर्स श्री नवकार स्टोनस (पार्टनर-श्री राजुल कोठारी, दुमरडीहकला लाईन स्टोन क्वारी), धाम-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनामगांव (सविमालय का नरती क्रमांक 1481)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33139/2018, दिनांक 16/03/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 188043/2018, दिनांक 02/12/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित युवा धातु (सीम खनिज) खदान है। खदान धाम-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनामगांव स्थित खदान क्रमांक 118/1 एवं 118/2, कुल क्षेत्रफल-4.448 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आधेनित उत्खनन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. प्रतीसमय के द्वारा दिनांक 07/08/2018 द्वारा प्रकल्प सी-1 क्वेटरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल-2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एन्वॉ ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिवायर्सिब इन्साफरपेट ब्लीवरिज अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) नोन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 02/12/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नरती एवं प्रस्तुत ई.आई.ए./ जानकारी का परीक्षण कर गया गया कि प्रकल्प ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण का है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सम्बन्ध पूर्व



जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आयामी माप की आवधिकित  
बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-4:** परियोजना प्रस्तावकों से संबंधित जानकारी /  
दस्तावेज प्राप्त प्रकल्पों पर विचार कर  
धर्मपरणीय स्वीकृति / टीसीआर हेतु निर्णय  
लिया जाना।

1. मेसर्स श्री फिटलूरी प्रसाद राव (इंजरम सेन्ट्रल माईन्, ग्राम-इंजरम,  
तहसील-कोटा, जिला-सुकमा), पुरानी बस्ती कोटा, तहसील-कोटा,  
जिला-सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1113)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीसी / एचआईएन /  
135829/2020, दिनांक 09/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (पीग खनिज) है। यह खदान  
ग्राम-इंजरम, तहसील-कोटा, जिला-सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 174, कुल गीज  
क्षेत्र 8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उल्लेखित नदी से किना जन्म प्रस्तावित है।  
खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,42,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण को नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय  
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. जलपोषण कलेक्टर (खनिज जाया) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में  
भरिए, कचरा, जलपात्र, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने  
बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम मूल  
बंध, एनिकट एवं जल आपूर्ति स्वीच की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा  
डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का विंगे क्लस्टर  
मान्यता से रेत स्तर के लेवल (Levels) लेकर विंगे निय में प्रदर्शित कर प्रस्तुत  
किये जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क  
(Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में  
आर.एन. को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विंगे निय में  
टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्ही खनिज विभाग से प्रमाणिकरण  
उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने  
के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उताकी वास्तविक  
मोटाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।  
रेत की वास्तविक मोटाई हेतु ध्वननामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की  
जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगम द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगम द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोघांवल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही फुटाउपन की अवलोकन स्थिति की जानकारी फोटोघांवल सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व में संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए एनकाउन्स की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रत्येक वर्ष कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एन. दिनांक 01/09/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित ढांचे में डिस्ट्रिक्ट डी सर्फेस (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. खनिज निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी महीने की अवधिगत बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जलनकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघांवल) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनिज निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.सी., उत्तरीसंगम के द्वारा दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुर्गा सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अरुणी अडवा, खनिज निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिते चर्चा हुई-

1. धाम पंचायत का अनाथित प्रस्ताव पत्र - रेत उखानने के संबंध में धाम पंचायत द्वारा का दिनांक 24/08/2019 का अनाथित प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. किन्दाकित/सीमांकित - कर्पोरल कलेक्टर, खनिज साक्षात् से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान किन्दाकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. संरक्षण योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-पश्चिम बंगाल दुरीवादा के द्वारा क्रमांक 1624/खनिज/उत्ख.पी./2019-20 दुरीवादा, दिनांक 08/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्पोरल कलेक्टर (खनिज साक्षात्), जिला-सुकमा के द्वारा क्रमांक 1346/खनिज/रेत/2020 सुकमा, दिनांक 08/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अंकित अन्य खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणाए - कर्पोरल कलेक्टर (खनिज साक्षात्), जिला-सुकमा के द्वारा क्रमांक 1406/खनिज/रेत/2019-20 सुकमा, दिनांक 24/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

खदान खदान की 200 मीटर की परिधि में खोई की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाग, झील, एनीकॉट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सुक्का के डायन क्रमांक 1213/खनिज/रेल/विपरीत अधिसूचना/2018 सुक्का, दिनांक 28/12/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु थी है।
7. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षक/सुक्का, सुक्का वनमण्डल, जिला-सुक्का के डायन क्रमांक/व.स.अ/88 सुक्का, दिनांक 09/01/2020 को जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदन क्षेत्र वन भूमि की सीमा से मासविक दूरी 6 से 7 कि.मी. है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिकल्पना मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घान-फंदीगुहा 0.67 कि.मी., स्कूल घान-इजल 3.2 कि.मी. एवं जलपान कुंटा 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेल खदान की 200 मीटर की दूरी तक पुल/एनीकॉट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आसंजीवीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कोटवीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी को पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी को पाट की चौड़ाई - अधिकतम 314 मीटर, न्यूनतम 265 मीटर, खनन स्थल की औसत चौड़ाई - 413 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 147 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि नदी को पाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा - 1,50,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिससे अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा (Pit) खोकर उसमें रेत सतह की मोटाई जानने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.5 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु पर्यवेक्षण भी प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलर्स - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का विश्व बनाकर वर्तमान में पीस्ट-मानचूरा (Pest-

Manager) द्वारा दिनांक 20/02/2020 को रेल सतह के लेवल (Level) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – नाला सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बर्बाद उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 34	2%	Rs. 0.68	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Fandiguda	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.14
			Plantation work	Rs. 0.24
			<b>Total</b>	<b>Rs. 0.68</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेल चलाने में मुख्य विधि से एवं भराई का कार्य जॉइन्ट द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि नदी के तट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। खान स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 314 मीटर है। अतः नदी के तट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर सुरक्षा प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही खान गलना के अक्षर पर माईनिंग खनन में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्सवय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अध्याय द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रतिकल्प (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिनियमित कर्तों के कारण से की गई मार्गवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनःसोपन की अद्यतन विधि की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।





2. यदि खदान पूर्व से संशोधित है, तो विना वर्क में किए गए उत्खनन की वारंवारिक मात्रा की जानकारी स्थिति विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
3. नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र का सीमांकन हर स्थिति विभाग से अनुमोदन कालमा प्राप्त तथा संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रभाव में प्रस्तुत किया जाए।

संबन्धित परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, पलौतगढ़ के ज्ञान दिनांक 09/08/2020 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 18/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 18/12/2020:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. संशोधित उत्खनन योजना — संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो हरि हरिस्थानी, जिला-दक्षिण बस्तर दोंगवाड़ा के ज्ञान दिनांक 24/08/2020/स्थिति/व.प. /2020-21 दोंगवाड़ा, दिनांक 28/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. गैर माइनिंग क्षेत्र — नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 314 मीटर, न्यूनतम 268 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है। वर्षे दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = अधिकतम 31.4 मीटर, न्यूनतम 26.8 मीटर अधिकतर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,380 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः इस उत्खनन का कार्य खदान के आवरण 4.27 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. समिति के निर्देशानुसार सीमित पर्यावरणीय दायित्व का विस्तृत प्रभाव प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं सार्वजनिक जागृकों का समावेश नहीं किया गया है। सबसे नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घास-इंजलम) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर का उसने कम होने के कारण यह खदान भी-2 योगी की गानी गयी।
2. बुधशोधन कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 मग लीये - 1,000 मग अर्जुन के लीये तथा बाक 1,000 मग (जामुन, करंज, बांस, आम जदि) लीये लगाए जायेंगे।
3. परिशोधना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Station Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनःनयन (Replenishment) वास्तु सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. जीव क्षेत्र की सहाह का रेसलाईन डाटा -
  - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्टी विज बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (रीन्वी जेड) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तलह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विज बिन्दुओं पर किया जायेंगा।
  - ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरंत मानसून के पूर्व (पूर्व माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्टी विज बिन्दुओं पर रेत सहाह के लेवलस (Levels) का मापन किया जायेंगा।
  - iii. रेत सहाह के पूर्व निर्धारित विज बिन्दुओं पर रेत सहाह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेंगा। वीर-मानसून के आंकड़े विसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं वी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. धर्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से वी विटसूरी प्रस्ताव नद, इंजलम क्षेत्र माईनिंग, घास-इंजलम, तहसील-कोटा, जिला-सुकमा, खरला जम्माक 174, घास-इंजलम, तहसील-कोटा, जिला-सुकमा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से वीर माईनिंग क्षेत्र 8,280 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.27 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की महलाई तक सीमित रखते हुए, कुल 42,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित धर्ती के अधीन वर्षावर्षीय स्वीकृति, जारी विनाक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई कनिर्वा द्वारा (Monthly) की जायेंगी। निर बेड (River Bed) में भारी बट्टनों का प्रवेश प्रतिषेधित रहेगा। जीव क्षेत्र में विज रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जायेंगा।
6. वीर माईनिंग क्षेत्र एवं अपरंत माईनिंग क्षेत्र का वीके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरंत वी खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति वी जायेंगी।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विज बिन्दुओं पर नदी तलह के स्तरों (Levels) का सर्वे कम (वीके-मानसून), उसकी आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. धर्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधिगत प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.) अर्जासमूह की तयानुसार सुधारा किया जाए।

2. मेसर्स डी.डी.गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सुधिकात्मक का नस्ली क्रमांक 1381)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीडी / एम्बआईएन / 869307 / 2020, दिनांक 24 / 07 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सामाजिक कक्ष (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा स्थित कसर क्रमांक 217/31 एवं 217/32, कुल क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुलखनन क्षमता - 09.417 टन प्रतिवर्ष है।

बीतकों का विवरण -

(ख) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तराधिकार सर्वेक्षणों से विधिवानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. मेसर्स डी.डी.गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा द्वारा विभिन्न खसरा क्रमांकों एवं क्षेत्रांकों हेतु प्रकल्पों (जिसका क्रमांक 218/29, 219/2, 217/31 एवं 217/32, 217/33, 222/5, कसर क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 0.815 हेक्टेयर, 0.518 हेक्टेयर, 0.445 हेक्टेयर, 0.587 हेक्टेयर) की जांच में पूरी दृष्टांति हेतु माईनिंग विभाग द्वारा प्रभावित कर, एक प्रमाण पत्र में दर्शाकर (नक्शा सहित) जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जला खदानों की 500 मीटर की सीमा अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए., गोटिकिडिगन, 2008 (ज्या संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज की परिधीयों के बीच पूरी दृष्टांति कसदुत खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है। अर्थात् कलस्टर हेतु होमोडिगिनिवस गिलरल क्षेत्र में विवादाधीन खदान की लीज सीमा से 500 मीटर की सीमा जाने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इन प्रकार खनिज खदानों की लीज सीमा की 500 मीटर की सीमा जाने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की पूरी में कोई खदान अर्थात् अथवा न ही) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी जनापति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 24/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्कवरी सर्वे रिपोर्ट (Discovery Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधिगत प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.), अर्जासमूह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान

विद्यमान अधिनियम (सी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमग्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाहों की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नुसारोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से समाप्त है, तो दिनांक 2018 में वर्णित किए गए सख्तान की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रत्यक्ष प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशनस) से साथ अगामी माह की अधिलेखित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवस तक हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.टी.सी., प्रतीसमग्र के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री परम कुमार साहू, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मंजूरी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. घास पंचायत का अन्तर्गत प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में घास पंचायत मांछा का दिनांक 02/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप मांछालक (ख.प्र.), जिला-ससंगुडा के ज्ञापन क्रमांक 715/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन को. /2020/अम्बिकापुर, दिनांक 13/07/2020 द्वारा अनुमोदित है। कच्ची प्लानर प्लान, जारी प्लान से अलग है।
3. 500 मीटर की परिधि में विद्यमान खदान — कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-ससंगुडा के ज्ञापन क्रमांक 1493/खनिज/ख.लि.4/म.अ./2020/अम्बिकापुर, दिनांक 08/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवधिगत 4 खदानें, क्षेत्रफल 2.32 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-ससंगुडा के ज्ञापन क्रमांक 156/खनिज/ख.लि.4/2020/अम्बिकापुर, दिनांक 16/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार कक्षा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि अधिलेखित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एन.ई.आई. संबंधी विवरण — एन.ई.आई. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-ससंगुडा के ज्ञापन क्रमांक 495/खनिज/ख.लि.4/अ.प्र./20 अम्बिकापुर, दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी विषय शर्त दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
6. मू-स्थानिक — भूमि श्री गुजरा के नाम पर है। उत्खनन हेतु सख्तान पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अभावित प्रमाण पत्र - कार्यालय जलसम्भलधिकारी, संस्कृत जलसम्भल, अम्बिकापुर के आपन क्रमांक /तक.अधि/4348 अम्बिकापुर दिनांक 22/11/2019 से जारी अभावित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाट-मांछ 17 कि.मी. एवं अन्धघाट लखनपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कि.मी. दूर है। रेल नदी 0.18 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविकिरण संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्धघाट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - रिपोलीटाइज्ड रिजर्व 1,21,212 टन, साइनेड रिजर्व 76,183 टन एवं निकटवर्त रिजर्व 72,374 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.23 हेक्टेयर है। आपन आरट सेमी सेकेन्डरिज्ड डिग्री में उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर (3 meter on surface and 6 meter below ground level) है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,834 घनमीटर एवं मोटाई 0.3 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं स्ट्रोल स्टाबिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उल का उपकरण किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष (on block)	5,180	3	15,540	69,417
प्रथम वर्ष प्रथम वर्ष	2,880	1.5	4,320	
प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	2,474	1.5	3,711	
प्रथम वर्ष तृतीय वर्ष	2,088	1.5	3,128	
द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	1,718	1.5	2,573	6,690

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल स्वोत एवं अभावित प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
13. वृक्षारोपण कार्य - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 वन वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.M.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समस्त विवरण से पूर्ण उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.64	2%	0.27	Following activities at Govt. Primary School Village - Manja	
			Potable Drinking water facility	0.15
			Plantation with fencing	0.13
			<b>Total</b>	<b>0.28</b>

16. प्रस्तावितकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्ताव अनुमोदित माइनिंग प्लान में काफी सिट्टी की मात्रा, जियोटेक्निकल रिजर्व, माइनिंग रिजर्व की गणना में जुड़े है। इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुए उपयुक्त की गणना कर संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त प्राथमिक क्षेत्र को पुनःभवन कर पुनर्स्थापना का कार्य किया जाएगा। इस कार्य सफल पर प्रस्तुत किया नहीं गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, कर्णाटकर, एन एच उल्लेख्य परिष्कारन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (1) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नईम लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी ज़ोन में पुनर्स्थापना किया जाना आवश्यक है।

18. पर्यावरण प्रबंधन योजना संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

- लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर सीपटी ज़ोन को कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपकारी लकड़ियाँ (Removal Measures) एवं रिजर्व की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- नेसर्स डी.डी.रावर (डी.डी.), घान-भोगा, तहसील-सखरपुर, जिला-बलरुज द्वारा विभिन्न खसरा क्रमांकी एवं क्षेत्रफल हेतु खसरा (खसरा क्रमांक 216/29, 216/3, 217/31 एवं 217/32, 217/33, 222/5, 222/3 क्रमांक क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 0.515 हेक्टेयर, 0.518 हेक्टेयर, 0.445 हेक्टेयर, 0.567 हेक्टेयर, 0.7

डेवलपर्स) की आपस में दूरी बनाते हुए माईनिंग किनासा द्वारा प्रस्तुत कर, एक प्रमाण पत्र में दर्शाकर (नामा स्वीकृत) जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. निर्यात की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुसंधान माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. जल स्रोत एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. भूमि की गुणवत्ता के नाम पर ही। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. स्वतंत्र निरीक्षण की उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रमाण (including land cost) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आन्वयिक कार्यवाही की जाएगी।

सदस्यमान परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.आई.सी. उत्तराखण्ड के द्वारा दिनांक 11/11/2020 को परिशेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/11/2020 को आवेदन डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(स) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 23/11/2020 के माध्यम से बताया गया कि खदान के सू-बगामी द्वारा आवेदित भूमि पर कार्य की अनुमति खदान नहीं किये जाने के कारण, उक्त भूमि पर कार्य किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुमति दी गई।

उक्त उक्त पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्रतिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.) उत्तराखण्ड को सदनमान सूचित किया जाए।

3. मेल्स डी.बी.गावर (जे.बी.), बाम-बांधा, तहसील-सखनपुर, जिला-सतगुजा (सचिवालय का नसी क्रमांक 1382)

ऑनलाइन आवेदन - जमीनल गमन - एलआईए / सीजी / एमआईएन / 184874/2020, दिनांक 24/07/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सावजन पत्थर (गोष्प खनिज) खदान है। खदान बाम-बांधा, तहसील-सखनपुर, जिला-सतगुजा स्थित खसरा क्रमांक 217/33, कुल क्षेत्रफल-0.443 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-37,080 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(स) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020

समिति द्वारा प्रकरण की गलती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. मेसर्स डी.डी.गावर (पै.वी.), राम-गंजा, तहसील-सखनपुर, जिला-सरगुजा द्वारा विभिन्न अस्तित्व क्रमांक एवं क्षेत्रफल हेतु प्रकरणों (खसरा क्रमांक 216/29, 217/2, 217/31 एवं 217/32, 217/33, 222/5, कम्पाउंडिंग-1 हेक्टयर, 0.815 हेक्टयर, 0.518 हेक्टयर, 0.445 हेक्टयर, 0.587 हेक्टयर) की आपत्त में दूरी दर्शाने हेतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित कर, एक प्रमाण पत्र में दर्शाकर (नक्सा सहित) जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एकल खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (सब्सिडीयरी) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर का समूह बनाया जाएगा, जब एक सीज के खिसारों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अतः क्लस्टर हेतु होमोडिनिटल नियमन क्षेत्र में विद्यमान खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करने हेतु तथा इस प्रकार शामिल खदानों के सीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को क्लस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः अपरोक्षानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्राव्य में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित जार्ड के कालम में दी गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसह सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसह सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में पर्यवेक्षण किए गए परीक्षण की वास्तविक मात्र की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसह) के साथ अगामी एक ही आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:



प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मदन कुमार साहू, अधिकाृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का जांचोत्तरण एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराखण्ड के संकय में प्राप्त पंचायत माज्हा का दिनांक 22/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वाटी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अब संयोजक (ख.प्र.) जिला-सलगुजा के द्वारा क्रमांक /714/खनिज/खलि.3/उत्खनन वी./2020 अम्बिकापुर दिनांक 13/07/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वाटी क्लीअर प्लान, क्वाटी प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सलगुजा के द्वारा क्रमांक 1438/खनिज/खलि.4/मज./20 अम्बिकापुर दिनांक 08/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, संयोजक 2.4 इन्स्टेका है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सलगुजा के द्वारा क्रमांक 700/खनिज/खलि.4/2020 अम्बिकापुर दिनांक 18/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल संचयनी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई संबंधी विवरण — एल.ओ.आई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सलगुजा के द्वारा क्रमांक /407/खनिज/खलि.4/ख.उ./20 अम्बिकापुर दिनांक 10/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रमाण जारी दिनांक से 6 मज की अवधि तक है।
6. भू-स्वामित्व — भूमि श्री सुखराम के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमती पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसंरक्षक/विभागीय, सलगुजा वनसंरक्षक अम्बिकापुर के द्वारा क्रमांक /एक.अभि./4548 अम्बिकापुर दिनांक 22/11/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का भूमि की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-माज्हा 1 कि.मी. एवं अस्पताल लखनपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 कि.मी. दूर है। खर नदी 0.18 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रेटिकली पील्डुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलाजिकल रिजर्व 1,04,130 टन, माईनेबल रिजर्व 82,688 टन एवं निकटतम रिजर्व 53,551 टन है। सीज की

  
\_\_\_\_\_

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.21 हेक्टर है। जल सफाई सेवी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर (3 meter on hillock and 3 meter below ground level) है। जल की गिराई की मात्रा 1,336 घनमीटर एवं मोटाई 0.3 मीटर है। बंध की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जल स्रोत से डिजिटल एवं सटीक प्लानिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विकास निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष (on hillock)	4,480	3	13,360	67,080
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	3,360	1.5	3,528	
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	1,878	1.5	2,814	
प्रथम वर्ष तृतीय क्षेत्र	1,510	1.5	2,265	
द्वितीय वर्ष चतुर्थ क्षेत्र	1,162	1.5	1,743	4,532

- जल आपूर्ति - परिशोधना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल कमी एवं अनापत्ति प्रमाण पर संबंधी यानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- वृक्षारोपण कार्य - जल क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
- पूई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान की पूई में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- कीबरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समिती के समक्ष विवेक से चर्चा करवाते निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.28	2%	0.26	Following activities at Govt. Primary School Village - Manja	
			Books Distribution related to Environment Conservation & Sports kit.	0.27
			<b>Total</b>	<b>0.27</b>

- महाही क्षेत्र (3 मीटर) के उत्खनन हेतु रिजर्व की गणना औद्योगिक मानक की गई है। प्रमदुक्त की विस्तृत गणना कर संबंधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



17. पर्यावरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र को सुरक्षित बना लक्ष्यित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र को पुनर्वास कर सुधारण का कार्य किया जाएगा। इस बाबत राय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नगरपालिका नई दिल्ली द्वारा तीन मील माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 313(ii) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षित क्षेत्र में सुधारण किया जाना आवश्यक है।

19. पर्यावरण प्रबंधन योजना संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. मेसर्स सी.बी.गोवर (प्रा.प्र.), राम-नाथ, सहनील-लखनपुर, जिला-सम्भलपुर द्वारा विभिन्न खसत खानों की एवं क्षेत्रों हेतु प्रकरणों (खसत क्रमांक 216/29, 216/2, 217/31 एवं 217/32, 217/33, 222/5, 222/3 खसत क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 0.818 हेक्टेयर, 0.818 हेक्टेयर, 0.445 हेक्टेयर, 0.587 हेक्टेयर, 0.7 हेक्टेयर) की आवस में दृष्टि दर्शाते हुए माईनिंग विभाग द्वारा प्रस्तावित कर, एक खसत पत्र में दर्शक (नक्शा सहित) जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रिजर्व की विस्तृत रचना कर, संबंधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल स्रोत एवं अनादीत प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भूमि की सुधारण की लाग पर है। उल्लेखित हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. स्वतः निरीक्षण के खसत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रमाण (including land cost) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त स्मरत पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परसत जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीरागढ़ के द्वारा दिनांक 11/11/2020 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/11/2020 की आवस कि-जिस्ट / निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(स) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षा करने का निम्न स्थिति गई गई:-

परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 23/11/2020 के माध्यम से बताया गया कि खदान को यू-स्वामी द्वारा आवंटित भूमि पर कार्य की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण, जहाँ भूमि पर कार्य किया जाना संभव नहीं है। अतः आवंटन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि जहाँ आवंटन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तर पर्यावरण संपर्कात निरीक्षण प्राधिकरण (एसईआईएए) जालीराज को तदनुसार सूचित किया जाए।

**4. मेसर्स श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव (मिहेसरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-मेहेसरा, एहरील-भग्गा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 730)**

आवंटन - पूर्व में आवंटन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48543/ 2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदा करने हेतु आवंटन किया गया था। मामिल में परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 23/11/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन प्रस्ताव आवंटन किया गया है।

एसईआईएए, राज. के आपन क्रमांक 1437, दिनांक 17/11/2020 के द्वारा आवंटक - मेसर्स श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव (मिहेसरा लाईम स्टोन माईन) की ग्राम-मेहेसरा, एहरील-भग्गा, जिला-दुर्ग के खाना क्रमांक 1002/1, 1002/2, 1002/4, 1002/3, 1003/1, 1003/5, 1003/2, 1003/8, 1004, 1005 एवं 1006/2 में स्थित कुल मध्य (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 8.2 हेक्टेयर, क्षमता - 1,88,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

**(ख) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा भली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना में उचित उत्खनन क्षमता के इकाई को टन के स्थान पर घनमीटर किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. समिति द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षण प्लान का अवलोकन किया गया एवं कहा गया कि प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	18,000	45,000
द्वितीय वर्ष	22,400	56,000
तृतीय वर्ष	26,800	67,000
चतुर्थ वर्ष	44,800	1,12,000
पंचम वर्ष	67,200	1,68,000
कुल	1,79,200	4,48,000

नोट: सचिवालय में सहायक के अक्षर के अर्थों को सत्यापनीय किया गया है।

2. कार्यवाही विवरण एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्नकीय सुटियर प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना में उत्खनन शक्ता इकाई परमिटर के स्थान पर डन अंकित हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि कार्यवाही विवरण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्नानुसार वर्धित प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना -

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	18,000
द्वितीय वर्ष	22,400
तृतीय वर्ष	28,800
चतुर्थ वर्ष	44,800
पंचम वर्ष	67,200
कुल	1,79,200

के स्थान पर

प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (परमिटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	18,000	45,000
द्वितीय वर्ष	22,400	56,000
तृतीय वर्ष	28,800	67,000
चतुर्थ वर्ष	44,800	1,12,000
पंचम वर्ष	67,200	1,68,000
कुल	1,79,200	4,48,000

बढ़ा जाये।

समिति द्वारा कार्यसम्पत्ति से उपरोक्त आराय बचकु संचालन जारी करने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), फर्नीचरगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. वेबसाई कीमती कीटशिल्पा देवी चक्रवर्ती (ईरा सोईल/ऑर्डिनेरी कले बाईन), ग्राम-ईरा, तहसील ब डिला-राजमार्गवांब (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1277)

ऑनलाइन आवेदन - प्रसोजल नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 160000/2020, दिनांक 20/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से आपन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/05/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

  
 \_\_\_\_\_

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गैस खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ईना, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 548/1, 550(पाटी), 551(पाटी), 553, 554/1,2 555/2,3,4 557, 558/2, 559(पाटी), 560(पाटी), 561(पाटी), 577(पाटी), 578(पाटी), 581/1(पाटी), एप 578/2(पाटी) कुल क्षेत्रफल-4.411 हेक्टर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गैस खनिज) क्षमता-4500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) सभिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

सभिति द्वारा प्रकरण की गती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्सव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल की जारी पर्यावरणीय शीकृति की अधिवेधित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृषकक्षेत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों से किए गए उत्खनन परे कार्रवाही माह की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. नाला सफाया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर एम, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार शीकृति, (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) को साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फलीबागड के द्वारा दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) सभिति की 323वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सभिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फलीबागड के द्वारा दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ग) सभिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सभिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, धरतीसंगठ के द्वारा दिनांक 29/10/2020 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (धरती संगठ), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/2780/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 11.88 एकड़ है। क्या प्रयोग पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवस्थित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विश्वर विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (धरती संगठ) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर की परिसर में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अवलोकन प्रयोग पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पुरी विवरण (अवस्थित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यालय खर्च का विवरण) को साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ अगामी गठ की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेराठ की राजय सिंह (सियकोन्डा सीम्स माईन, डाम-सिपकोन्डा, तहसील-वाटन, जिला-दुर्ग), कचनरा रोड, खम्हारीडीह, जिला-रायपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1027)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एमआईएम/ 120041/2019, दिनांक 18/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने के द्वारा दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान डाम-सिपकोन्डा, तहसील-वाटन, जिला-दुर्ग स्थित खदान क्रमांक 737, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। राज्यमन खदान नदी से लिया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जखनन अंश-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव की साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (सीमा खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिपकोन्हा का तालुकीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत की गई है।
3. संरक्षण योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघाजक (ख.प्र.) संघाजनालय, सीमांकित तथा खनिज, प्रखरीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित कर्ता प्लान की प्रत्येक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सचिव), जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की दूरी अर्थात् खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सचिव), जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार इस खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.डी.ए. एवं अन्य आर्गुमेंट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
6. एन.डी.ए. का विवरण - एन.डी.ए. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सचिव), जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 809/खनिज/रेलवे/सीमांकित/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अर्थात् 2 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सिपकोन्हा 0.83 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-सिपकोन्हा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली मॉन्गुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर गदी के चूट की चौड़ाई - 180 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 88 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 8 मीटर तथा रेत खनन की प्रतिबंधित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। गदीचूट की किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण -



**(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2018:**

समिति द्वारा प्रकरण की गती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. काम संतुल्य द्वारा जारी अन्वयित प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का रिड बनाकर वर्तमान में रेल सतह को लेवल (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रस्तावीकरण पत्रों सहित खोदोपार्जन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की मोटाई जानने की लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. अनुसंधान माइनिंग चाल का प्रत्येक पत्र वार्षिक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एनटीका समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन खोदोपार्जन) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

साधुसुचारु खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजव सिंह, प्रोमप्रॉक्टर एवं श्री दीपक तिवारी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा गती, प्रस्तुत जानकारी का अन्वयित एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का रिड बनाकर वर्तमान में रेल सतह को लेवल (Levels) की जानकारी तथा अन्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेल उत्खनन स्थल पर वर्तमान में खत भराव होने के कारण अद्यतन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्पत्ति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया था—

1. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का रिड बनाकर, वर्तमान में रेल सतह को लेवल (Levels) लेकर रिड गैज में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। जम्हा लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। रिड गैज में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण पत्रों सहित खोदोपार्जन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ ज्यवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिवेदित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोशापस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशलता की अद्यतन स्थिति की जानकारी गोटाशापस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संरक्षित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक खाता की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, न्यायपालना, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोशापस) प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/08/2020 द्वारा जानकारीय/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/08/2020 को जानकारीय/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) सन्धि की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:**

सन्धि द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. आवेदित खदान लीन खदान होना बताया गया है।
2. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार खनन स्थल का नदी के घाट की चौड़ाई — अधिकतम 817 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई — 379 मीटर, औसत चौड़ाई — 111 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 51 मीटर है।
3. खदान क्षेत्र में रेत खांड के लेवलस — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुना 40 मीटर के चिह्न चिन्बुल्लों पर दिनांक 12/08/2018 को रेत सतह के पर्यन्त लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त कोटोशापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
4. खदान स्थल पर रेत की मोटाई — रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, परंतु रेत की वार्षिक गहराई एवं सिद्ध (Pit) का उपलब्ध नहीं किया गया है।



2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को जॉ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विचार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt. Primary School Village-Sipkonha	
			Rain Water Harvesting System	0.48
			Running water facility for toilets & Plantation	0.14
			<b>Total</b>	<b>0.60</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को खदान से रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेया (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावक (अद्यापि फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्धारित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सिंह, प्रोग्रामाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा कम्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. खदान स्थल पर रेत की गोट्टाई – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत काठ की गोट्टाई खनने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 8 गजों (7.5) चौड़ाई रखनी वास्तविक गोट्टाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गोट्टाई 3.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गोट्टाई हेतु संयोजन भी प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से पुल/एनीकट की दूरी, नदी की चौड़ाई, खदान की नदी तट से दूरी आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पुल/एनीकट खदान से कितने दूरी (अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम) में स्थित है? नदी गार्डबैंकलॉइन अनुसार पुल/एनीकट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। साथ ही नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की



बीसवें का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) लक्ष्य जानी है। खदान के कुछ क्षेत्र जहां आवश्यक क्षेत्र नहीं घोषित गया है। अतः उपरोक्त क्षेत्र की रचना कर, नक्शे पर दर्शाकर इसका तत्समैय माईनिंग प्लान में अंतर्कर प्रस्तुत की जाये। खदान के खनन-क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भीते पर सभित विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

2. वेत खननन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का डिंड करवाकर, कॉन्क्रीट में रेत साह के लेवल्स (Levels) लेकर डिंड गैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोरी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। एका लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। डिंड गैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर सभी सभित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. खनन निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. अनुमोदित जारी प्लान की जायत पर क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रतीकपत्र की प्रमाण दिनांक 29/10/2020 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित खनन का नाम, पता एवं कार्यवाही कार्य का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अखनन फोटोग्राफस) के साथ आगामी सत्र की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

7. मेसर्स ईरा कले माईनिंग (प्री.- की अतिरिक्त चक्रवर्ती), धाम-ईरा, तहसील ब जिला-राजनांदगांव (सफिदालम का नक्शे क्रमांक 1278)

ऑनलाइन आवेदन - इन्वेज्ज नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 15064E/2020, दिनांक 30/03/2020।



प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संश्लिष्ट मिट्टी (नील खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव सिंधत जसरा क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499 एवं 525, कुल क्षेत्रफल- 4.662 हेक्टर में है। खदान की आवेदित जखनन क्षमता-3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बीठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020**

समिति द्वारा परचम की गली एवं प्रस्ताव जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निदेशक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निदेशक प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्लांटिंग की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत भी जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संश्लिष्ट है, तो विगत वर्ष में किए गए खनन की वार्षिक मात्रा की वार्षिकी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनामति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उम्मीदवादी रूप से जानकारी / प्रस्तावित (अद्यतन कोटेशन) के साथ अगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुप्रेषण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा परचम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह की आवेदित बैठक में पूर्व में जारी नई अधिसूचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/प्रस्तावित सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।



**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के मध्यम से सूचना दी गयी है कि अनिश्चित कारणों से समिति के संसद बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को अगामी बैठक के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई अधिसूचनाओं एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. कलौलीगांव के डायन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु की अधिवेश बरखाड़ी, प्रोपर्टी टैक्स उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25/08/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वार्टी प्लान अलाय विथ क्वार्टी प्लानिंग प्लान एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (अभि.प्रशा.) जिला-रायपुर के डायन क्रमांक /अभि./सीन-8/2018/323, रायपुर, दिनांक 09/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (अभि. शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2781/अभि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार अधिसूचित खदान की 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.411 हेक्टेयर होता बताया गया है। जिसमें केवल विद्यार्थीन खदान के क्षेत्र सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर जब समय बनाया जाएगा, जब एक क्षेत्र के परिवारों के बीच दूरी एक सड़क अथवा क्षेत्र में अन्य पार्ट के परिवार से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान के क्षेत्र सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के क्षेत्र सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित कार्बनिक क्षेत्र/बारबनार्ए — कार्यालय कलेक्टर (अभि. शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2781/अभि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में गिरि, नरघट, अरघ्याल, नरुत, पुल,

बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **सीज का विवरण** – सीज पूर्व में श्री शिवलाल चव्वाणी के नाम पर की, सीज क्षेत्र का उत्खनन श्री अनिरुध चव्वाणी के नाम पर दिनांक 14/09/2017 को किया गया है। सीज क्षेत्र 10 वर्षी अवधि दिनांक 10/10/2005 से 09/10/2015 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् सीज क्षेत्र में 20 वर्षी की दिनांक 09/10/2005 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **भू-सूचिका** – भूमि की अनिरुध चव्वाणी के नाम पर है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव को आपन क्रमांक /स.वि./स.क्र. 10-1/2000/12578 राजनांदगांव, दिनांक 16/13/2019 से जारी अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **सहस्रपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासी घाट-डोला 1.3 किमी. एवं स्थूल घाट-डोला 1.7 किमी. एवं जलपट्टल घाट-सोमनी 2.81 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 324 किमी. एवं राज्यमार्ग 11.5 किमी. दूर है। किन्नार नदी 0.108 किमी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफ्टी सेन्सुटेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबेदिष्ट किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – विभागीयस्तरीय रिजर्व लगभग 48,820 टन एवं माइनेबल रिजर्व 41,884 घनमीटर प्रतिवर्ष है। सीज क्षेत्र के करीब 1 मीटर सीपटी जोन का क्षेत्रफल 1,138 वर्गमीटर है। आपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है, इसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में कुछ भागों में 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। सीज क्षेत्र में स्थापित मिनी की ऊंचाई 35 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 3,300 वर्गमीटर है। सीज क्षेत्र के 700 वर्गमीटर क्षेत्र में कुल खड़े हैं। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पत्ताई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की अंशवित आयु 14 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। माइनिंग प्लान में पर्यावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम	3,000	1	3,000
द्वितीय	3,000	1	3,000
तृतीय	3,000	1	3,000
चतुर्थ	3,000	1	3,000

पंचम	3,000	1	3,000
------	-------	---	-------

**आगामी वर्षों का रखरखाव योजना**

वर्ष	सैकड़कल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
घरों	3,000	1	3,000
सातवे	3,000	1	3,000
आठवे	3,000	1	3,000
नौवे	3,000	1	3,000
दसवे	3,000	1	3,000

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल से मध्यम से किया जाता है।

13. कुआरोंपण कार्य - सीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 1 मीटर की गहराई में आगामी 08 माह में कुआरोंपण किया जाएगा।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में मिट्टी परीक्षण बरसात दिनांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 498, 499, 499 एवं 525 कुल क्षेत्रफल - 4.682 हेक्टर पर, मात्रा - 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निदेशन इन्फोर्मेशन, जिला-राजभांयवास द्वारा दिनांक 10/11/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार कुआरोंपण नहीं किया गया है।
- दिनांक वर्षों में किए गए रखरखाव की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कना कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. प्रस्तुत रखरखाव योजना में स्वीकृत रिजर्व की मात्रा 5,138 घनमीटर एवं स्वीकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल 5,138 वर्गमीटर बताया गया है। स्पष्टता स्वीकृत रिजर्व की मात्रा बराबरी अधिक होगी। इस प्रकार रखरखाव योजना की योजना में त्रुटि है। अतः बकाया त्रुटि को सुधार कर संशोधित अनुमोदित रखरखाव योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के संघट्ट विस्तार से जारी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--



Rupees)	to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Govt. Higher Secondary School Village - Khuteri	
40	2%	0.80	Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water	0.20
			Total	0.80

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्पत्ति को निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में दिये हुए विवरण अनुसार संबंधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) स्थानिक विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुए विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने की लिए निर्दिष्ट किया जाए।
4. जल की आपूर्ति बोलवेल से किया जाना बताया गया है। सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार परिष्करण स्थल से भी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेक जॉन के अंतर्गत होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्राइमरी वॉटर उपभोग करने हेतु सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. स्थल निरीक्षण की उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी. मालीसंगड को ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 को परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(8) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

1. आयोजक क्लस्टर (खनि माछा), जिला-राजमांझाव  
अनांक/2781/ख.नि.03/2018 राजमांझाव, दिनांक 04/  
अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट 1  
10.9 एकर है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि  
के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान अवशिष्ट है अथवा नहीं?  
जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय परिसर (खनिज बांध) द्वारा उत्पन्न खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (अनुसूचित सहायक का नाम, पता एवं कार्यलय कार्य का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिचालन प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

**8. विमर्श भीमटी बंधू अडवाला (देवीपुर आईनरी स्टोन माईन), ग्राम—देवीपुर, तहसील व जिला—सुरजपुर (सविभाजन का नसी क्रमांक 1235)**

आईनसाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 147780 / 2020, दिनांक 06 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकल्प खदान के उत्खनन अन्तर्गत् विस्तारीकरण का है। यह पूर्व से संघालित सहायक घाट (बीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम—देवीपुर, तहसील व जिला—सुरजपुर स्थित खनन क्रमांक 1029, कुल क्षेत्रफल—5405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन अन्तर्गत् - 3283.8 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) फासीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) फासीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के अन्तर्गत् में की गई जानकारी की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परिषद् योजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

संध्यानुसार परिषद् योजना प्रस्तावक को एनईएसी, जलोत्पन्न के ज्ञान दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 01/08/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार जगत, अधिकृत प्रविणिति उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संकट में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 11/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — ववारी प्लान एवं स्टाटे जलोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सानि अधिकारी (सैनियल शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक 3439/सैनियल/2018 सुरजपुर, दिनांक 22/12/2018 द्वारा अनुमोदित है। स्टाटे जलोजर प्लान, माइनिंग प्लान के संलग्न है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (सैनियल शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक 3354/सैनियल/2020 सुरजपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.888 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (सैनियल शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक 3354/सैनियल/2020 सुरजपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.888 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें वीज विभागाधीन खदान को वीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (एक संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक वीज की परिधि के बीच पूरी तक संपूर्ण सैनियल क्षेत्र में अन्य गड्ढे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिजस विवरण क्षेत्र में विद्यमान खदान को वीज सीमा से 500 मीटर की भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की वीज सीमा की 500 मीटर की भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः जलोत्पन्नानुसार प्रमाण पत्र संसाधन प्राप्त आवश्यक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी — कार्यालय कलेक्टर (सैनियल शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक 3355/सैनियल/2020 सुरजपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एंटीकॉट रेल लाईन, नहर एवं जल आपूर्ति अदि परिभाषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. जीज का विवरण - भूमि एवं जीज बीमती मंत्र अखण्ड की राब पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अवधि दिनांक 13/02/2009 से 12/02/2019 की अवधि तक थी। तात्पर्यात् जीज बीज में दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2029 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - जलवायु वन्यजंतुअधिकारी, दक्षिण सतपुरा वनमण्डल, जम्शेदपुर के आगम क्रमांक /सा.वि./81/2009 जम्शेदपुर, दिनांक 06/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-देवीपुर 0.83 कि.मी., स्थूल ग्राम-देवीपुर 2.4 कि.मी., अस्पताल ग्राम-सूरजपुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 335 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 182 कि.मी. दूर है। नहर नदी 5.45 कि.मी., नाला 1.4 कि.मी. एवं तालाब 0.37 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित कृषिकारी कोल्डस्ट्रेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनन बाधदा एवं खनन का विवरण - विद्येकीयिकल रिजर्व लगभग 75,231 टन, साईनेसल रिजर्व 21,712 टन एवं निकरहेबल रिजर्व 28,541 टन है। जीज क्षेत्र के सभी जोर 7.5 मीटर (5.188 मीटर) क्षेत्र होता है। औपम कार्ट सेमी मीकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 320 सेंटीमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खनन की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हॉमर से डिजिटल एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना**

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	177	1.5	265.5 + 320	2,064.2
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	139	1.5	208.5	
द्वितीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	209	1.5	313.5	1,501.5
द्वितीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	176	1.5	264	
तृतीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	253	1.5	379.5	1,723.5
तृतीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	188	1.5	282.5	
चतुर्थ वर्ष प्रथम क्षेत्र	261	1.5	391.5	1,751.5
चतुर्थ वर्ष द्वितीय क्षेत्र	188	1.5	282	
पंचम वर्ष प्रथम क्षेत्र	280	1.5	420	1,702.5
पंचम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	182	1.5	273	

**आवासीय वर्षों का उत्खनन सौधाना**

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें वर्ष प्रथम क्षेत्र	259	1.5	224.25+148.5	19.03.88
छठवें वर्ष द्वितीय क्षेत्र	239	1.5	358.5	
सातवें वर्ष प्रथम क्षेत्र	346	1.5	268.75+172.5	2148.85
सातवें वर्ष द्वितीय क्षेत्र	263	1.5	394.5	
आठवें वर्ष प्रथम क्षेत्र	359	1.5	538.5	2379
आठवें वर्ष द्वितीय क्षेत्र	251	1.5	376.5	
नौवें वर्ष प्रथम क्षेत्र	317	1.5	505.5	3382.8
नौवें वर्ष द्वितीय क्षेत्र	274	1.5	411	
दसवें वर्ष प्रथम क्षेत्र	282	1.5	423	3583.8
दसवें वर्ष द्वितीय क्षेत्र	214	1.5	321	
दसवें वर्ष तृतीय क्षेत्र	346	1.5	519	

11. **जल आपूर्ति** - परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में पानी पर्याप्त निशेधन हेतु जल का विकसाल किया जाता है।

12. **पूजारीयण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की गहराई में 416 मग पूजारीयण किया जाएगा। वर्तमान में 118 मग पूजारीयण किया गया है। शेष पूजारीयण मानसून के पूर्व किया जाना प्रस्तावित है।

13. **प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज की 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र के 825 मीटर क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा उत्खनित क्षेत्र के 400 मीटर क्षेत्र में जोकर बर्तन का भराव कर 80 मग पूजारीयण किया जाएगा। इस बाबत समस्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में पंजर खदान उत्तर क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल - 0.405 हेक्टेयर, क्षमता - 1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विश्व स्तरीय पर्यावरण समाधान निदेशन अधिनियम, जिला-सुरजपुर दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई है। यह स्वीकृति दिनांक 12/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित कार्यानुसार पूजारीयण किया गया है।
- कार्यालय फलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-सुरजपुर को इलाज दिनांक 15/06/2020 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

*(Handwritten signature)*

अवधि	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2009 से 31/12/2009	—
दिनांक 01/01/2010 से 31/12/2010	1,847
दिनांक 01/01/2011 से 31/12/2011	848
दिनांक 01/01/2012 से 31/12/2012	1,293
दिनांक 01/01/2013 से 31/12/2013	2,964
दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2014	972
दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015	1,283
दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016	1,179
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017	216
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018	378
दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2020	819
दिनांक 01/01/2020 से 12/02/2020	310

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
34.08	2%	6.65	Following activities at Govt. Primary School Kewatpura Village-Devipur	
			Rain Water Harvesting System	0.62
			Running Water Arrangement	0.15
			Plantation	0.05
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
<b>Total</b>			<b>0.87</b>	

16. प्रस्तुतीकरण की दौरान समिति के सख्तान में यह स्पष्ट आया कि प्रस्ताव शकल विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीतिवृत्ति का पालन प्रतिबन्धन मंगाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. माइनिंग विभाग से कलक्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुए विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अनुरोध आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर परियोजना प्रस्तावक को एआई.ए.सी., पत्नीसगाव के द्वारा दिनांक 08/07/2020 को परिषद ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 07/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020-

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि हुई गई-

1. कार्यालय कलेक्टर (घनिष्ठ कार्यालय), जिला-सुरजपुर के द्वारा अगस्त 11/24/घनिष्ठ/2020 सुरजपुर दिनांक 05/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, संयोजन 3008 हेक्टेयर है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेख किया गया कि पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समायाह निर्वाहण अधिकारण, जिला-सुरजपुर दिनांक 13/02/2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति अगस्त 1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष के लिए जारी की गई। परंतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन में कुटिया अगस्त 1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष के खदान का अगस्त 1,263 घनमीटर (3,283.8 टन) प्रतिवर्ष संश्लेषण हो गया है। अतः आवेदित अगस्त 1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष को ही खड़ी मान कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. समिति द्वारा आवेदन को साथ प्रस्तुत करने एवं अन्य जानकारियों का अवलोकन किया एव पाया गया कि आवेदन अगस्त 1,263 घनमीटर (3,283.8 टन) प्रतिवर्ष का ही है। अतः यह प्रकरण अगस्त विस्तार का है।

समिति द्वारा विचार विमर्श अंतर्गत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को अगस्त मंत्र प्रेषित किया जाए।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



8. **बैराई कंबोटीटोला आर्टिफिशियल स्टोन माईन (पी- वी एमएस संजवाणी),**  
ग्राम-कंबोटीटोला, तहसील व जिला-काकर (सचिवालय का नक्का क्रमांक  
1189)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीडी /एम्बआईएन /  
144298/2020, दिनांक 19/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत  
ऑनलाईन आवेदन में कथिती होने से जापन दिनांक 28/02/2020 द्वारा जानकारी  
प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घोषित जानकारी  
दिनांक 17/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित सामान्य पत्थर (पीन खनिज) खदान  
है। खदान ग्राम-कंबोटीटोला, तहसील व जिला-काकर स्थित पाट्टे ओक क्लब  
क्रमांक 835, कुल क्षेत्रफल - 1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदिता साखनन  
क्षमता-42,248 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तममय  
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनुमति प्रदान पत्र (कार्यवाही बैठक संहिता) की  
स्पष्ट/ पहलीय प्रती प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघरत निर्धारण  
प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघरत  
निर्धारण प्रतिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई  
हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिदेवित रस्ता के मानच  
में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही  
पुनारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की  
वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रचलित करा कर प्रस्तुत की  
जाए।
4. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालक, नई दिल्ली की  
ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental  
Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन  
फोटोसाफ्त) के साथ आगामी मठ की आवेदिता बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने करने  
हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

साधनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.पी., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक  
23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की किलौर जैन, अधिद्वुत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा  
नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति गई:-



1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन की संख्या में ग्राम पंचायत कैम्पटीटीआ का दिनांक 10/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — नॉटिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अडिक्शन, जिला-उत्तर बस्तर कांकर के डायन क्रमांक 1053/खनिज/उ.प./2019-20 कांकर, दिनांक 13/03/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी कालोवर प्लान, नॉटिफिड प्लान के अंतर्गत है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकर के डायन क्रमांक 1200/खनिज/उ.प./2019-20 कांकर, दिनांक 12/03/2020 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकर के डायन क्रमांक 1200/खनिज/उ.प./2019-20 कांकर, दिनांक 12/03/2020 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर डींग बताया गया है। जिसमें केवल विधायकीय खदान के सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई-आई-ए नोटिफिकेशन, 2008 (पंचा संशोधित) में परिभाषित कलेक्टर अनुसार "कोई कलेक्टर उस समय समाप्त जाएगा, जब एक लीज की परिधियों की बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलेक्टर हेतु होमोजिनिजस निगरान क्षेत्र में विधायकीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करती हुए एक इस प्रकार शामिल खदानों को लीज सीमा से 500 मीटर से भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलेक्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र समाप्त करना आवश्यक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/शंरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकर के डायन क्रमांक 1201/खनिज/उ.प./2019-20 कांकर, दिनांक 12/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजधानी, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — यह सार्वजनिक भूमि है, जिसमें लीज की स्पेशल पंजीयनों की मात्रा पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 2008 से 2018 तक की अवधि हेतु कम थी। लीज अवधि विस्तार के लिये भी स्पेशल पंजीयनों द्वारा न्यायालय सहायक भूमिगत खनिज कार्य में अपील की गई है।
6. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित क्रम में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वन संचालक(कैम्पटीटी) (संरक्षण), वनसंरक्षण, जिला-कांकर के डायन क्रमांक /सा.वि./4882 /कांकर, दिनांक 16/12/2003 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



8. महासंपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घास-केंचरीटीला 63 कि.मी. स्कूल घास-केंचरीटीला 0.985 कि.मी. एवं अस्पताल केंचरीटीला 0.415 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14.25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.81 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिक्रियित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिथीलाजिखल रिजर्व लगभग 4,80,648 टन एवं माइनेबल रिजर्व 3,23,858 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,91,470 टन है। लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर (0.39 हेक्टेयर) क्षेत्र होता है। खनन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से चलायन किया जाता है। चलायन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (6 मीटर पहाड़ी क्षेत्र एवं उभारों को 10 मीटर गहराई तक) है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जेक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल आसिस्टन किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित चलायन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	चलायन (टन)
प्रथम	1,020	1.5	2,880	7,488
	2,440	1.5	3,660	9,516
	2,280	1.5	3,380	8,814
	2,100	1.5	3,150	8,190
	2,400	1.0	2,400	6,240
द्वितीय	1,850	1.0	1,850	4,810
	6,070	1.0	6,070	25,882
	3,700	1.5	5,550	14,430
तृतीय	7,180	1.5	10,770	28,002
	3,500	1.5	4,850	12,090
चतुर्थ	7,075	1.5	10,612	27,580
	3,200	1.5	4,800	12,480
पंचम	6,280	1.5	9,435	24,531
	4,000	1.5	6,000	15,600

नोट: चालिका में चलायन की चारों ओर की जमीन को पराम्परागत किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंचनाय, कुशलरोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान की गहरी एवं पैयजल हेतु घास पंचायत की माध्यम से की जाएगी। इस बाधा सहनति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचनाय किया जाता है।
12. कुशलरोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 1,000 वन कुशलरोपण किया जाएगा।



13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान वर्ष 2014 से बंद है। लीज की अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 2008 से 2018 तक थी। लीज अवधि विस्तार के लिये निर्धारित समाप्ति में सख्त अधिसूची के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लीज की वैधता युक्ति नहीं हुई है। वर्तमान में लीज अवधि विस्तार के लिये न्यायालय संघटक सीमिटी तथा खनिजों में आवेदन की गई है।

समिति द्वारा उत्सामन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. माइनिंग विभाग की सख्त होश में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज की आवृत्ति समाप्त हो बंद खदानों से किये जाने के लिए जगदी सख्ती प्रस्तुत की जाए।
4. विवाद क्षेत्र में किए गए सख्तन की कालाधिक मजदूरी की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को सख्ती समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने सम्बंधित आगामी कार्यवाही की जाएगी।

ई.आई.ए.सी., जलवायु मंडल के शासन दिनांक 03/07/2020 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिजों / दस्तावेज दिनांक 14/07/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कारखाने कार्यक्षेत्र (खनिज क्षेत्र), जिला-बलार बलार कार्यक्षेत्र के शासन दिनांक 88/खनिज/उ.प./2020-21 कार्यक्षेत्र दिनांक 20/05/2020 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है। प्रस्तुत 500 मीटर के भीतर पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार 'कोई कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी कम सख्ती खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे को परिसर से 500 मीटर से कम है।' अर्थात् कलक्टर हेतु हीमोजेनिथस गिनत क्षेत्र में विवादाधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को खनिज करती हुए तथा इस

प्रकार शामिल खदानों की सीमा को 500 मीटर की सीमा होने वाले अन्य सभी खदानों को (कमन्स में खदानों की छद्म रूप शामिल किया जाय, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान आविष्टित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

2. कर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को स्पष्ट विवरण से चर्चा करती निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10	2%	0.70	Following activities at Govt. Primary & Middle School Village-Kawintola	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water	0.15
			Plantation with fencing	0.15
<b>Total</b>			<b>1.10</b>	

3. नैसर्गिक सम्पत्ति सेटल एन्ड मिग्रेशन से खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल संचयन, पुनरोपयोग) हेतु जल की अपूर्ण आवश्यकता सिवा निम्निय खदानों में एकत्रित जल को उपयोग किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है।
4. नार्थवर्क सलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धनबाद बलर कार्बोड को डायन अनांक 149/समिति/१५/२०२०-२१ जारी, दिनांक ०१/०६/२०२० द्वारा विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की सार्वजनिक माह की जानकारी प्रस्तुत की गई है-

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
22/04/2009 से 31/12/2010	निराक
01/01/2011 से 31/12/2011	442
01/01/2012 से 31/12/2012	475
01/01/2013 से 31/12/2013	329
01/01/2014 से 30/04/2014	81
दिनांक 01/05/2014 से उत्खनन कार्य बंद होना बताया गया है।	

समिति द्वारा उत्सव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सड़क विभाग से कमन्स क्षेत्र में 500 मीटर की सीमा आविष्टित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुए विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाय।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., प्रसौभाग्य से डायन दिनांक 11/11/2020 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(र) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जागकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. कार्यालय कॉलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकोर के डायन क्रमांक 823/खनिज/उ.ब./2019-20 कांकोर, दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है।

2. माननीय एन.पी.टी., प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पारंपरिक विस्मय भास्कर सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राज्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कॉलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकोर के डायन क्रमांक 823/खनिज/उ.ब./2019-20 कांकोर, दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-केवटीटोला) का क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-केवटीटोला) को मिलाकर कुल रकबा 3.22 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - श्री रमेश मण्डानी (मिसाल केवटीटोला अडिगरी स्टोन माईनिंग) की ग्राम-केवटीटोला, तहसील व जिला-कांकोर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 858 में स्थित साधारण पाथर (नीच खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल - 40,248 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-07 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाया निर्धारण प्रक्रियाएं (एस.ई.आई.ए.ए.), जलरीक्षण की दृष्टिकोण से सुचित किया जाए।

10. मिसाल श्री संतोष कुमार लोहानी (जोरालराई रसाईन स्टोन माईनिंग), ग्राम-जोरालराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1242)

जीनरलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 147881 / 2020, दिनांक 08/09/2020। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत डीपलाईन

आवेदन में समिती होने से जापन दिनांक 08/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 30/08/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह पूर्ण से संचालित युवा पवनर (लीज खनिज) खदान है। खदान नाम-जोरतलवाड़ी, सहस्रौल व जिला-सजन्तदगांव स्थित खनन क्रमांक 165/4, कुल क्षेत्रफल-1214 हेक्टर में है। खदान की आवेदित जलखनन क्षमता-19087.5 टन प्रतिवर्ष है।


**बैंचकों का विवरण** -

(अ) समिती की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

समिती द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. वन पर्यायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (साईकलटी बैठक सहित) की स्पष्ट/स्थानीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज की परिसरों के बीच दूरी कम से कम खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु इन्फोर्मेशनिल क्लस्टर क्षेत्र में विकसलीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर होने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर होने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्ण में आवेदित स्थल पर खनन हेतु सभ्य स्तर पर्यावरण सन्तुल्य निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुल्य निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणवीथ स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अपिरोषित डायी के भाग में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडॉक्युमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूंजावर्ष की अवगत स्थिति की जानकारी सांटीवापस सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विनात डायी में किए गए जलखनन की वास्तविक मात्रा की जलनकरी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडॉक्युमेंट) के साथ अगामी नवंबर की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।



(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई की प्रारंभिक उपस्थिति नहीं हुई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, जलोत्सव के द्वारा दिनांक 29/10/2020 के परिशेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / प्रस्तावक दिनांक 07/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा मंजूरी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श चर्चातक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्थल का नाम, पता एवं कार्यवाही कार्य का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को चर्चातक समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावक (अथवा फोटोग्राफर) के साथ आगामी माह की अद्यतित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स की रिषम मिनरल्स (प्री-सी चार्लस सिंह रायपूर), घाम-सुरीपार, तहसील-खैराबाद, जिला-राजनांदगांव (सफियालय का नस्ती क्रमांक 1029)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एन.ई.ए.सी/ सीजी/ एन.ई.ए.सी/ 129197/2019, दिनांक 27/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापान दिनांक 09/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाम-सुरीपार, तहसील-खैराबाद, जिला-राजनांदगांव स्थित खसत क्रमांक 36/2, 37/1, 37/3, 38/1, 38/3, 38/4, 41, 42/1, 42/2 एवं 43/1, गूल रोडमज-1623 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता- 49,980 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की मंजूरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्ध्यात निर्धारण प्रक्रियकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), जलोत्सव अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभापदा

निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), फ्लॉरीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। लो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसहस्र सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसहस्र सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की प्राथमिक भाग की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा एकत खदान के 200 मीटर की परिधि में नदिर, नरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी परी स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. माता सरकार, पर्यटन, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / इनफार्मेशन (अद्यतन फोटोसहस्र) को राज्य आगामी बजट की आजीवित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

संबंधित परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फ्लॉरीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/08/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. धाम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संका में धाम पंचायत दामरी का दिनांक 29/01/2014 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संकायक (खनि. अरा.), जिला-राजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4/ख.नि./टीम-8/2017/1023, राजपुर दिनांक 18/11/2017 द्वारा अनुमोदित है। जारी क्लोजर प्लान, माइनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/478/ख.नि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अथवा खदान, क्षेत्रफल 1.148 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/478/ख.नि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित। खदान, क्षेत्रफल 1.148 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसने केवल विचारधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं



हो रहा है कि उष्ण खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए, मांटेनिंगेशन, 2008 (नया संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस लघु क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु संशोधित/नियंत्रण क्षेत्र में विद्यमान खदान की लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अस्तित्व में हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र संगाथा जाना आवश्यक है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (अभिज्ञ काल), जिला-राजनांदगांव के प्रमाण क्रमांक/479/अति. 03./2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उष्ण खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, लक्ष्मण, मरघट, अमरपाल, स्कूल, गुल, बांध, एपीकॉट एवं पाठ आगुनी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - भूमि एवं लीज की प्रस्ताव पत्र राजपुत्र के नाम पर है, लीज सीमा 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/03/2018 से 25/03/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पार्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रालय में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदासंचिकारी, वनसम्पदा संरक्षण, जिला-राजनांदगांव के प्रमाण क्रमांक/मा.वि./म.क. 25/1123 खैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घाट-सुरसिंघर 0.85 कि.मी., अमरपाल खैरागढ़ 10 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। छोटा ताराव 0.75 दूर कि.मी. है।
9. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, जेन्टील ज्वलन निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित इन्टिग्रेटीड भीज्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलैटिकल रिजर्व जमागत 7,30,200 टन, माईनेबल रिजर्व 2,50,200 टन एवं लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (5.054 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। अल्प खासत सभी मेकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्पत्ति 8000 टन है। लीज ईयर डिजिटिंग एवं क्वॉरिंटिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित व्यय (₹)
प्रथम	48,705
द्वितीय	48,705
तृतीय	48,705
चतुर्थ	48,705
पंचम	48,900

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। जड़ी-पौधा प्रस्तावित कार्यक्षेत्र पर्याप्त आपूर्ति जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – जीव क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में पूरा पत्राचार खदान खसरा क्रमांक 38/2 का भाग, 37/1 का भाग, 37/3 का भाग, 38/4 का भाग, 38/3 का भाग, 38/1 का भाग, 41 का भाग, 42/1 का भाग, 43/1 का भाग एवं 42/2 का भाग, कुल क्षेत्रफल - 1,832 हेक्टेयर, अंशता - 48,980 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 28/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि काला, जिला-राजनांदगांव) के आदेश क्रमांक/488/ख.नि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 द्वारा विनाया वर्षों में किये गये प्रत्येक वर्ष की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय (₹)
2018-19	4,575
2019-20 (जनवरी 2020 तक)	37,900

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, कार्यालय, वन और जलवायु परिधीन संजाल, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2016 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा पर्याप्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Govt. Middle School Village-Khursigar	
30	2%	0.60	Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.10
			Total	0.60

समिति द्वारा तत्कालम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों को आनकरी पूर्ण में दिने दूरे विकल्प अनुसार प्रस्तुत किये जाने को लिए निर्दिष्ट किया जाए।
2. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का निस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति कोस्टेज से किया जाना बताया गया है। सेंट्रल प्राइमरी स्कूल अर्बोरेटी द्वारा जारी माईबलाईन अनुसार परियोजना स्वतः सेमी डिटेकल अथवा डिटेकल अथवा लोक जल के संग्रहित करने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्राइमरी स्कूल का उपयोग करने हेतु सेंट्रल प्राइमरी स्कूल अर्बोरेटी से अनुमति की जाति प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त दूरे जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आनकरी जारीवादी की जाएगी।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एलईएसी, छातीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 09/07/2020 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनकरी / दस्तावेज दिनांक 09/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:-

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि साधा), जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्रमांक/6012/ख.सि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक-07/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.140 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवस्थित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का निस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. खसगढ़ ब्लॉक सेंट्रल प्राइमरी स्कूल अर्बोरेटी के लोक जल में जला बाधाका गया है। खदान विट में एलुमिनियम जल का उपयोग किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल का उपयोग नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।

समिति द्वारा बिहार विमर्श उपखंड सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. कार्बोलेज फ्लैक्टर (खनिज खण्ड) द्वारा खनन खदान की 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अवगत प्रमाण तब प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, या एच कार्पोरेट शर्त का विवरण) को साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपखंड आगामी कार्रवाई की जाएगी।  
परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार भूखिंत किया जाए।

12. मेसर्स श्रीमती प्रायल सिंह (बिखलदाह सोईल/ऑडिनरी बले माईन), धाम-बिखलदाह, तहरसिल-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (समिचालन का नस्ली क्रमांक 1081)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नंबर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 125885/2018, दिनांक 27/12/2018 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने से प्रायन दिनांक 09/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वारिष्ठ जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (नौण खनिज) खदान है। खदान धाम-बिखलदाह, तहरसिल-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खनन क्रमांक 268/1, कुल क्षेत्रफल - 1.213 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (नौण खनिज) क्षमता-1,000 मसमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित खनन पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सन्तुष्टात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), धरतीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए), धरतीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडाकस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनारोपण की अवगत स्थिति की जानकारी फोटोडाकस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कक्षा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सार्वजनिक कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. सार्वजनिक कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक पूरी संबंधी पहचानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोफ्लैश) के साथ आगामी मंड की आवेदित विद्या से प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी सजीव सिंह, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न सिद्धि पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पांडरावा का दिनांक 23/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एच. लक्ष्मण (खनि, एम.ए.) जिला-राजपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.सि./लीज-6/2017/3212, राजपुर दिनांक 08/02/2017 द्वारा अनुमोदित है। जारी कलेक्टर प्लान, न्यूनीय प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — सार्वजनिक कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजपुर के ज्ञापन क्रमांक/477/ख.सि.03/2020 राजपुर दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — सार्वजनिक कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजपुर के ज्ञापन क्रमांक/477/ख.सि.03/2020 राजपुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुज, बाघ, एनीकट एवं जल आधुनी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — लीज सीमा पाण्ड सिंह के नाम पर है, लीज कीज 08 वर्ष अवधि दिनांक 03/12/2007 से 02/12/2012 तक की अवधि हेतु थी।



प्रथम नदीनीकरण दिनांक 03/12/2012 से 02/12/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् तीसरी सीड दिनांक 03/12/2017 से 02/12/2027 तक की अवधि हेतु कृषि की गई है।

6. भूमि स्वामित्व - भूमि की बही विद्याल सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहाय्यी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्राकृतिक सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनस्पतसंरक्षणाधीन, पन्नाखल चौकगढ़, जिला-राजसमन्दाय के द्वारा क्र./मा.वि./ग.क्र. 26/1122 चौकगढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अधिदेश क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7.8 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाब-विद्यालवाह 0.75 कि.मी., स्कूल घाब-विद्यालवाह 2 कि.मी., एवं जलस्रोत 0.75 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 34 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कि.मी. एवं राजमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। अगले नदी 0.03 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेन्ली पील्सुटेड एरिया, पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिशोधित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 20,320 घनमीटर एवं रिजर्वेड रिजर्व 8,780 घनमीटर है। सीड क्षेत्र की घारी और 1 मीटर (0.324 हेक्टर) क्षेत्र होता है। खनन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, इसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। प्रस्तावित चिमनी की गहराई 38 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत कलाई रेत का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना**

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	1	1,000	870
द्वितीय	1,000	1	1,000	870
तृतीय	1,000	1	1,000	870
चतुर्थ	1,000	1	1,000	870
पंचम	1,000	1	1,000	870

**आगामी वर्षों का उत्खनन योजना**

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छठवे	1,000	1	1,000	870
सातवे	1,000	1	1,000	870
आठवे	1,000	1	1,000	870
नौवे	328	1	328	319
दसवां	328	1	328	319

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के बीरोवेल के माध्यम से किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलाव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकालम अवसात अग्रगई चालनी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल हाउसिंग बोर्ड अधीनस्थ से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. वृक्षारोपण कार्य - सीज बीच की सीमा में शारी और 1 मीटर की गहराई में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 200 नग वृक्षों का रोपण किया जाएगा।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में निरटी खदान खनन क्रमांक 268/1, कुल क्षेत्रफल - 1318 हेक्टेयर, क्षमता - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (धर्म शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/908/अ.लि-03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 28/05/2020 द्वारा दिनांक वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2007-08	4
2008-09	140
2009-10	1,430
2010-11	1,022
2011-12	982
2012-13	480
2013-14	3,750
2014-15	4,060
2015-16	8,060
2016-17	990
2017-18	900
2018-19	1,000
2019-20	890

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 से अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा करवाते निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.40	Following activities at Govt. Middle School Village-Chikhalda	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.40</b>

16. समिति को संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि सचलम के 30 मीटर में जलनेर नदी बहती है। जलजलन नदी तट के 100 मीटर की दूरी को छोड़कर किया जाना आवश्यक है। तदनुसार साईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना होगा।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. नदी तट से 100 मीटर की दूरी को छोड़कर जलजलन किये जाने वाले संबंधित अनुमोदित साईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. आवश्यक जल की क्षमता हेतु सेन्ट्रल इन्फ्रस्ट्रक्चर वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र प्रस्तुत की जाए।
3. जलजलन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. स्थल निरीक्षण के तत्पश्चात सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परिशिष्ट प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परिशोतना प्रस्तावक को एसईएसी, असीएसएड के अपन दिनांक 03/07/2020 के परिशिष्ट में परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 09/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति साई गई:-





1. जलरी प्लान जो ग्राम संघाध्यक्ष (अनि.प्रसा.) जिला-रायपुर विभाग 06/02/2017 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें नदी तट से 100 मीटर की दूरी को छोड़कर उत्खनन किया जाना बताया गया है।
2. खीरागढ़ ब्लॉक सेंट्रल हाउसिंग कोटर अथॉरिटी को रीफ जोन में आता है। हाउसिंग कोटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल हाउसिंग कोटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक अधिन है कि यह पूर्ण से संबंधित खदान है, जिस पर नीचे शासन द्वारा प्रदाय की गई है।
4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत आईमरी स्कूल विद्यालय में सोलर फैनल सिस्टम का प्रस्ताव दिया गया है।
5. समिति का मत था कि राजभांडगांव क्षेत्र के स्कूलों में सोलर फैनल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता प्रतिक्रिया नहीं होती है। साथ ही स्कूल/कॉलेज के फोटोवोल्ट एवं कार्ब किये जाने की अनुमति संबंधी जानकारी/वस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया जाना संभव नहीं है।
6. भूमि की पट्टी विशाल सिंह के नाम पर है। अतः उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. हाउसिंग कोटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल हाउसिंग कोटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. स्थल निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत आईमरी स्कूल विद्यालय में सोलर फैनल सिस्टम के स्थापन पर रेगुलर इन्वेंट्री व्यवस्था की गणना स्कूलों के पूर्व इंटरफेस (एनक एरिया एवं ओपन एरिया), पीने योग्य पानी, वृक्षादीपन आदि को शामिल करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / वस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



13. श्री विद्यालय व्यवधारी द्वारा दिनांक 25/11/2020 को जेफिल पत्र के संबंध में।

आवेदन - श्री विद्यालय व्यवधारी द्वारा निम्न खराबी को जारी होना, (TOM) के प्रस्तावों का पुनः प्रस्तुतीकरण का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रमांक	नाम	हेक्टियर
1.	श्री विद्यालय व्यवधारी	1.85
2.	श्री बानीसही व्यवधारी	0.581
3.	श्री बानीसही व्यवधारी	1.407
4.	नेसली एस.एस.डी इंटरमैडियेट	1.214
5.	श्री प्रदीप जैन	1.900
6.	श्री मोहन लोहानी	0.647
7.	श्री दीपक शर्मा	1.84
8.	श्री हरिन्द शर्मा	-
9.	श्री लीलावती बल्लानी	0.809
10.	श्री जटल कुमर गोदवानी	1.142
11.	श्री जटल कुमर गोदवानी	1.315
12.	श्री जटल कुमर गोदवानी	2.242

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा माली, प्रस्तुत, व्यवधारी का आवेदन एवं परिधान करने का निम्न स्थिति पाई गई कि श्री विद्यालय व्यवधारी द्वारा भारत सरकार, परीक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को द्वारा दिनांक 08/10/2020 के संबंध में जल्द पत्र लभे जाने हेतु आचार प्रधान किन्हे जाने का अनुरोध किया गया है, जबकि सदरलि पत्र की आवाजति सलमन नहीं की गई है।

उपरोक्त पत्र के परिच्छेद में समिति द्वारा विचार विमर्श उपराल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदन को तब में उल्लेखित कार्ने की गति जलुट किने जाने हेतु निर्दिशित किया जात।

परिच्छेदक प्रस्तावक को तदनुगत सुचित किया जात।

बैठक अनुसूद्ध आचन की साथ सलमन हुई।



(अनंदकुमार शिखी)

सदस्य सदिय

राज्य सार विशेषज्ञ अंजन समिति  
जालीसगढ़



(हीरेन्द शर्मा)

अध्यक्ष

राज्य सार विशेषज्ञ अंजन समिति  
जालीसगढ़

गैसार्स की मुझेहा अथवाल (गैसाईंखुई लाईन स्टोन माईन)  
की खनन क्रमांक 6/2/2 एवं 6/22/2, कुल लीज क्षेत्र 1.318 हेक्टेयर, ग्राम-  
गैसाईंखुई, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज में चूना पत्थर (ग्रीन  
खनिज) उत्खनन क्रमांक-23,512 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (ग्रीन क्षेत्र) 1.318 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टीसी में से जो बन ही) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 23,512 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का स्थापना कटकाव पहले मुम्हरे लगाया जाए।
2. पर्यावरण प्रभावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारीत नहीं किया जाए, अतितु इसी प्रक्रिया में अथवा दुष्प्रभाव हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं बायोलीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारीत नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कचरेकाव का जल उपचार से न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपसारीत दूषित जल को गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसमु परिवर्तन, मजालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा उपरक खान संचालन इट करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, खननी से-पारिंग (re-grassing) की जाएगी एवं चूनि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह बाहर वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। पर्यावरण प्रभावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. चू-जल के उपयोग हेतु क्षेत्रीय चू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी किन्हीं / वेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / घण्टात्म घण्टात्म से कम सुनिश्चित किया जाए। प्रसार, खनि, ट्रांसफर, आइएल (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च एफसिडेन्स सिस्टम के साथ उच्च क्षमता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वार्टिज डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। धूम्र मार्ग, रैप, संवहन क्षेत्र, मर्राई एवं अन्य उच्च उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम साइडन सिस्टम एवं जल सिंक्रावण की व्यवस्था की जाकर इसका सात संचालन / संवहन सुनिश्चित किया जाए। विभव रेडियेशन का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. पाहणी, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। वास्तविक क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता बाला साखर की पर्यावरण, वन और जल वायु परिक्षण संजालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुआरिंग्स किया जाए। वास्तविक खनन करने के पूर्व ऊपरी मिट्टी 14.484 फीटगैटर के भण्डारण हेतु स्वाम्य प्रयोजनों से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की अति दसई/आई.ए.ए. पर्यावरण को प्रेषित की जाए।
9. वास्तविक क्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग वास्तविक हेतु उपयोग से न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंड को फिर (रेविलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन क्रिया के साथ-साथ (ऑनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरलैंड एवं अनुसंधानी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ अम्ल-पानी की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा कक्ष 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंड डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से पुनर्स्थापन किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुसंधानी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के प्रथम चरण में गड्ढों में पुनःकरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वाणिज्यिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. पर्यावरण संरक्षणक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न विन्ड लीज क्षेत्र के अम्ल-पानी के स्लाटी जल स्त्रोतों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंशन वॉल / फल्लोव ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मकानकारी वाहनों द्वारा ही किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अगला से अधिक नहीं मरा जाय सुनिश्चित किया जाए।
14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60.31	2%	1.21	Following activities at Govt Primary School, Village-Bhelaikhurd	

			Rain Water Harvesting System	0.75
			Potable Drinking water Facility	0.25
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>1.25</b>

15. बी.ई.आर. को लागू निर्धारित कार्यवाही 60 माह में अन्तिम रूप से पूर्ण किया जाए।
16. वायुमय हेतु निश्चित क्षेत्र (घासों ताल 7.5 मीटर लंबा क्षेत्र), लीज रोड, ओवरबोर्ड लाइन आदि में स्थानीय प्रजाति को 700 वृक्षों का कठिन वृक्षारोपण मार्च, 2021 तक किया जाए। इतिहास पट्टी का विकास कोन्टीय वृक्षारोपण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका को अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टर लीज क्षेत्र को अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, लीसू, आम, इमली, अर्जुन, शिरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को 300 वृक्षों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जब्या कंट्रीदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत वृक्षों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्थोमॉर्फिक रिपोर्ट में समाहित गतते हुए उत्तीसन्द नवीकरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टात निर्धारण प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.) उत्तीसन्द को ज्ञात किया जाए।
20. परिधीयता प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उल्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनिों को इन्सुलेशन/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधराशीम जीव एवं आवरणकता अनुसार उभका उपचार भी कराया जाए।
21. स्वाम प्रधिकारी / डी.जी.पी.एस. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं निर्धारित गिरे से प्राप्त किया जाए। खदान को छोटे-छोटे टुकड़ों (मलाई रोड) को खदान से दूर करने हेतु पर्याप्त एवं स्वाम व्यवस्था किया जाए। पेट ड्रिलिंग अथवा डामु वृक्षारोपण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
22. वायुमय प्रक्रिया मू-जल सार को उपर प्राप्त प्रभाग में की जाएगी एवं रखरखन प्रक्रिया मू-जल सार को नीचे किन्ही भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।



23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन प्रतीसंग्रह गौण खनिज निगम, 2015 के प्राक्कान्ती, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राक्कान्ती का पालन किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि जेन्डिंग सैनिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास हेतु परिसर व्यवस्था परिशोधना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। व्यवस्थित व्यवस्था अस्थायी शिविरों के रूप में हो सकती है, जिले परिशोधना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विभिन्नभागीय बुधिया, नौबाला टाकरीट आदि की व्यवस्था परिशोधना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय-समय पर स्वास्थ्यपरिक्षण हेतु सर्विलंस कराना आवश्यक है।
28. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित खनिजित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अन्तम किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थित पर अधिकार रहाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्थित को मुक्तान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय मामलों / विधियों के उत्तरण हेतु अधिकृत करता है।
30. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधना की समेता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत बदल रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में शर्तों/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तरण / निरस्तान के मामलों को और सजा करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
31. परिशोधना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिशोधना क्षेत्र के आस-पास व्यवस्था रूप से उपलब्ध हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आवास की सूचना प्रसारित करेगा कि परिशोधना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका उपलब्ध एस. ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही को एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकपुर, एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीसंग्रह एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदल शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।



34. एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्ती को अनुमति के संभव में ही जाने वाली भौतिकीय हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावक छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्ती का अनिवार्य रूप से पालन करनेका। ये शर्ती जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमी, परिष्कृतनय और अन्य अधिष्ठ (अर्थ एवं सीमायान संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) को अर्पित विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विधान अथवा परिष्कृत होने की दृष्ट में एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ की पुनर्नीयन जानकारों सहित सुचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ इस पर विचार कर शर्ती की सम्बन्धिता अथवा नवीन शर्ती निर्दिष्ट करने बाधम् निर्यय ले सके। अज्ञान में कोई भी विधान अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय लक्ष्यता की प्रति को इनके क्षेत्रीय कार्यालय, विश्व-आधार एवं उद्योग क्षेत्र एवं क्लेक्टर/गैरबीलवार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय लक्ष्यता के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को लक्ष्य नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए क्रमवर्गी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

## श्री मनमोहन शर्मा

(गुरुजी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, खिलापहरिया डोलोमाईट माईन),  
की स्वतंत्रता क्रमांक 3/2, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टर, ग्राम-खिलापहरिया,  
तहसील-जैजपुर, जिला-जाजपुर-बांधा में डोलोमाईट पत्थर (ग्रीन खनिज)  
उत्खनन क्षमता-2,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली  
शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (लीज क्षेत्र) 4.99 हेक्टर अथवा उत्खनन क्षेत्र, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2,50,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन क्लेयर पक्के मुन्दरे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) को उत्खनन की खनिज एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक क्रियाएं एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अथवा इस क्रिया में अथवा पुनरोपयोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार से लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्डेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता काल-बराबर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिद्वान, महालय गई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्खनन क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) से अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनिज खदान धारक खदान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जलोढ़ आदि से उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल को उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी किन्हीं / वेद / प्वाइंट बोर्ड से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, ट्रांसपेन वाइएल (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ डबला वा वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लुइडिज डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। बट्टीय धर्म, रैम्प संरक्षण क्षेत्र, बर्राई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन किन्तुओं डस्ट कोन्ट्रोल कम संरक्षण सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर



इसका सख्त संयोजन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए। विषय क्षेत्रों को भी निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. जलनी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यवेक्षण संयोजन अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उल्लंघन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार को पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र को चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढप / मण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उल्लंघन प्रक्रिया के दौरान इटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उल्लंघन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्यार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए (स्टेबिलाइज्ड) बनाने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (ऑनकॉन्टैक्ट) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से मण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. औद्योगिक एवं अनुपयोगी/बिना उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विनिर्दिष्ट स्थल पर मण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के मण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डारित पदार्थ जल-वायु की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढप की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लैब 28 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक ढप का ढरम रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो औद्योगिक एवं अन्य अनुपयोगी/बिना उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को खनन को पर्यवेक्षण करने वाले में पुनः उपयोग (रिचार्जिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. पर्यवेक्षण प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी लीज क्षेत्र को जल-वायु के सख्त जल स्रोतों से अलग न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / बायोलेक ड्यून को व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन गैरसुचारु तरीके से नहीं करना है कि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अगल से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt Primary School	
			Village - Chhitapadaria	

			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.50
			<b>Total</b>	<b>1.50</b>

15. सीईओआर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. जाचकनन हेतु निश्चित क्षेत्र (पानी ताल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरवॉलड ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 पौधों का सघन वृक्षारोपण मार्च, 2021 तक किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नए प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सौरभ आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या अफेंदर बार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित काम पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरीक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरीक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ग में पूर्ण किया जाए।
18. वृक्षारोपण का बड़-बहाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
19. किये गये वृक्षारोपण की गुण्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्रामा अर्थमेट्रिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये चलीसगढ़ पर्यटन संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यटन संरक्षण विभाग प्राधिकरण (एन.ई. आई.ए.ए.) चलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
20. परियोजना प्रशासक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर जाचकनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इयरप्लग/मास्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विहितभासीत जाँच एवं आवश्यकता अनुसार धनका उपचार भी कराया जाए।
21. सक्षम अधिकारी / डी.जी.एम.एल. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं निश्चित विधि से क्षारिण किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लाइ वुड्स) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
22. जाचकनन प्रक्रिया सू-जल स्तर की उपर असांतुल्य प्रभाव में की जायेगी एवं जाचकनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
23. जाचकनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्भाव हो।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीम खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गीम खनिज विधम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि जेम्सिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था आवश्यक संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विभिन्नकालीन सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय-समय पर स्वास्थ्यवर्धक हेल्थ सविलेस कठारा आवासीय है।
28. उत्खनन की तकनीक, कार्य शैली एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार कार्यालय योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्बन्धित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अर्थ यह कि कौनसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थान पर अधिकार दाखिले का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्थान को मुक्तसल गर्हणने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कम्प्लेक्स में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन/समय से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निश्चय के मामलों को और सख्त बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक प्रकल्प 2 स्थानीय सम्बन्धित शर्तों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित है, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आरूप की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की शर्तों सविधान, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अन्य प्रमुख विधेय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अदल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिसालपुर एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल



के वैधानिक/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परिवहन/प्रशासनिक प्रतीक्षण पर्यावरण संरक्षण समझौते एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाए गए नियमों, परिशिष्टकरण और अन्य आदेशों (जैसे एन सीमांत संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक सचिवालय सेवा अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
36. प्रस्तावित परिवहन/प्रशासनिक प्रतीक्षण में एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीक्षण में प्रस्तावित विभाग में कोई भी विभाग अस्वाभाविक परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीक्षण की पुनर्गठन जानकारी सहित सुविधा किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीक्षण इन पर विचार कर शर्तों की अनुपालना अथवा नहीं शर्त निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। प्रदान में कोई भी विभाग अथवा सम्पूर्ण एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीक्षण / पर्यावरण, पन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. प्रतीक्षण पर्यावरण संरक्षण समझौते पर्यावरणीय सौकृति की शर्तों को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग सेंटर एवं कलेक्टर/लोकसचिव कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय सौकृति के विरुद्ध अपील मेशनल डीन ट्रीब्यूनल के समक्ष मेशनल डीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिवस की समय अवधि में ही जा सकती है।

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

**श्री संजय कुष्मानी ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी,  
(श्री- श्री संजय कुष्मानी, ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी)**

की खासत तर्जांक 24, पाप-मनकोशरी, तहसील ब जिला-उ.प्र. कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 1.89 हेक्टर, साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन क्षमता - 64,725 टन प्रतिवर्ष एवं मूल्य (ग्रीन खनिज) उत्खनन क्षमता-21,530 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रगत (लीज क्षेत्र) 1.89 हेक्टर अथवा छोटीसमूह शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोनी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन क्षमता - 64,725 टन प्रतिवर्ष एवं मूल्य (ग्रीन खनिज) उत्खनन क्षमता-21,530 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कानून पत्रके मुताबिक होगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की प्रक्रिया एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतिसु दूषित प्रक्रिया में अथवा सुशोषण हेतु पुनःसुशोषण किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं बायोपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अपसर्ग में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनःसुशोषण द्वारा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छोटीसमूह पर्यावरण उत्खनन संकलन द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पदार्थ को खान संपादन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खानों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-गासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःसुशोषण इस निधि से किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र, वनस्पतियों, जीवों आदि को उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं अधिकांश री-अनुसूचित माईन ग्लोबल प्लान एक बंद के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल को उपयोग हेतु सैन्डीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन अथवा करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विस्फोट / बॉम्ब / फ्लॉट मोरल से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / घनगन्ध घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अथवा, खनि, ट्रांसपोर्ट वाहनों (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ वायु फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न एम्प्लिस्टीव बस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रकृति एवं नियंत्रित रूप से किया जाए। धुंध, धान, रेत, संपादन क्षेत्र, मरुई एवं अन्य बस्ट उत्सर्जन विन्दुओं बस्ट अटैन्चमेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सफल संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विषय क्षेत्रों में वातावरण को सुरक्षित रखा जाए।

7. कठनी, ध्वंसन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अन्तर्गत रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संभालन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. जीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का संग्रह / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में सफाईकर्म किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान कटाई गई जमीन मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग संरक्षण हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों को फिर (रेस्टोरेशन) करने में किया जाए। जहां पर जमीन मिट्टी (टॉप सोईल) को ध्वंसन प्रक्रिया के साथ-साथ (कोनक्रेट/सी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. औद्योगिक एवं अनुपयोगी/बिजली उपयोग खनिज (वेस्ट रॉक) को कुशल से पूर्ण से विनिर्गत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। जमीन की ऊंचाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर से अधिक न हो। औद्योगिक क्षेत्रों का ध्वंसन रोकने हेतु मैकेनिक तरीके से सफाईकर्म किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो औद्योगिक एवं अन्य अनुपयोगी/बिजली उपयोग खनिज (वेस्ट रॉक) को ध्वंसन से बचाता बने गड्ढों में पुनःभवन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परिसीजन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ध्वंसन प्रक्रिया से उत्पन्न सिद्ध जीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की चाल सड़कों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्रों में रिटर्निंग वॉल / गार्डनेड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मतलबवाली कंटेनरों/कॉन्टेंरों से किया जाए, ताकि खनिज गिरने से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को धमिल से अधिक नहीं गरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नांकित प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.11	2%	0.54	Following activities at Govt. Middle School Villages - Mankeahri	

		Rain Water Harvesting System	0.55
		Potable Drinking Water Facility	0.15
		Total	0.70

15. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्बनवाही 03 माह में अधिचार्य काम से पूर्ण किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (जारी तर्फ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डीन रोड, औपरवर्धन इन्फ्रा आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सफल वृक्षारोपण मार्च 2021 तक किया जाए। हरित घट्टी का विकास संदीय प्रकृता नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 350 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (पक्का कांटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वशा में संबंधित प्राण पंचांगत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ग में पूर्ण किया जाए।
18. वृक्षारोपण का मृत-रक्षा अवधि 3 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.एस.एस. (Differential Global Positioning System) गाई एवं फोटोग्राफ अर्थात् रिपोर्ट से सत्यापित करती हेतु प्रतीसमय पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निदेशन अधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रतीसमय को प्रेषित किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के निर्वहन हेतु सावधान्य उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्साधीन जाँच एवं आवाजकला अनुसार रजला उपचार भी कराया जाए।
21. सक्षम अधिकारी / डी.जी.एस.एस. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं निश्चित जगह से स्थापित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई वील्ड) को जड़ने से रोकने हेतु मर्चाया एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। गैट डिभिनिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अथवा गैट डिभिनिंग किया जाए, जिले बसट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
22. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुल्य प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसन्तियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौल्य खनिज का उत्खनन प्रतीसमय मौल्य खनिज नियम, 2018 के प्राधान्य, अनुमोदित उत्खनन क्षेत्रना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च एक्ट 1952 के प्राधान्य का पालन किया जाए।



25. कार्य स्थल पर यदि लैबिंग अभिकार कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अभिकारों के आकलन हेतु उचित व्यवस्था परिचोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था आस्थापी संरचनाओं के साथ वे हो सकती हैं, जिसे परिचोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
26. अभिकारों के लिए कर्मचारी स्थल पर समस्त वैयक्तिक विधिविभागीय सुविधा, नोकड्रल टायलेट आदि की व्यवस्था परिचोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. अभिकारों का समय-समय पर आकस्मिकतामय हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
28. रखरखाव की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित रखरखाव योजना को अनुसंधान वार्षिक योजना, जिसमें रखरखाव, इतिहास की मांग एवं अपेक्षित स्थितिगत है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंगद / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी अतिरिक्त अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिचोजना को संप्रेषण में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के साक्ष्यप्रद रूप से पालन न करने की वजह से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा सलाहजन / निरस्तता के मांगकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
31. परिचोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परिचोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिचोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाय हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ स्विकारण, प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अद्यतन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अद्यतन एस. ई.आई.ए.ए., प्रतीसंगद की वेबसाइट [www.seiacg.org](http://www.seiacg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई आवेदावली को वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीसंगद एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाय शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिचोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आरेखन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीसंगद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।





35. परिधीयता प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें खल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 तन्तु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत किये गये नये नियमों, परिशुद्धनक और अन्य अधिष्ठित (प्रबंध एवं सीमांकन सम्बन्ध) नियम, 2018 तथा लोक वाणिज्य बीमा अधिनियम, 1951 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
36. प्रस्तावित परिधीयता की शर्तों में एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पुल्लता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा सम्मयन एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलसम्पु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को सम्बन्धी क्षेत्रीय लाइसेंस, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्बन्ध में गणतन्त्र ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एच.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एच.ई.ए.सी.

मैसर्स एस.आर. सरकार कुरुक्षेत्री आर्किटेक्चर प्रवासी क्वार्टर क्रमांक 174, ग्राम-कुरुक्षेत्री, तहसील-पञ्जाबपुर, जिला-काँकर, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, साम्प्रदायिक पक्कर (पौष्प खनिज) उत्खनन क्षमता - 57,430 (पौष्प खनिज) टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा भारतीयसभ्यता शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साम्प्रदायिक पक्कर का अधिकतम उत्खनन क्षमता - 57,430 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का वीर्यासन कक्षाकर पहले मुपारे लमाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेतु दूषित जल (यदि कोई हो), से पक्कर की दूषित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल जो किसी नदी अथवा खाड़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनःउत्पन्न हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेतु दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं लोकोपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल आपात में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपर्युक्त दूषित जल को गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा भारतीयसभ्यता पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि भद्रता धारक खान संयंत्रों में बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनको री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह मार, कर्मगणियों, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्रविष्टियों के अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विपत्ती / ब्रेक / स्लाइड जोरों से परिसरुलेट गेटर क्लोजर की मात्रा 30 मिमी/घंटा / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर, स्थूल, ट्रांसकर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में जल प्रवृत्त नियंत्रण हेतु बस्ट एक्स्टेंशन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का बंग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लूइडिज बस्ट क्लोजर का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। गह्वर मार, रेन्ड, साइडिंग क्षेत्र, भरई एवं अन्य बस्ट उत्सर्जन किन्दुओं बस्ट कंट्रोलिंग कम शोषण सिस्टम एवं जल छिद्रकणों की व्यवस्था की जाकर इसका सातु संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग धोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. बाहरी, छानन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु प्रदूषण नियंत्रण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. जीज क्षेत्र के बाहरी तलम छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई रेस्ट वा उप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया से बचाने के लिए कटौत मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः स्थापित हेतु अथवा बाहरी औपखनन को स्थान (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए। जहां पर कटौत मिट्टी (टॉप सोईल) को छानन प्रक्रिया से बचाने-बचाने (सीलकरीटिंग) उपयोग किया जाता समय न हो, तब इसे पुनः वी भण्डारित कर परिधि में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. औपखनन एवं अनुसंधानी/खिनी उपयोग खनिज (विस्ट रीक) को पुनः वी पूर्ण से विनियमित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ऊंच की ऊंचाई 3 मीटर तथा तलम 20 डिग्री से अधिक न हो। औपखनन उच्च वा बरतन रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो औपखनन एवं अन्य अनुसंधानी/खिनी उपयोग खनिज (विस्ट रीक) को छानन के पर्याप्त बने स्थलों में पुनःस्थापित (वी किलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परिवहन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि छानन प्रक्रिया से उत्पन्न विस्ट जीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा अन्य क्षेत्र में डिटेनिंग वॉल / गार्डलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन सेक्रेकरी कस्टर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की अंशा से अधिक नहीं मस जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.5	2%	0.49	Following activities at Govt. School Villages - Phurphundi	
			Rain Water Harvesting System	0.40



		Potable Drinking Water	0.15
		Total	0.55

15. सीडिंग/आर के तहत निर्धारित कर्पावाही 03 मछ में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. पराक्रम हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) हील रोड, ओवरलैंड अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण मार्च, 2021 तक किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीच क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, रीसु, आम, इमली, अर्जुन, तीरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित घात पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. वृक्षारोपण का सब-रखाव अगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित काले हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
19. किले वरी वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्थोरेक्टिक रिपोर्ट में समाहित काले हुए घातिसंग्रह पर्यावरण संरक्षण समूह एवं राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निर्देशन प्राधिकरण (एसई आईएए), घातिसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूनि प्रदूषण से निरोधन हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। शानि का स्तर पराक्रम क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र शानि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवाजकला अनुसंधान कक्षा उपचार भी कराया जाए।
21. सख्त प्रतिकारी / डीजीएमएस से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं निर्धारित विधि से ध्वंसित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लाई वीक) को चकले से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
22. पराक्रम प्रक्रिया भू-जल स्तर के स्तर अनुरूप प्रमाण में की जाएगी एवं पराक्रम प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
23. पराक्रम की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीत खनिज का उत्खनन घातिसंग्रह नीम खनिज विधम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय संरक्षण योजना के अनुसार किया जाए। गार्डन ट्रस्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि कोमिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था



अस्थायी संरचनाओं को रूप में हो सकती है, जिसे परिष्कारित करने के माध्यम से  
हटाया जा सके।

26. भूमिगतों को लिए खनन स्थल पर सख्त पैदावार विकिसाक्षीय सुरक्षा, सीमांकित एरियास  
आदि की व्यवस्था परिष्कारित प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. भूमिगतों का समय-समय पर आसपास के क्षेत्र में स्थिति का ज्ञान आवश्यक है।
28. खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित खनन योजना के अनुरूप वार्षिक  
योजना, जिसमें खनन, खनित की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी  
प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु  
परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य  
संस्थान पर अधिकतर इतराने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी  
निजी संस्थान को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अतिक्रमण करना  
केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिष्कारण की समस्तता में  
परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत प्रदान रूप से प्रदान न करने की दृष्टि में किसी  
भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्त  
के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
31. परिष्कारण प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय सम्पर्क पत्रों में, जो कि परिष्कारण क्षेत्र को  
आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के  
भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परिष्कारण को पर्यावरणीय स्वीकृति  
प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ स्थितियों, छत्तीसगढ़  
पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.  
ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seaeco.org](http://www.seaeco.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में की गई शर्तों के प्रदान हेतु की गई कार्यवाही की आई वार्षिक  
रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़  
पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया  
जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर  
द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के प्रदान की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस  
हेतु परिष्कारण प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं अवैतन  
का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार, नगपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल  
के वैचारिक/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में भी जाने वाली  
मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परिष्कारण प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की  
गई शर्तों का अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा  
विध्वंस) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा विध्वंस) अधिनियम, 1981,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धतायुक्त और अन्य अपशिष्ट (उत्पाद एवं सीमांकन संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक सचिवालय विनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिष्कार होने की घटा में एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को पुनः नवीन जानकारी सहित सुधारा किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह इस पर विचार कर शर्तों की अनुकूलता अथवा नहीं तर्क निर्दिष्ट करने वास्तु निर्माण में सके। अतः में कोई भी विवरण अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह / पर्यावरण, रण और जलवायु परिवर्तन संशोधन भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण सफ़टन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट-आफ़िस एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्राक्कान्ती अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सावरभ सजिन, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

देशीय भी शिफ्टिंग रवाई (बेलटिकरी डोलराइट स्टोन माईन)

(भी - भी शिफ्टिंग रवाई, बेलटिकरी डोलराइट स्टोन माईन) को खसरा क्रमांक 1483, कुल लीज क्षेत्र 0.74 हेक्टर, ग्राम-बेलटिकरी, तहसील व जिला-सुरजपुर में डोलराइट मत्थर (बीज खनिज) उत्खनन क्षमता-12,430 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकांश उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.74 हेक्टर अथवा सखीसगड़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलराइट मत्थर का अधिकांश उत्खनन 12,430 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का संस्थापन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परिदोजम्ह प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलु दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पशुशोषण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलु दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपैट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल संचयन में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल को पुनःउत्पाद बाजार तककर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (एच बी कडोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी वी-रिजिंग (re-vegetation) की जाएगी एवं मृत्ति का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, घनपत्तियों, जीवी आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिदोजम्ह प्रस्तावक द्वारा रक्षक अधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक बरह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. मृ-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मृ-जल बोर्ड से उत्खनन आरम्भ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी गिम्पी / गैट / ग्राईट बोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को मात्रा 60 मिमीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, खनि, ट्रांसपेर पाइप्टस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्स्ट्राक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पार्टिकुलेट इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्युष मार्ग, वेन्ट सड्डन क्षेत्र, मराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन विमुक्त इस्ट कॉन्टेनर कम संरक्षण सिस्टम एवं जल सिद्धकाय की व्यवस्था की जाना इत्यादि सतत संचालन /संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। विषय बेकिंग सोल का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

7. पाहणी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट यन्त्रों के अनुसूची रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु को सुगन्धित भासत सरकार को पर्यवेक्षण, वगैरह जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित यन्त्रों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीड क्षेत्र के जारी तापक छोड़ी गई 7.5 मीटर की भीड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का ढग / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में पुनरावेषण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः चढ़ान हेतु अथवा बहरी ज़ेडलैंड्स को रिचर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (वीनकरेंटली) उपयोग किया जाता संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ज़ेडलैंड्स एवं अनुपयोगी/बिड़ी अधोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आम-प्रास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊंचाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 28 मिटर से अधिक न हो। ज़ेडलैंड्स ढग का धरन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से पुनरावेषण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ज़ेडलैंड्स एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अधोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के अवसात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परिषदीय प्रसहयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीड क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु नईन पीट तथा ढग क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन गैकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज धरन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं मरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
₹.13	2%	0.18	Following activities at Govt Primary School, Village-Balhari	
			Running water arrangement in total	0.15



			Plantation	0.05
			Total	6.20

15. बी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्बनवाही 03 ग्राह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. पराजना हेतु निविद्ध क्षेत्र (गार्ड रोडक चौड़ा क्षेत्र), लॉल रोड, जोवरबार्न अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 पौधों का साठन वृक्षारोपण मार्च, 2021 तक किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका को अनुसर किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 वन प्रति हेक्टेयर लीच क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, रीसू, आम, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये घनदुक्का एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कार्टेदार सार के साथ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित पान संवायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरीकृतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरीकृत वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. वृक्षारोपण का रक्ष-रखत अगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित कर्त्तव्य होने पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
19. विश्व ग्लोबल वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राम्फ अर्थग्राफिक सिस्टम में समाहित कर्त्तव्य होने उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सार पर्यावरण सन्वायत निर्धारण अतिव्यवस्था (एन.ई.आई.ए.ए.), अलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का स्तर पराजना क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। रात्रि ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार चन्का उपचार भी कराया जाए।
21. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरत सुरक्षित एवं नियंत्रित स्थिति से प्राप्त किया जाए। सक्षम के छोटे-छोटे टुकड़ों (स्लाइड रोम्स) को चढ़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेस्ट ड्रिलिंग अथवा अन्य प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आवश्यक ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का पराजना नियंत्रण में रहे।
22. पराजना प्रक्रिया भू-ऊत सार के उपर असंतुष्ट प्रभाव में ली जाएगी एवं पराजना प्रक्रिया भू-ऊत सार को पीछे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
23. पराजना की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित ली जाए कि समस्याओं एवं जीव-जन्तुओं का कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बल्डिंग का पराजना अलीसगढ़ ग्रीन बल्डिंग नियम, 2015 की प्रावधानों, अनुमोदित पराजना योजना एवं पर्यावरणीय प्रदूषण योजना के अनुसार किया जाए। मार्च 2012 की प्रावधानों का पालन किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि कम्प्लेक्स अधिक धातु मर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवश्यक हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा ली जाएगी। आवश्यक व्यवस्था

अस्थावी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवर्धन सूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

26. भूमिगत के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ वेपजल डिफ्लेक्सीय सुविधा, मोबाइल टामलेट आदि की व्यवस्था परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. भूमिगत का समय-समय पर आयुपूर्वकता हेतु सर्विलंस करना आवश्यक है।
28. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार दैनिक योजना, विस्तार उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, ये किसी भी प्रकार का परिवर्धन एराईआईएए, फ्लोसगड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को मुक्ताने पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय तानुनी / विधियों के उपलक्षण हेतु अधिभूत करता है।
30. एराईआईएए, फ्लोसगड पर्यावरण संरक्षण को दृष्टि से परिवर्धना की अपरेखा में परिवर्धन अथवा विनिश्चित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वास्तविक / निम्नान्त से मानकी को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
31. परिवर्धना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाधान वाले में जो कि परिवर्धना क्षेत्र के उत्तर-पूरव भागक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवर्धना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अधिपालय, फ्लोसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एराईआईएए, फ्लोसगड की वेबसाइट [www.ashacg.org](http://www.ashacg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट फ्लोसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय फ्लोसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अमिचलपुर, एराईआईएए, फ्लोसगड एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए बस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एराईआईएए, फ्लोसगड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / फ्लोसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परिवर्धना प्रस्तावक फ्लोसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी, अधिसूचनात्मक और अन्य अधिविध (प्रबंध एवं सीमांकन संरक्षण) विधायी, 2018 तथा लोक कल्याण सेवा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) को अतीत विधिनिष्ठ ही जा सकता है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव विस्तार में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर हार्ड को उपयुक्तता अथवा नहीं करने निर्दिष्ट करने वास्तु निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा सम्पन्न एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यवरण, इन और उल्लेखित परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यवरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सौख्य की प्रति जो समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय सौख्य के विस्तार अतीत नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समस्त नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समस्त अवधि में ही जा सकेगी।

सादर्य सुभिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

श्री विटनूरी प्रसाद राव, इंजरम सेपक माईन,  
को बसारा क्रमांक 174, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 4.27 हेक्टेयर,  
ग्राम-इंजरम, तहसील-कोटा, जिला-बुजना (छ.प्र.) में शहरी से रेत उत्खनन  
क्षमता 42,700 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिस्टीम स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु सही आकड़े, रेत उत्खनन का पट्टा, नदीराज, स्थानीय जनसांख्यिकी, जल एवं सूखे जोखिम पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिस्टीम स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिनियमित किन्ही कलक्टर में है, अथवा 600 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.27 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 42,700 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवरोध माईनिंग क्षेत्र का भीले पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर (पैस्ट-मानसून), उसके आंकड़े तालाब एस.ई.आई.ए.ए., चालीसगाड़ को प्रस्तुत किये जायें।
6. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पैस्ट-मानसून के आंकड़े विसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं डी-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., चालीसगाड़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई थमियाँ द्वारा (Manually) की जाएगी। इस परियोजना के लिए किन्ही उपकरण मशीन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत बंध से नदी घाटियों का जलक प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लीडिंग गार्ड तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रैली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का वास्तविक क्षेत्र विनोद, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत वास्तविक की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी तलहटी दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिधिधारी में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत गदी तल (हाई रीक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन गदी गदों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा गदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि गदी गदों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन गदी की सीमा से न्यूनतम 32 मीटर की दूरी के बांध किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टेशन, बांध, एनीकर, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान को अपस्ट्रीम से न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम से न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण गदी जल का वेग, लंबाई एवं जल बहाव को सामान्य का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र छोटी क्षेत्र में किया जाए जिससे तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजाति नष्ट हो। बाघों के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात के समय नहीं किया जाए।
13. परिवहन प्रत्येक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न इलाकों तथा लीडिंग / अगलेंडिंग जगहों से उत्खनन होने वाले क्युलिटिवि ग्रेड उत्खनन के निबंधन हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, मन और जल वायु परिधान, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
14. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से एक ही जगह से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बहाव नहीं रहे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अथवा से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 तन प्रति हेक्टर पर जीव क्षेत्र के अनुसार कर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, पीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण गदी तट में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कार्टेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव अगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए वृक्ष पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु जी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्रामा जर्वाडिक सर्वे में सम्पन्नित करते हुए फ्लोरीडलाइड फोटोग्राम संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण बचावगत निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.) फ्लोरीडलाइड को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 34	2%	Rs. 0.68	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Fandiguda	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.14
			Plantation work	Rs. 0.24
Total			Rs. 0.68	

20. सी.ई.आर. की धारण निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन की विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रेट उत्पन्नन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमोदना प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / फ्लोरीडलाइड पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका वगैरें शासन सुनिश्चित किया जाए।
22. फ्लोरीडलाइड ग्रीम खनिज नियंत्रण, 2015, राज्य शासन द्वारा रेट उत्पन्नन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के अंतर्गत/सर्वी एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्पन्नन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का शासन सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कौनसे श्रमिक कार्य पर लगाई जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को जावास उचित स्वास्थ्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक स्वास्थ्य अंतर्गत संरचनाओं को रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

  
\_\_\_\_\_

24. श्रमिकों के लिए खान-पान पर लागू पेशकश विकसित/सुधिया, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आत्मपूजागत हेल्थ चैकअप कराया जाये।
26. पर्यावरण की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित पर्यावरण योजना के अनुक्रम वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आग्रह किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संगठित पर अधिकार दर्जाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी संगठित को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा हिन्दू, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कम्प्लेक्स में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में सशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा हटाने / निन्दाय को पानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र में आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आग्रह की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.ansfor.nic.in](http://www.ansfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.ansacg.org](http://www.ansacg.org) पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई आदेशों की कई प्रतियाँ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर जटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जनपदपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगरपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगरपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगरपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैधानिक / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के सख्त में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।



32. परियोजना असावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यद्यु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटात्मक अधिनियम (उत्थान इन्धजन एवं सीमापार संवहन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दण्डित्व-सीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जालकादी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की पसन्दगी अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का अधिकार ले सके। अद्यतन में कोई भी विचार अथवा चन्पन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संकल्प, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग बन्द एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.



श्री रवीश पंजवाली (मैसाई डेवटीपोला आर्बिनरी स्टोन माईन)  
की खनन क्षमता 655, ग्राम-डेवटीपोला, तहसील व जिला-काकोर, कुल लीज  
क्षेत्र 1.6 हेक्टर, साधारण पत्थर (ग्रेन खनिज) उत्खनन क्षमता - 40,248 टन  
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.6 हेक्टर अथवा छोटीसमूह शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (घोनों में से जो कम हों) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान के साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन क्षमता - 40,248 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्की मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की व्यवस्था एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सहायी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए अथवा इसे प्रक्रिया में अथवा पुनर्वापन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्नोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सहायी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल संचयन में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छोटीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खाने पेटा धारक खान संयोजन बंद करने की उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-greening) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वन, वनसंरक्षित, जीवों आदि के उपलब्ध हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं पर्यावरण से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. नु-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय नु-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विनयी / वेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अथवा, खान, ट्रांसमिटर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ एक सफाई का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वार्ट्ज डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। यहूत मार्ग, रैप, संयोजन क्षेत्र, भण्डार एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संवेगन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। निम्न डेक्विंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. पाहनी, खनन एवं अन्य क्रियाएँ से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। परखनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु प्रदूषण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिशुचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र को जारी करके छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का डम / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में पुनरोपण किया जाए।
9. परखनन क्रियाएँ के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग परखनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बहरी ओवरलैंडिंग को सिंच (स्ट्रेटिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन क्रियाएँ के साथ-साथ (कॉललेक्टरी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे मूलक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरलैंडिंग एवं अनुपातगी/दिही अयोग्य खनिज (मिस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को पश्चित उद्धार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विषरित प्रभाव न डाल सकें। उभ्य की ऊंचाई 3 मीटर तक स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डम का उद्धार रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से पुनरोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपातगी/दिही अयोग्य खनिज (मिस्ट रीक) को खनन के प्रचाल करने गहराई में पुनःकरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रसंखक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रियाएँ से उत्पन्न मिस्ट लीज क्षेत्र को आस-पास के सारी जल स्रोतों में प्रसंखित न हो। इसे रोकने हेतु चार्ज पीट तथा डम्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / कारलेम्य ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकमेकली कचहई गहन से किया जाए, ताकि खनिज गहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे पाहनों को अमाल से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.70	Following activities at Govt. Primary & Middle School Village-Kawtintola	
			Rain Water Harvesting System	0.50

		Potable Drinking Water	0.15
		Plantation with fencing	0.15
		Total	1.10

15. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निविदा क्षेत्र (प्राची उत्खन 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरलैंडम डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति की 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण मार्च, 2021 तक किया जाए। इतिहास पट्टी का विकास केंद्रीय उत्खनन निबंधन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टर पर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, अर्जुन, शीरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 वृक्षों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये सफेदबूझ एवं पर्याप्त व्यवस्था (क्या काटेदार तार के बाड़ व्यवस्था ही गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हील क्षेत्र में उपरीखानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. वृक्षारोपण का 20-25% आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करके हुये मृत वृक्षों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एम. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राममेट्रिक सिस्टम में समाहित करके हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण संस्थागत निर्धारण प्रविष्टि (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को जमा किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हार्मर/मसा आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं जागरूकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
21. सख्त प्रतिकारी / डी.जी.एन.एम. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से प्राप्त किया जाए। पत्थर को छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लेन चोकर) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
22. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को तब असंतुल्य प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं पौध-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बिल्डिंग का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन बिल्डिंग नियम, 2012 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

  
\_\_\_\_\_

25. कार्य स्थल पर यदि केमिनग क्षमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे क्षमिकों को आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जानी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी स्वरूपों को रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
26. क्षमिकों के लिए खानम स्थल पर स्वच्छ पेयजल विदितमकीय सुविधा, नोबाइल टावलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. क्षमिकों का स्वयं-समय पर आकृष्येकनत हेतु सर्विलेस बनाना आवश्यक है।
28. पाठनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित पाठनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें पाठनन, क्षमिक की मात्रा एवं अपेक्षित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तस्वत चर्चाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा सौन्दर्य, शांति एवं स्थानीय सामुदायिक / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधना की समवेता में परिशोधन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषक रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्तों में संशोधन/निरन्ता करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा सार्वजनिक / निरन्ता के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परिशोधना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिशोधना क्षेत्र के जाल-जाल व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परिशोधना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सर्वोच्च, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.sewacg.org](http://www.sewacg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही को वर्ष वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, जगदलपुर, एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उपलब्ध शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण तैयार क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के निदेशकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।



36. परिशोधना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अतिवाई रूप में पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बन्दों एवं नियमों, परिशोधन और अन्य अपरिचित (अथवा एवं सीमापार संघर्ष) नियम, 2018 तथा लोक धर्मिता की अधिनियम, 1984 (यथा संशोधित) को अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिष्कार होने की वजह से एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, लकिन एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विचार अथवा अन्तर्गत एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, पन और जलवायु परिष्कार मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं राष्ट्रीय बंध एवं कलेक्टर/राजनीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को सन 2010 में दिए गए आदेशों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकते हैं।

सदस्य-सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.